लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

Preservation Unit
18-6-94
Fumigated
On 9.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

(खंड 59 में अंक 21 से 32 तक हैं
Vol. LIX contains Nos. 21—32)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया। *Price: One Rupee*

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 31—मंगलवार, 6 सितम्बर, 1966/15 भाद्र, 1888 (शक)

No. 31-Tuesday, September 6, 1966/Bhadra 15, 1888 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अल्प सूचना प्रश्न		
Short Notice Question Nos.		
30. इंटरनेशनल सेक्रेटेरियेट फार वालंटियर कोर	International Secretariat for Volunteer Corps	1-6
31. रेलवे प्रशासन द्वारा रखे गये अनियत मजदूरों को दी जाने वाली मजूरी	Wages Paid to Casual Labour Engaged by Railway Administrations	6-10
32. कानपुर के छोटे हथियार बनाने के कारखाने में छंटनी	Retrenchment in small Arms Factory Kanpnr	10-14
ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं तथा स्थगन प्रस्तावों के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention Notices and Motions for Adjournment (Query)	14-15
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	15-20
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	20
कार्यवाही सारांश	Minutes	
याचिका समिति	Committee on Petitions	20-21
कार्यवाही सारांश	Minutes	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on Absence of Members from Sittings of the House	21
कार्यवाही सारांश	Minntes	
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	21
निदेश 115 के अन्तर्गत संदस्य द्वारा पाकिस्तानी जासूसों के बारे में वक्तव्य तथा मन्त्री महोदय द्वारा उत्तर	Statement by Member under Direction 115 re. Pakistani Spies and Ministers Reply thereto	21-28
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	
श्री नन्दा	Shri Nanda	
बीज विधेयक	Seeds Bill	28-29
प्रवर समिति में सदस्य की नियुक्ति	Appointment of Member to Select Committee	

---

*किसी नाम पर अंकित यह+चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश (न्यायिक तथा कार्यपालिका कृत्यों का पृथक्करण) विधेयक-पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव	Delhi and Himachal Pradesh (Separation of Judicial and Executive Functions) Bill-Motion re. introduce	29-30
रेल सम्पत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) विधेयक	Railway Property (Unlawful Possession) Bill	30-34
खण्ड 8 से 16 तथा 1	Clauses 8 to 16 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	
श्री स. का. पाटिल	Shri S. K. Patil	
श्री प्रिय गुप्त	Shri Priya Gupta	
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	
पंजाब पुनर्गठन विधेयक	Punjab Reorganisation Bill	34-75
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
श्री नन्दा	Shri Nanda	
श्री कपूर सिंह	Shri Kapur Singh	
श्री दे. द. पुरी	Shri D. D. Puri	
श्री दाजी	Shri Daji	
श्री दी. चं. शर्मा	Shri D. C. Sharma	
श्री अल्वारेस	Shri Alvares	
श्री वीर भद्र सिंह	Shri Virbhadra Singh	
श्री युद्धवीर सिंह	Shri Yudhvir Singh	
श्री गजराज सिंह राव	Shri Gajraj Singh Rao	
श्री उमानाथ	Shri Umanath	
श्री अ. ना. विद्यालंकार	Shri A. N. Vidyalankar	
श्री अ. सिं. सहगल	Shri A. S. Saigal	
श्री किशन पटनायक	Shri Kishan Pattnayak	
श्री हेमराज	Shri Hem Raj	
श्री गौरी शंकर कक्कड़	Shri Gauri Shankar Kakkar	
श्री जयपाल सिंह	Shri Jaipal Singh	
श्री प्रताप सिंह	Shri Pratap Singh	
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती	Shri Jagdev Singh Siddhanti	
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	
श्री सिंहासन सिंह	Shri Sinhasan Singh	
श्री नन्दा	Shri Nanda	
खण्ड 2 से 29	Clauses 2 to 29	

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 6 **सितम्बर** 1966 / 15 **भाद्र**, 1888 (**शक**)

Tuesday, September 6, 1966 / **Bhadra** 15, 1888 (**Saka**)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

International Secretariat for Volunteer Corps

+

S. N. Q. No. 30. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : **Dr. L. M. Singhvi** : **Shri Rameshwaranand** : **Shri Prakash Vir Shastri** : **Shri Hari Vishnu Kamath** : **Shri Daji** : **Shri Yudhvir Singh** : **Shri Hem Barua** : **Shri S. M. Banerji** : **Shri Vasudevan Nayar** :

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the anti-national activities of the institution named 'International Secretariat for Volunteer Corps';

(b) whether it is a fact that Planning Commission takes much interest in the said Institution;

(c) whether it is also a fact that the said Institution is purely a foreign institution and is indulging in anti-national activities;

(d) whether it is a fact that the C. B. I. had conducted an inquiry into it;

(e) if so, the reaction of Government thereto; and

(f) whether Government propose to impose a ban on this Institution?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) सरकार को "इन्टरनेशनल सेक्रेटेरियेट फार वालेंटियर कोर" नामक संस्था के विद्यमान होने की कोई जानकारी नहीं है । परन्तु "अन्तर्राष्ट्रीय सेक्रेटेरियेट फार वालेंटियर सरविस" नामक एक अन्त:सरकारी संगठन है जिसका कि भारत एक सदस्य है । इसका भारत में न कोई कार्यालय ही है और न ही भारत में इसका कोई प्रतिनिधि है । इसके अपने कोई वालेंटियर नहीं है ।

(ख) योजना आयोग का सम्बन्ध राष्ट्रीय विकास में जन सहयोग विषय से है । इस कार्य को ध्यान में रखते हुए यह वालेंटियर आर्गनाइजेयशन्स् के काम पर निगरानी रखता है उनके कार्यकलापों को समर्थन प्रदान करता है । इन्टरनेशनल सेक्रेटेरियेट फार वालेंटियर सेवा का एक मुख्य कार्य राष्ट्रीय वालेंटियर सेवा कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने वाले संगठनों के साथ सहयोग करना है, इसलिए योजना आयोग इन्टरनेशनल सेक्रेटेरियेट फार वालेंटियर सेवा से निकट सम्पर्क रखता है ।

(ग) इन्टरनेशनल सेक्रेटेरियेट फार वालेंटियर सेवा एक अन्त:राष्ट्रीय अन्त:सरकारी संगठन है । भारत इस अन्तरराष्ट्रीय संगठन की ऐसेम्बली तथा कौंसिल दोनों का सदस्य है । सरकार को ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता जिससे वह यह सोचे कि यह संगठन भारत विरोधी कार्य कर रहा है ।

(घ) **और (ङ) :** यह सच नहीं है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इन्टरनेशनल सेक्रेटेरियेट फार वालेंटियर सेवा के काम की जाच की है ।

(च) ऊपर (क) से (ग) तक के उत्तरों को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is the hon. Minister aware that last time an agency of the Ministry of Home Affairs investigated the affairs of this institution and it was found that they were indulging in anti-Indian publicity ? Will the Government place the report prepared by that agency on the table ?

श्री अशोक मेहता : मैंने गृह-कार्य मंत्रालय से पूछा है और मुझे बताया गया है कि ऐसी कोई छानबीन नहीं की गई है और इसलिये सभा पटल पर किसी रिपोर्ट के रखे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Has it come to the notice of the Government that in March next they are going to hold their all world conference and in that conference our Government is going to help them considerably. How much money Government are going to give, how much benefit will India have and for what purpose the conference is being held in this country ? Has it also come to the notice of Government that these volunteers make anti-India publicity in villages which is having effects on our students ?

श्री अशोक मेहता : जैसा मैं स्पष्ट कर चुका हूँ, इस सचिवालय के अपने कोई वालंटियर नहीं हैं और इसलिये इसके वालंटियरों के कहीं जाने और कुछ करने का प्रश्न ही नहीं उठता । यह तो एक समन्वयी संगठन है । इसका एक सचिवालय है जो अनुभवों को एकत्र करके उनको सही प्रकार बांटने का प्रयत्न करता है । यह सच है कि यह प्रस्ताव किया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में किया जाये । इस मामले पर अभी भी वैदेशिक-कार्य मंत्रालय समेत सम्बन्धित मंत्रालयों में विचार किया जा रहा है । इस सम्मेलन के बारे में अन्तिम निर्णय अभी किया जाना है कि कौन-कौन से देशों को इसमें निमंत्रित किया जाना है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I asked how much assistance was given by Government ?

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ! वह उत्तर दे चुके हैं । अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप आधे घंटे की चर्चा उठा सकते हैं।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि इस 'इन्टरनेशनल सेक्रेटेरियल फार वालेंटियर कोर' में कोई वालेंटियर नहीं है । इस सम्बन्ध में क्या मैं जान सकता हूँ कि यह संस्था क्या कार्य करने के लिये है ?

श्री अशोक मेहता : यह जानकारी और अनुभवों को एकत्र करती है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इस प्रकार के कार्य के लिये 70,000 वालेंटियर हैं जो संसार भर में फैले हुए हैं । इसमें लगभग 94 देश शामिल हैं । लगभग 40 देश या इससे अधिक इस संस्था से सम्बद्ध हैं । यह केवल एक सेक्रेटेरियट है । यह विभिन्न देशों के अनुभवों को एकत्र करता है। जहाँ कहीं आवश्यकता होती है, यह तकनीकी सहायता देता है । यह एक प्रकार जानकारी का 'क्लीयरिंग हाउस' है । इसके अपने कोई वालेंटियर नहीं हैं और अन्य देशों की तरह भारत भी इस संस्था को कुछ धन देता है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि इस संस्था को, जिसमें इतने देश शामिल हैं, अमरीका सरकार से प्रेरणा मिली है और क्या यह सच है कि इस संस्था में जो व्यक्ति योजना और अन्य बातों सम्बन्धी जानकारी के आदान-प्रदान के लिये कार्य कर रहे हैं उनमें से कुछ व्यक्ति जासूसी कर रहे हैं और जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, हमारी योजना को नष्ट-भ्रष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री अशोक मेहता : मैं अपने मूल उत्तर में इसका उत्तर दे चुका हूँ।

श्री वासुदेवन नायर : यद्यपि मन्त्री महोदय ने कहा कि इस देश में इस ऐच्छिक सेवा के एक भाग के रूप में कोई वालेंटियर नहीं हैं, जानकारी के आदान-प्रदान के लिये कोई कार्यालय है। क्या इस कार्यालय में कोई विदेशी काम कर रहे हैं ?

श्री अशोक मेहता : भारत में इसका कोई कार्यालय नहीं है और न ही कोई वालेंटियर हैं। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय सेक्रेटेरियट है जहाँ यह काम होता है । भारत इस अन्तर्राष्ट्रीय सेक्रेटेरियट के एक सदस्य के नाते प्रति वर्ष 4500 डालर देता है ।

श्री वासुदेवन नायर : किस लिये ?

श्री अशोक मेहता : भारत इसमें इसलिये शामिल हुआ क्योंकि इसमें 40 देश शामिल हुए हैं और इस संस्था के जरिये अनेक प्रकार के अनुभवों को एकत्र किया जाता है ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या योजना आयोग ने कभी देश के लिये कार्य करने के लिये भारत भर से युवक संघों, विश्वविद्यालयों से युवकों और युवतियों को निमन्त्रित किया है। क्या उन्होंने उनके नामों की एक सूची बनाई है और क्या अपनी अर्थ-व्यवस्था में विदेशों से वालेंटियर बुला कर रखने के बजाय इन लोगों को कार्य करने को बुलाया है ? मैं अमरीका की बुराई नहीं करता । वे हमारा स्वागत करते हैं और हम अपने युवकों को वहां भेजते हैं । लेकिन विदेशी वालंटियरों को क्यों बुलाया जाता है जिससे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है ।

श्री अशोक मेहता : हमने अपने देश में आठ भिन्न देशों के वालेंटियर बुलाये हैं । दूसरे

लगभग 90 देशों में इस प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम चल रहा है और भारत सरकार यह महसूस करती है कि इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का स्वागत किया जाना चाहिये। वालेंटियरों को राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित कार्य सौंपा जाता है और यह सब पूर्णत: सम्बन्धित राज्य सरकारों के निदेश, मार्ग-निर्देशन और नियन्त्रण में किया जाता है।

श्री भागवत झा आजाद : इस इंटरनेशनल वालंटियर कोर का सदर मुकाम कहां पर है और हमारे इसका सदस्य होने के नाते यह हमारी क्या सेवा करता है जिसके लिये हम 4,000 डालर देते हैं ? इस देश में इसके कोई वालेंटियर नहीं हैं, कोई सेवा नहीं है।

श्री अशोक मेहता : मैं कई बार बता चुका हूँ कि इस सेक्रेटेरियट का सदर मुकाम वाशिंगटन में है। जहाँ तक सेवाओं का सम्बन्ध है मैं यह स्पष्ट कर चुका हूँ कि यह सामाजिक कार्य करने के लिये राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय वालंटियरों के बारे में विभिन्न देशों के अनुभवों का क्लीयरिंग हाउस है। इस कार्य में 70,000 वालंटियर लगे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य को यहाँ किये जा रहे सामाजिक कार्य की पूरी जानकारी है। यदि उन्हें यह जानकारी नहीं है तो किसी और समय मैं यह जानकारी उनको दूँगा।

Shri Yashpal Singh : The hon. Minister has not stated as to what connection we have got with this International Volunteer Corps and what service do we get from it and why we are giving them dollors ?

Shri Asoka Mehta : I have said that we have in our country volunteers drawn from eight different countries.

Shri Yashpal Singh : What do they do here ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : They make political publicity. They make publicity for their own countries.

Shri Asoka Mehta : The report about their work is placed before Parliament every year. We give our contribution to it and whatever work is done in other countries, the same work is done in our country too. This Secretariat is a clearing house for their experiences in different areas. The Government of India feels that the benefit that we derive from getting all this kind of information and sorted-out experiences is worth paying 4,500 dollars.

श्री रघुनाथ सिंह : भारत से बाहर, विशेषत: अमरीका में, कितने भारतीय वालंटियर काम कर रहे हैं ?

श्री अशोक मेहता : हमारा इस कार्य के लिये कोई संगठन नहीं है। जहाँ तक अमरीका का सम्बन्ध है, वे एक 'रिजर्व पीस कोर' बनाना चाहते थे। 'रिजर्व पीस कोर' के लिये छ: भारतीय भेजे गये थे। वे और व्यक्ति मांगते रहे हैं लेकिन अभी तक हमने यह उत्तर दिया है कि हम और व्यक्ति नहीं भेज सकते।

Shri Buta Singh : These volunteers are the best measure for exchanging culture between various countries. What steps are Government taking to encourage this cultural exchange ?

श्री अशोक मेहता : यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान का प्रश्न नहीं है। यह वालंटियर सेवा है। वालंटियर सेवा में जितना सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता है, उतना होता ही है।

श्री जयपाल सिंह : मन्त्री महोदय ने बताया कि यह अन्तर्सरकारी संस्था है और दूसरे यह वालंटियर संस्था है। मैं नहीं समझता कि जब हम इसमें कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो इसमें धन

क्यों दे रहे हैं। बिना किसी वालंटियर सेवा की व्यवस्था किये हमारा देश हर समय ऐच्छिक सेवा प्राप्त नहीं करते रह सकता। इस ऐच्छिक संस्था में अन्तर्सरकारी बात कैसे आती है ?

श्री अशोक मेहता : यह ऐच्छिक संस्था नहीं है। इस कार्य के लिये 40 देशों की सरकारों ने इकट्ठा होकर यह सेक्रेटेरियट बनाया है। इसलिये यह अन्तर्सरकारी संस्था है। वालंटियर सरकार द्वारा भेजे गये अथवा गैर-सरकारी निकायों द्वारा भेजे गये और सरकार द्वारा मंजूर किये गये व्यक्ति हो सकते हैं। उदाहरणतः ब्रिटेन के वालंटियर लीजिये। जब वे यहाँ आ गये हैं उनकी देख-रेख हमारे देश में ब्रिटिश कौन्सिल द्वारा की जाती है।

श्री जयपाल सिंह : क्या हम वालंटियर नहीं दे सकते ?

श्री अशोक मेहता : जहां तक हमारा सम्बन्ध है, यदि हम अपने खर्चे पर उन्हें विदेशों में भेजना चाहें और विदेशों में उनका खर्चा बर्दाश्त करें तो हम वालंटियर भेज सकते हैं। मैं नहीं समझता कि भारत ऐसा करना चाहेगा और इसीलिये हमने यह महसूस किया है कि वालंटियर भेजना हमारी जिम्मेदारी नहीं है और यदि हम ऐसा करें तो हम उन्हें अपने पड़ौसी देशों में भेजना चाहेंगे।

श्री कन्डप्पन : हमें जो उत्तर दिया जा रहा है उससे जो धन हम दे रहे हैं उसका औचित्य सिद्ध नहीं होता। क्या मन्त्री महोदय भारत में किये जा रहे इस कार्य के बारे में कुछ विशिष्ट उदाहरण बता सकते हैं ? क्या वह किन्हीं विशिष्ट सेवाओं के बारे में बता सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे चुके हैं।

श्री अशोक मेहता : मैंने बताया कि यह तो निर्णय सरकार को करना है। मैंने बताया कि यह एक अन्तर्सरकारी संस्था है। सरकार यह महसूस करती है कि जो कुछ धन हम देते हैं, वह हमें इससे प्राप्त होने वाले अनुभवों के अनुरूप है। यहाँ पर सरकार का निर्णय मानना पड़ता है।

Shri Sidheshwar Prasad : The hon. Minister has just said that here we have volunteers from eight different countries. I want to know the number of these volunteers ?

श्री अशोक मेहता : अमरीका से 700, ब्रिटेन से 62, कनाडा से 32, जर्मनी से 57 और नीदरलैण्ड से 10 आये हैं। कुछ डेनिश और स्वीडिश वालंटियर भी हैं लेकिन उनकी संख्या इस समय मेरे पास नहीं है। जापान से भी कुछ वालंटियर आ रहे हैं।

Shri Sidheshwar Prasad : What work they are doing ?

श्री अशोक मेहता : खाद्य उत्पादन और सम्बद्ध कार्यक्रम, ग्रामीण लोक स्वास्थ्य, स्कूल अध्यापन, विशेषतः विज्ञान और युवक-कार्य, छोटे उद्योग, उपभोक्ता सहकारी समितियाँ, नगरीय संचार व्यवस्था आदि। इन सब के बारे में योजना आयोग ने काफी समय पूर्व एक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा था।

Shri Bade : He has just now said that Planning Commission is paying much money. I want to know as to how much money has been paid to them uptodate and what is the number of volunteers of this organisation and since when they are working. Have they given such report to U.S.A. also ?

Shri Asoka Mehta : We are contributing 4500 dollars per year.

Shri Bade : Since when we are contributing ?

Shri Asoka Mehta : I cannot say exactly. May be from three or four years.

श्री गौरी शंकर कक्कड़ : इस समूह जानकारी का, जो हम स्वयं एकत्र नहीं कर सकते, क्या विशिष्ट परिणाम रहा ?

श्री अशोक मेहता : जैसा मैंने बताया है विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न देशों के वालंटियर काम कर रहे हैं। 40 देशों की सरकारें अपने अनुभव एकत्र करने को शामिल हुई हैं। यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि कौन-कौन से ठोस अनुभव एकत्र किये गये हैं तो मैं उनसे एक रिपोर्ट तैयार करने को कहूँगा और फिर यह सभा पटल पर रख दूँगा।

श्री कन्डप्पन : कृपया ऐसा कर दीजिये।

श्री अशोक मेहता : यह सेक्रेटेरियट यह कार्य कर रहा है। 40 देशों की सरकारों ने यह ठीक समझा है कि इस अनुभव का विश्लेषण किया जाये ताकि इससे ठोस निष्कर्ष निकाले जा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती विमला देशमुख।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Sir, I want your ruling. My question has not been answered. I have asked about the expenditure being made by the Government of India.

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। आप बैठ जाइये।

श्रीमती विमला देशमुख : इन वालंटियरों में लड़कियां कितनी हैं और ये वालंटियर किस विशेष प्रकार का कार्य कर रही हैं ?

श्री अशोक मेहता : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

Wages Paid to Casual Labour engaged by Railway Administration

+

S. N. Q. No. 31. **Shri Sinhasan Singh :** **Shri M. R. Krishna :**
Shri Sidheshwar Prasad : **Shri Bhagwat Jha Azad :**
Shri M. L. Dwivedi : **Shri S. C. Samanta :**

Will the Ministier of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Railway Administration engages casual labour but the wages paid to them are much less than the current rates of wages ;

(b) the details of wages paid to the casual labour in various Railway Administrat-tions, separately ;

(c) whether it is also a fact that the casual labourers work on such meagre wages only in the hope that they would be regularised after six months and then would get the salary as sanctioned by the Railways to class IV employees but they are generally dismissed before the expiry of six months ; and

(d) whether the rates of wages prescribed for the labourers are obtained from Districts and Tehsils before fixing the wages of these casual labourers and if so, whether wages are fixed accordingly ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Casual labourers governed by the Minimum Wages Act (Central) are remunerated in accordance with the provisions of that Act and those not governed by the Minimum Wages Act (Central) are paid daily rates of wages as ascertained from local authorities or the State Government concerned.

(b) Rates of daily wages of Casual Labourers on Indian Railways.

Railway	Unskilled	Semi-skilled	Skilled
	Rs. P. Rs. P.	Rs. P. Rs. P.	Rs. P. Rs. P.
Central	1.50 to 2.50	1.70 to 2.94	2.17 to 4.00
Eastern	1.50 to 3.00	1.75 to 3.00	2.50 to 4.00
Northern	1.50 to 3.00	1.75 to 3.50	2.50 to 6.00
North Eastern	1.50 to 2.00	1.75 to 3.00	2.75 to 3.75
Northeast Frontier	1.75 to 3.25	2.25 to 3.50	2.75 to 5.00
Southern	1.50 to 2.00	2.00 to 3.00	3.00 to 4.00
South Eastern	1.50	1.85	3.00
C.L.W.	1.50	1.75 to 2.50	3.00
D.L.W.	2.00	2.50	3.50
I.C.F.	1.75	2.00 to 2.50	3.50
D.B.K.	1.50 to 3.35	2.00 to 4.00	3.00 to 5.00
Railway Electrification	1.73 to 2.50	1.92 to 3.00	3.00 to 4.50
Western	1.50 to 2.50	2.00 to 3.50	3.12 to 5.00

(c) Only casual labour employed on works **other than Projects** are granted regular scales of pay after completion of six months' continuous service. Casual labourers are not discharged before the expiry of six months with a view to cause a deliberate break in continuity of their service.

(d) Yes. The rate is again subject to a minimum of Rs. 1.50 per day.

Shri Sinhasan Singh : May I know whether the wage rates ranging from Rs. 1.50 to Rs. 5.00 per diem as enumerated by the hon. Minister have been approved by the Railway Board or whether the respective railway Zone authorities have been empowered to have their own wage rates ?

Dr. Ram Subhag Singh : As has been given in answers to part 'B' different wage rates are prevailing in different states, but our orders are that under the circumstances the minimum wage rate will be less than Rs. 1.50.

Shri Sinhasan Singh : Since when this minimum wage rate of Rs. 1.50 has been in vogue, has it been uniformly so since 1950 ? In the statement not one wage rate has been given, but different wage rates collected from the local authorities have been given. What is the prevalent minimum wage there ?

Dr. Ram Subhag Singh : As has been stated in reply to the main question, there are two wage rates. One are according to the Central Minimum Wage Act and the other are according to the rates prevalent locally. The local wage rates are fixed by the Railway authorities in consultation with District Magistrate and other local officers. Generally the wages are paid according to the local wage rates if they are Rs. 1·50 or more; but where no local wage rates are fixed, the wage rate cannot be below Rs. 1.30 P. in any case as the Central Pay Scale are the same.

Shri Sidheshwar Prasad : What steps are being taken by Government to appoint those workers permanently and to save them from the clutches.

Shri Bhagwat Jha Azad : The hon. Minister stated that in the matter of fixing the wage rate there the Minimum wage Act and the local wage rate are adhered to. May I know

whether in view of the spiralling prices Government considers it right to issue directions to the effect that where the local wage rates are Rs. 1.50 or more the rates which are more must be given to the workers there, and that the Minimum Wages Act should not be made applicable there ?

Dr. Ram Subhag Singh : Apart from the places where Minimum Wages Act (Central) is adhered to, the same formula is prevalant as has been said by the hon. Member. **In answer to Part (B) the minimum wages ranging from Rs.1.50 to 5.00 have been given.** Where the locally ascertained wage rate is higher than the minimum wage under the Act, that is Rs. 1.50, ther, the labourers are to be paid daily rates of wages as ascertained from local authorities and it is evident from it that at certain places the labour is paid at the rate of Rs. 5.00.

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि माननीय मंत्री द्वारा जिन अधिकतम मजूरी दरों का उल्लेख किया गया है सामान्यतः मजदूरों को उन दरों पर भुगतान नहीं किया जाता क्योंकि मजूरियों के भुगतान में भ्रष्टाचार होता है, और क्या सरकार इस नैमित्तिक पद्धति को समाप्त करना चाहती है।

Dr. Ram Subhag Singh : If such cases of corruption are brought to our notice, stringent action will be taken in those cases.

श्री प्रिय गुप्त : योजना मंत्री यहां पर उपस्थित हैं। और अन्य मन्त्री भी उपस्थित हैं। जबकि सरकार बढ़ते हुए निर्वाह व्यय को रोकने में असमर्थ रही है और सरकार 1957 के भारतीय श्रम सम्मेलन में दिये गये आश्वासन के अनुसार निम्नतम मजूरी देने में असफल रही है, तो रेलवे के सामान्य और नियमित कार्य पदों के मामलों में नियुक्त नैमित्तिक मजदूरों को नियुक्ति की तारीख से ही केन्द्रीय वेतनक्रमों के अनुसार वेतन क्यों नहीं दिया जाता है और ऐसे पदों के मामले में जहाँ कि उनको केन्द्रीय वेतन क्रमों के लिये पात्र बनाने के लिये छः महीने का समय चाहिये जैसा कि रेलवे बोर्ड के नियमों में है, तो मजूरी उचित समय पर निर्धारित क्यों नहीं की जाती है और काफी देर के बाद क्यों की जाती है ? रेलवे बोर्ड के हाल के परिपत्र द्वारा परिसीमन अधिनियम की दलील दे कर बकाया मजूरी को क्यों रोका जा रहा है ? इसके प्रति माननीय मन्त्री का क्या रवैया है ?

डा० राम सुभग सिंह : जहां तक बकाया मजूरी का सम्बन्ध है, यदि हमारे नियमों के अनुसार वे इसके हक़दार हैं, तो हम निश्चय ही बकाया मजूरी शीघ्र दिलायेंगे। और जब भी यह छः महीने की अवधि समाप्त हो जाती है और वे नियमित क्रम के अन्तर्गत आ जाते हैं, तो प्रश्न यह उठता है कि पहले दिन से ही उस क्रम के अनुसार भुगतान करना क्यों नहीं आरम्भ करते। वह एक सम्बन्धित प्रश्न है, परन्तु ऐसी हमारी प्रथा है।

श्री प्रिय गुप्त : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आधे घंटे की चर्चा की सूचना दें।

Shri Gulshan : May I know whether in view of the fact that the dearness allowance admissible to the low paid Government employees is revised after every six months, shall we not be doing injustice to the workers by paying only Rs. 1.50 per day in these days of spiralling cost of living.

Dr. Ram Subhag Singh : We have taken note of the fact that the wage of Rs. 1.50 is very insufficient in the present day conditions. Due to that reason the minimum wage in the

Northern Railway varies from Rs. 1.50 to Rs. 3.00 and those governed by C.P.S. are paid dearness and all other allowances.

श्री अ० प्र० शर्मा : माननीय मन्त्री द्वारा दिये गये उत्तर से यह प्रतीत होता है कि नैमित्तिक मजदूरों के लिये मजूरी की दरें या तो प्रचलित स्थानीय दरों के अनुसार निर्धारित की जाती है या जहां पर ऐसी स्थानीय दरें नहीं होतीं वे केन्द्रीय निम्नतम मजूरी अधिनियम के अनुसार दी जाती हैं। माननीय मन्त्री ने यह भी कहा कि नैमित्तिक मजदूरों को किसी भी हालत में केन्द्रीय वेतन क्रमों द्वारा निर्धारित निम्नतम मजूरी के तीसवें भाग से कम नहीं दिया जाता। तीसवां हिस्सा 3 रु० से कम नहीं है। आज की बढ़ती हुई मंहगाई को ध्यान में रखते हुए क्या रेलवे बोर्ड 1.50 रु० की निम्नतम मजूरी का भुगतान करने के बारे में विचार करने के लिये तैयार है ताकि मजदूरों को कम से कम उचित मजूरी मिल सके ?

डा० राम सुभग सिंह : यही मैंने कहा है। केन्द्रीय वेतन क्रमों के अन्तर्गत जो पारिश्रमिक दिया जाता है वह 3 रु० प्रतिदिन नहीं है क्योंकि यह 70-85 रु० मासिक वेतनक्रम तथा कुछ सामान्य भत्ते होते हैं।

डा० रानेन सेन : विवरण को देखने से पता चलता है कि पूर्वी रेलवे में अदक्ष मजदूर को 1·50—3.00 रु० तथा अर्धदक्ष मजदूर को 1.75-3.03 रु० मिलते हैं। क्या मन्त्री महोदय को पता है कि पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में निम्नतम मजूरी अधिनियम के अनुसार निम्नतम मजूरी 2.50 रु० निर्धारित की गई है ? यदि उनको इसका पता है तो अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित निम्नतम मजूरी को क्यों कम किया गया है ? क्या कारण है कि भारत सरकार का रेलवे मंत्रालय नैमित्तिक मजदूरों की मजूरी को बराबर कम रख रहा है ?

डा० राम सुभग सिंह : क्योंकि पूर्वी रेलवे केवल पश्चिम बंगाल के राज्य से ही नहीं गुजरती है; यह अन्य राज्यों से भी होकर गुजरती है। जहां तक पश्चिम बंगाल के प्रश्न का सम्बन्ध है, वहां पर वही दर है जो माननीय सदस्य ने स्वयं बताई है।

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that the casual labourers are paid comparatively lower rates of wages and when the question of their confirmation comes, the Railway Department does not even think over it ?

Dr. Ram Subhag Singh : If the hon. Member brings to our notice the specitfic cases in this regard we shall certainly look into them and rectify the mistakes.

Shri Ram Sewak Yadav : Even otherwise the wage of Rs. 1.50 is meagre. Besides that, this is also the practice that when the time for their cofirmation comes, they are temporarily dismissed from service so that they may not be confirmed. May I know whether a complaint has been received that the casual labourers of H. T. X. R. line of Lucknow are paid even less than Rs. 1.50 or at the prevalent rate ?

Dr. Ram Subhag Singh : If the wage rate there is less than Rs. 1.50, we shall look into it and if any labourer is found to have been dismissed after he worked for six months, he will be renistated.

Shri Ram Sewak Yadav: They are working continually for the last 2-4 years, but their services are terminated intermittently.

Dr. Ram Subhag Singh: There are two things. One is project and the other is Railway. A person working in a Project can be dismissed, while others cannot be dismissed.

Shri Tulsi Das Jadhav: Are Government aware that there are workers who

have not been confirmed even after serving for 2-4 years, if so, whether they will be confirmed.

Dr. Ram Subhag Singh: That is what I have said that those workers who have worked for six months, will not be dismissed and they will be paid in accordance with the rates fixed under the Central Pay Scales.

श्री नम्बियार : क्या यह सच है कि एक बड़ी संख्या में नैमित्तिक मजदूर 10 वर्ष से काम कर रहे हैं और उनको केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनक्रम नहीं दिये गये हैं और उनको स्थायी करने की भी कोई आशा नहीं है और यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय उनको नियमित करने और केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन क्रम देने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : हम इस सुझाव पर विचार करेंगे परन्तु शर्त यह है कि वे मजदूर परियोजनाओं में काम नहीं करते हैं।

Shri Kashi Ram Gupta: What are the factors which are taken into consideration at the time of fixing the minimum wage ? May I know whether apart from Sundays they are entitled to 15 days earned leave? They are confirmed on the basis of their seniority or otherwise?

Dr. Ram Subhag Singh: The rules, regarding Central Pay Scales Holiday and other facilities are applied to the workers who have worked for 6 months or more.

कानपुर के छोटे हथियार बनाने के कारखाने में छंटनी

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 32.

+

श्री स० मो० बनर्जी :	**श्री उमानाथ :**
श्री अल्वारेस :	**डा० रानेन सेन :**
श्री वासुदेवन नायर :	**श्री बागड़ी :**

क्या रक्षा मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर के छोटे हथियार बनाने के कारखाने से 20 अगस्त, 1966 को 90 स्वर्णकारों सहित लगभग 174 प्रतिरक्षा कर्मकारों की नौकरी से छंटनी कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें वैकल्पिक कार्य देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) 65 (न कि 90) भूतपूर्व स्वर्णकारों सहित 174 नैमित्तिक कर्मचारी 20 अगस्त 1966 को कानपुर के छोटे हथियार बनाने के कारखाने से निर्मुक्त किए गए थे।

(ख) चूंकि आर्डनेंस क्लोदिंग फैक्ट्रियों के फालतू कर्मचारियों को इस विचार से स्थान देना आवश्यक था, कि नियमित कर्मचारियों की छंटनी न करना पड़े, कानपुर के छोटे हथियार बनाने वाले कारखाने के नैमित्तिक कर्मचारियों को इसलिए निर्मुक्त करना पड़ा कि अन्य आयुध कारखानों के नियमित कर्मचारियों के लिए स्थान बनाया जा सके।

(ग) सरकार को निर्मुक्त कर्मचारियों की कठिनाइयों का ध्यान है। तदनुसार भर्ती की

प्रक्रियाओं के अंतर्गत यथा संभव अधिक से अधिक निर्मुक्त कर्मचारियों को पुनः काम देने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : तथाकथित नैमित्तिक मजदूरों की छंटनी न केवल कानपुर के छोटे हथियार बनाने के कारखाने में ही की गई है अपितु अन्य आयुध कारखानों और प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में भी की गई हैं जैसे कि गन एंड शैल फैक्ट्री, काशीपुर। प्रतिरक्षा मन्त्री के इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए कि हमारे आयुध कारखानों में उत्पादन बढ़ेगा और नये कारखाने खोले जा रहे हैं, क्या छंटनी किये गये इन सभी लोगों को कोई और काम दिया जायेगा ?

श्री अ० म० थामस : जब किसी कारखाने में कार्य अस्थायी रूप से बढ़ जाता है तो नैमित्तिक श्रमिकों की भर्ती की जाती है। उनके नियुक्ति आदेश में यह लिखा होता है कि उनकी नियुक्ति छः महीने के लिये केवल नैमित्तिक आधार पर है—वे अस्थायी कर्मचारी भी नहीं हैं—और इस अवधि के दौरान बिना सूचना के उनकी सेवाएं कभी भी समाप्त की जा सकती हैं। इन शर्तों के साथ उनको नियुक्त किया गया है। यह सच है कि कुछ आयुध कारखानों में और नये आयुध कारखानों में भी रोजगार देने की अधिक गुंजाइश है। वास्तव में इस तरह भी उनका समायोजन किया जा रहा है।

इस विशिष्ट मामले में कपड़ा तथा सामान्य स्टोर कारखाने में कम काम हुआ है, जबकि 1963-64 में 48 करोड़ रु० के मूल्य का उत्पादन हुआ था; इससे अगले वर्ष यह घट कर 38 करोड़ रु० के मूल्य का रह गया और गत वर्ष यह केवल 28 करोड़ रु० मूल्य का था। अतः इस कारखाने के नियमित कर्मचारी फालतू हो गये थे। अतः नैमित्तिक श्रमिकों को आवश्यक रूप से बरखास्त करना पड़ा था। फिर भी, मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि इन लोगों को यथाशीघ्र पुनः काम पर लगाने के लिये प्रयत्न किये जायेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि पाकिस्तान के इस रवैये, सीमाओं पर खतरे और उनके द्वारा काश्मीर के मामले में ताशकन्द समझौते का पालन न करने की बात को ध्यान में रखते हुए क्या वे आयुध कारखानों के कार्य भार में वृद्धि करने जा रहे हैं ? महोदय आप अंग्रेजी समझते हैं किन्तु आप हिन्दी नहीं समझते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न अंग्रेजी में पूछा है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। यह प्रश्न असंगत है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि पाकिस्तान के इस रवैये को ध्यान में रखते हुए वे आयुध कारखानों में कार्य भार में वृद्धि करने जा रहे हैं...(**अन्तर्बाधा**)। महोदय, मेरा प्रश्न बहुत सरल है। पाकिस्तान के रवैये तथा पाकिस्तान द्वारा ताशकन्द समझौते का पालन न करने की बात को ध्यान में रखते हुए क्या वे आयुध कारखानों में कार्यभार में वृद्धि करने तथा इन लोगों को काम पर लगाने जा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत लम्बा प्रश्न है। प्रश्न पूछने में उन्हें पाँच मिनट लगे हैं।

श्री अ० म० थामस : महोदय, इस मामले के बारे में शायद प्रतिरक्षा मंत्री ने स्वयं यह आश्वासन दिया है कि हम प्रतिरक्षा सम्बन्धी तैयारी तथा प्रतिरक्षा उत्पादन में कोई ढील नहीं आने देंगे। वास्तव में आयुध कारखानों में उत्पादन बढ़ा है। कपड़े और अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में हमारी आवश्यकता घटेगी जैसा कि मैंने पहले स्पष्ट किया है। हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव यह है कि यदि हम किसी वर्ष विशेष में कपड़ा खरीदते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगले वर्ष भी उतना ही

कपड़ा खरीदा जायेगा। अतः इस क्षेत्र में कुछ श्रमिक फालतू हो जायेंगे। इन आयुध कारखानों में नियमित कर्मचारियों को काम पर लगाये रखने के लिये उन्हें दूसरे आयुध कारखानों में भेजना पड़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप आकस्मिक रूप से रखे गये कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ी।

श्री कंडप्पन : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य, श्री बनर्जी ने कहा कि आप हिन्दी नहीं जानते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे, जो हिन्दी नहीं जानते हैं, इस पीठ पर आसीन नहीं हो सकते हैं। इसका तो केवल यही अर्थ है (**अन्तर्बाधा**)। महोदय, इससे पूर्व श्री कछवाय भी यही बात कह कर पीठ पर आक्षेप कर रहे थे कि आप हिन्दी नहीं जानते हैं। यह एक महत्वहीन बात है कि आप हिन्दी जानते हैं अथवा नहीं। परन्तु उनके कहने का अर्थ यह है कि वे, जो हिन्दी नहीं जानते हैं, इस पीठ पर आसीन नहीं हो सकते हैं। महोदय, उन्हें यह शब्द वापस ले लेने चाहिये...

उपाध्यक्ष महोदय : हमें हिन्दी-अंग्रेजी के प्रश्न में नहीं जाना चाहिये।

श्री कंडप्पन: महोदय, यह एक आक्षेप है।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति। मैं इस बात का स्वयं ध्यान रख सकता हूँ। श्री कंडप्पन, मुझे किसी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय, मैं एक वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है। मैंने इसे गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया है।

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय, उन्हें भी इसे गम्भीरतापूर्वक नहीं लेना चाहिये। मैंने कहा कि आप हिन्दी नहीं समझते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं हिन्दी अच्छी तरह समझता हूँ।

डा० रानेन सेन : महोदय, क्या यह सच है कि कुछ आयुध कारखानों में विशेषकर दक्षिण भारत में कुछ नये कर्मचारी रखे जा रहे हैं और यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय इस भर्ती के बारे में सरकार की नीति स्पष्ट करेंगे ? एक ओर तो छंटनी की जा रही है और दूसरी ओर उन्हें विस्तारशील उद्योग में समाविष्ट करने की बजाय नये लोग रखे जा रहे हैं। इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

श्री कपूर सिंह : वह प्रश्न-काल में नीति सम्बन्धी चर्चा नहीं कर सकते। -

डा० रानेन सेन : हम नीति सम्बन्धी चर्चा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह केवल जानकारी पूछ सकते हैं और नीति सम्बन्धी चर्चा नहीं कर सकते हैं।

श्री अ० म० थामस : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि जब हम नये कारखानों के लिये अथवा विद्यमान कारखानों में कार्य बढ़ जाने के कारण अतिरिक्त श्रमिक रखते हैं तो हम उन लोगों को जो पहले कार्य कर चुके होते हैं, अधिमान देते हैं। इनमें कुछ अर्थ-प्रवीण श्रमिक भी होंगे। जहां प्रवीण श्रमिकों की आवश्यकता होती है तो हमें प्रशिक्षित व्यक्तियों को रखना पड़ता है।

श्री उमानाथ : छंटनी किये गये 174 कर्मचारियों में 65 स्वर्णकार हैं, जिन्हें बसाने के लिये विशेष रूप से रखा गया था। इनकी छंटनी क्यों की गई जब उन्हें विशेषतः पुनर्वास के लिए नियुक्त किया गया था ?

श्री अ० म० थामस : नैमित्तिक श्रमिकों की भर्ती काम दिलाऊ कार्यालयों के माध्यम से की जाती है जो व्यक्तियों के कुछ वर्गों को अधिमान देते हैं। हम केवल उन लोगों को भर्ती करते हैं जिनकी काम दिलाऊ कार्यालय सिफारिश करते हैं। जब हम फिर भर्ती करेंगे तो स्वर्णकारों को निश्चय ही अधिमान दिया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : अब उन्हें अधिमान क्यों दिया जाना चाहिये।

श्री अ० म० थामस : परिवर्तित संदर्भ में शायद उन्हें अधिमान देना आवश्यक नहीं होगा। अधिमान के मामले में हम श्रम मन्त्रालय की हिदायतों पर चलते हैं और हम उनका अनुसरण करेंगे।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या छोटे हथियारों के कारखाने में केवल छोटे हथियारों का ही निर्माण किया जा रहा है अथवा उपभोक्ता वस्तुओं का भी निर्माण किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिये अधिक शिफ्टों में कार्य करना सम्भव नहीं है जिससे इन व्यक्तियों को समाविष्ट किया जा सके ?

श्री अ० म० थामस : इस कारखाने विशेष में ऐसा करना सम्भव नहीं है। इस कारखाने के कार्य में कोई कमी नहीं हुई है। जैसा कि मैंने पहले बताया, चूंकि कपड़े तथा सामान्य सामान के कारखानों में कुछ नियमित कर्मचारी फालतू हैं तो उन्हें समाविष्ट करने हेतु कुछ नैमित्तिक कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ी है। इस कारखाने विशेष में उपभोक्ता सामान का निर्माण नहीं किया जा सकता।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Besides these people who have already been retrenched, may I know the number of those employees to whom Government want to retrench now and whether it will be seen that if the need arises, they will be taken again ?

श्री अ० म० थामस : मैं कई बार बता चुका हूँ कि कार्य बढ़ जाने से उन्हें भर्ती करना आवश्यक होगा। जब तक वहां पर कार्य है तब तक उन्हें वहीं रखा जायेगा। वास्तव में कुछ समय के पश्चात् नैमित्तिक श्रमिकों को भर्ती करने की आवश्यकता पड़ेगी।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : This has not been answered that how many other casual labourers are there to whom Government want to retrench ?

श्री अ० म० थामस : इस कारखाने विशेष में मार्च-अप्रैल, 1965 में 174 नैमित्तिक श्रमिक रखे गये थे। मैं नहीं जानता कि इस कारखाने विशेष में अभी कुछ और नैमित्तिक श्रमिक भी हैं जिनकी छंटनी की जानी है।

श्री प्रिय गुप्त : अवमूल्यन के संदर्भ में इन कारखानों में सेवा नियोजन के लिये गुंजाइश बढ़ जायेगी, तो क्या यह वांछनीय नहीं होगा कि नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी न की जाये, चाहे अस्थायी रूप से ये फालतू ही क्यों न हों क्योंकि अवमूल्यन के फलस्वरूप उत्पादन अनुभाग में अधिक कार्य हाथ में लेने की गुंजाइश है। इस संदर्भ में बेकार श्रमिकों को कुछ काम मिल जायेगा। क्या सरकार ने इसकी व्यवहार्यता पर विचार किया है ?

श्री० अ० म० थामस : उन्हें काम पर लगाये रखना सम्भव नहीं है। यही कारण है कि हमने उनकी छंटनी की है। यहाँ मैं किसी ऐसी धारणा का खण्डन करना चाहता हूँ कि हम आयुध कारखानों के किसी नियमित कर्मचारी की छंटनी करना चाहते हैं। वास्तव में अतिरिक्त सेवा-

नियोजन के लिये गुंजाइश है । यदि हम इस कारखाने विशेष में अस्थायी रूप से कार्य में वृद्धि के कारण कुछ व्यक्तियों मुख्यतया अप्रवीण श्रमिकों की भर्ती करते हैं तो उस कार्य के पूरा हो जाने के पश्चात उन्हें कैसे नौकरी में रखा जा सकता है ?

श्री प्रिय गुप्त : बेकार श्रमिकों के बारे में क्या स्थिति है . . . . (**अन्तर्बाधा**)

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या यह सच है कि इन श्रमिकों की छंटनी इसलिए की गई है जिससे उनकी सेवा बीच में टूट जाये ?

श्री अ० म० थामस : वे न ही स्थायी, न ही अर्ध-स्थायी और न ही अस्थायी कर्मचारी हैं; वे केवल नैमित्तिक श्रमिक हैं । अतः उन्हें सेवा के इस थोड़े से काल विशेष के लिये यह लाभ कैसे दिया जा सकता है ।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं तथा स्थगन प्रस्तावों के बारे में प्रश्न

RE. CALLING ATTENTION NOTICES AND MOTIONS FOR ADJOURNMENT (QUERY)

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : Sir, We had given Calling Attention Notice regarding lathi charge on Delhi students, So, I would like to know why the same has been rejected,

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये । आप इस तरह नहीं बोल सकते हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa: Thousands of students have been lathi-charged. Many of them have been admitted in the hospital.

उपाध्यक्ष महोदय : इनकी कोई बात कार्यवाही में सम्मिलित न की जाये । जब तक मैं न कहूँ, कोई व्यक्ति न बोले । अन्तर्बाधायें**

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir, I have a point of Order under Rule 376. You can give your decision on Rules and Articles of the Constitution.

I would also like to draw your attention to the Seventh Schedule of the Constitution and Sections 25 and 41 thereof.

I have an Adjournment Motion which I want to put under Rule 58.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है । अतः व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

Shri Madhu Limaye : Sir, I am not going out of the Rules.

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी गई है ।

Shri Madhu Limaye : I am speaking on a point of Order.

Mr. Deputy Speaker : What is the point of Order ?

Shri Madhu Limaye : That is regarding Adjournment Motion. But at this time the House is discussing the point of order and not adjournment motion. You can consult Rules 56 and 58. I will not challenge but would like to know under what rules you are not accepting my adjournment motion.

**कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से उठाया जा सकता है। मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Now I am not speaking on adjournment motion. I am speaking on a point of Order.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। आप इसे यहाँ नहीं उठा सकते हैं। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

Shri Madhu Limaye : Rice was being imported. In the Union List. . . . **

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाये। कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अन्तर्बाधायें**

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukbabad) : I want to draw your attention to Section 14 of the Constitution. . . .

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइये। सभा में कुछ शिष्टता तो होनी ही चाहिये।

Shri Bagri (Hissar) : You don't understand anything. What ruling shall you give ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आपके विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी। सभा को अपना काम करना है।

Shri Bagri : If you prolong the discussion how can decorum be observed ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस सभा को बताना चाहता हूँ कि किसी भी स्थगन प्रस्ताव तथा ध्यान दिलाने वाली सूचना की अनुमति नहीं दी गई है। एक विशेषाधिकार प्रस्ताव है।

Shri Bagri : You kindly listen to the point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय विचार कर रहे हैं और वह अपने निर्णय की घोषणा कल कर देंगे। आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। यदि आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो आप मेरे पास आकर बातचीत कर सकते हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

एकाधिकार जांच आयोग के प्रतिवेदन सम्बन्धी सरकार का संकल्प

विधि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : श्री गोपाल स्वरूप पाठक की ओर से मैं एकाधिकार जांच आयोग के प्रतिवेदन सम्बन्धी सरकार के संकल्प संख्या 7/1/66 सी० एल० पांच, दिनांक 5 सितम्बर, 1966 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये, संख्या एल० टी०** 7028/66]

An hon. Member : You kindly listen to the point of order.

**कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे इस प्रकार यहां नहीं उठा सकते हैं। आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना जिसके द्वारा जनरल लाइटिंग सर्विस लैम्पों और फ्लोरेसेंटट्यूबों को अत्यावश्यक वस्तुएं घोषित किया गया है।

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शफी कुरेशी) : श्री मनुभाई शाह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(एक) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 2 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ग्यारह) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2135 की एक प्रति, जो दिनांक 15 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा जनरल लाइटिंग सर्विस लैम्पों और फ्लोरेसेंट ट्यूबों को अत्यावश्यक वस्तुएं घोषित किया गया है।

(दो) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7029/66]

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I am not speaking on adjournment motion. My point of order may please be heard.

उपाध्यक्ष महोदय : आपको सभा के नियमों का पालन करना चाहिये।

Dr. Ram Manohar Lohia : On a point of order, Sir.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह इस प्रकार बोलते जायेंगे, तो मुझे उन्हें सभा से बाहर भेजना पड़ेगा।

Shri Bagri (Hissar) : You should listen to the point of order.

भारतीय तारयंत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1966

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं भारतीय तारयंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तारयंत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 23 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1145 में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7030/66]

Shri Bagri : On a point of order, Sir.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। वह कृपया बाहर चले जायें।

Shri Bagri : You will have to listen to me.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह बाहर जा रहे हैं या नहीं ?

Shri Bagri : You please listen to the point of order of Shri Lohia.

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सुशीला नायर।

कालीकट निगम (शो टैक्स लगाना तथा उसकी वसूली) नियम, 1963 आदि

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूँ :—

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल नगर निगम अधिनियम, 1961 की धारा 367 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 261/66 जो दिनांक 12 जुलाई, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कालीकट निगम (शो टैक्स लगाना तथा उसकी वसूली) नियम 1963 में एक संशोधन किया गया।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 262/66 जो दिनांक 12 जुलाई, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कालीकट निगम विशेष अधिकारी की (शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किये गये।

(तीन) एस० आर० ओ० संख्या 264/66 जो दिनांक 12 जुलाई, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कालीकट शहर निगम (मेयर तथा उप-मेयर का निर्वाचन) नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किये गये।

(चार) केरल नगर निगम (परिषद् की बैठक में संकल्प पेश करना) नियम, 1966 जो दिनांक 19 जुलाई, 1966 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 270/66 में प्रकाशित हुए थे।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 7031/66]

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित गुरुवायूर टाउनशिप अधिनियम, 1961 की धारा 6 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 245/66 की एक प्रति जो दिनांक 5 जुलाई, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(3) ऊपर की मद (1) की (एक) से (चार) और मद (2) में बताई गई अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 7032/66]

Shri Bagri : You kindly listen to the point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

Shri Maurya (Aligarh) : How can you say that it is not a point of order when you have not heard him.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं उन्हें सुनने को तैयार नहीं हूँ।

श्री मौर्य : आप व्यवस्था का प्रश्न सुने बगैर आगे नहीं चल सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पुनाचा।

मरमुगाम्रो पत्तन न्यास के वर्ष 1964–65 के वार्षिक लेखे

परिवहन तथा उड्डयन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत मरमुगाम्रो पत्तन न्यास के 1964–65 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 7033/66]

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल मोटर गाड़ी (यात्रियों तथा माल पर करारोपण) अधिनियम, 1963 की धारा 20 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 311/66 की एक प्रति जो दिनांक 16 अगस्त, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल मोटर गाड़ी (यात्रियों तथा माल पर करारोपण) नियम, 1963 में एक संशोधन किया गया।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 7034/66]

Shri Bagri : You please listen to the point of order of Shri Lohia.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा से प्रार्थना करता हूँ कि वह इन तीन चार सदस्यों के रवैये की ओर देखें। वे सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

Shri Maurya (Aligarh) : You please listen to the point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कोई व्यवस्था का प्रश्न सुनने को तैयार नहीं हूँ।

श्री मौर्य : आपको व्यवस्था का प्रश्न सुनना पड़ेगा।

भारतीय समाचार पत्र रजिस्ट्रार का 1965 का वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं भारतीय समाचार पत्र रजिस्ट्रार के 1965 के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग 1) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये, संख्या एल० टी०** 7035/66]

भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति का 1964–65 का वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शिन्दे) : श्री श्यामधर मिश्र की ओर से मैं भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति के 1964–65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये, संख्या एल० टी०** 7036/66]

श्री मौर्य : आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। विरोध में मैं सभा त्याग करता हूँ।

इसके पश्चात श्री मौर्य सभा भवन छोड़कर चले गये।

(Shri Maurya then left the House)

Dr. Ram Manohar Lohia : Please see section 14 of the Constitution.

उपाध्यक्ष महोदय : वह कार्य–सूची के किस विषय पर व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia : Shri Bagri had raised a point here seven days back . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : तब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

Dr. Ram Manohar Lohia : Three days back I had raised a point regarding the failures of the Government.

उपाध्यक्ष महोदय : वह अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं, व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष के निर्णय के विरुद्ध व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। डा० लोहिया को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिये।

Dr. Ram Manohar Lohia : I can also say that you cannot behave like that.

चाय बोर्ड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

श्री शफी कुरेशी : मैं चाय बोर्ड के 1965-66 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये, संख्या एल० टी० 7037/66]

Dr. Ram Manohar Lohia : You please listen to the failures of Government . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : डा० लोहिया सभा के कार्य में बाधा डाल रहे हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि वह सभा से बाहर चले जायें।

Shri Bagri : I want to know your ruling on the motions moved by us regarding the allegations of corruption against the Government ? Many Ministers are also involved in it.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी सभा से बाहर चले जायें।

Shri Bagri : What about the smuggling of rice.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी बाहर चले जायें।

Shri Bagri : Please, give us this Answer.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी बाहर चले जायें। उनकी कोई बात कार्यवाही में सम्मिलित न की जाये।

श्री बागड़ी :**

श्री किशन पटनायक :**

श्री बागड़ी सभा से बाहर चले गये।

(Shri Bagri left the House)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : जो प्रश्न उन्होंने उठाया है वे उसके बारे में आपका विनिर्णय जानना चाहते हैं। आप आर्डर पेपर पर मद 8 और 9 को देखिये। चाय बोर्ड ने वर्ष 1965–66 का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जबकि नारियल समिति ने वर्ष 1964–65 का।

*कार्यवाही के वृन्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

श्री शिन्दे : केन्द्रीय समिति द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किये जाने तथा स्वीकृत किये जाने के पश्चात्, प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखा जाता है। उसके साथ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भी रखा जाता है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने के बाद की जाती है। फरवरी 1966 में लेखापरीक्षा होने के बाद हमने उसे छपने के लिये भेजा। जुलाई के अन्तिम सप्ताह में प्रतिवेदन हमें मिला और अब हमने उसे सभा-पटल पर रख दिया है।

श्री हरि विष्णु कामत : दोनों प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन हैं। आर्डर पेपर देखने से किसी को पता नहीं चलता कि उनके साथ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हैं अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हाल में मिले हैं तथा उन्होंने प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : जबकि चाय बोर्ड ने 1965–66 का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है तो नारियल समिति का उस वर्ष का प्रतिवेदन क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया है। क्या दोनों मन्त्रियों की कार्यक्षमता के अन्तर के कारण ऐसा हुआ है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : लेखापरीक्षा प्रतिवेदन न मिलने के कारण देरी हुई है।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

कार्यवाही–सारांश

श्री अ० चं० गुह (बारसात) : मैं मरमुगाओं पत्तन, सार्वजनिक सेवाओं और बम्बई पत्तन के विषय में प्राक्कलन समिति के 92 वें, 93 वें, 96 वें और 97 वें प्रतिवेदनों के बारे में उसकी बैठकों के कार्यवाही-सारांश की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

याचिका समिति

COMMITTEE ON PETITIONS

कार्यवाही–सारांश

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : मैं चालू सत्र के दौरान हुई याचिका समिति की 24वीं बैठक के कार्यवाही सारांश की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हमने ग्यारह लाख व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका हाल ही में भेजी थी जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि जीवन बीमा निगम जैसे सरकारी विभागों तथा कम्पनियों को हिदायतें जारी की जायें कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तक वे उन उद्योगों में स्वचालित मशीनें न लगायें।

उपाध्यक्ष महोदय : वह यह प्रश्न किसी अन्य दिन उठा सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : यह कैसे हो सकता है। कल सत्र समाप्त हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभापति चाहें तो फिर से विचार कर सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : कृपया हमारी सहायता करें वरना याचिका का कोई लाभ नहीं ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

कार्यवाही सारांश

श्रीमती विमला देशमुख (अमरावती) : मैं चालू सत्र के दौरान हुई सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की 19वीं बैठक का कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखती हूं ।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है :

"कि लोक सभा द्वारा 1 सितम्बर, 1966, को पास किये गये दिल्ली उच्च न्यायालय विधेयक, 1966, से राज्य सभा 5 सितम्बर, 1966, की बैठक में बिना संशोधन के सहमत हुई ।"

निदेश 115 के अन्तर्गत सदस्य द्वारा पाकिस्तानी जासूसों के बारे में वक्तव्य तथा मंत्री महोदय द्वारा उत्तर

STATEMENT BY MEMBER UNDER DIRECTION 115 re.-PAKISTANI SPIES AND MINISTER'S REPLY THERETO

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, on the notice given by Shri Surendranath Dwivedy, half-an-hour discussion on the activities of Pakistani spies was held in the House on 17th August, 1966. In the discussion the Minister was aksed a question whether his attention had been drawn to the fact the investigation of the Mohit Choudhary-Sunil Das case had been transferred from the Special Branch to the Detective Department. The State Home Minister, Shri Hathi categorically refuted my point and said that it had not been done and all that had happened was that an officer of the Criminal Investigation Department was assisting the Special Branch to prepare the case. The whole thing is quite clear. The Minister was mislead or misinformed by the Officers of West Bengal Government. He too did not try to verify the truth through Centre's own agencies such as C. B. I. etc.

The facts of the case were as given below :

(i) On the 2nd August, 1966 D.I.G. (C.I.D.) of West Bengal asked the Deputy Commissioner (Special Branch), in the presence of the Home Secretary of West Bengal, that the relevant papers should be handed over to the Deputy Commissioner (Detective Department).

(ii) The Home Department of West Bengal did not want to arrest Shri Sunil Dass who was a leading man of A. I. C. C. However the arrest was affected by the Deputy Commissioner (D.D.) on the basis of instructions contained in the aforesaid papers.

(iii) When Detective Department came to know of the Lok Sabha Debate they wrote a letter on 18th August, 1966 to the Deputy Commissioner (Special Branch) requesting that Special Branch people should continue to work on the case side by side with the Detective Department.

Keeping in view the facts the Minister should correct the inaccuracies in his statement. He should also give this assurance to us that the Centre would take over the case from the West Bengal Government which was under the influence of some persons of the ruling party.

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी) : मैंने जो वक्तव्य इस मामले के हस्तान्तरण के बारे में दिया था वह पश्चिम बंगाल की सरकार के उस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित था, जिसे इस मामले के सम्बन्ध में ब्यौरा देने के लिए विशेष रूप से दिल्ली भेजा गया था। मुझे खेद है कि मेरा उत्तर, जो उस अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित था, गलत है।

पश्चिम बंगाल सरकार से पता चला है कि मामले की जांच पड़ताल वास्तव में 4 अगस्त, 1966 को स्पेशल ब्राँच से लेकर खुफिया विभाग के एक निरीक्षक को सौंप दी गई थी हालांकि स्पेशल ब्रांच के अधिकारी जांच में बराबर सहयोग देते रहे हैं। हमें राज्य सरकार से यह भी सूचना मिली है कि यह मामला पुनः स्पेशल ब्रांच को सौंप दिया गया है। केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के अधिकारी शुरू से ही इस जांच से निकटतया संबंधित रहे हैं और यह व्यवस्था बराबर जारी रहेगी। हम राज्य सरकार के अनुरोध पर इस मामले की जांच पड़ताल केन्द्रीय जांच विभाग को सौंपने के बारे में भी विचार कर रहे हैं।

माननीय सदस्य ने सुनील दास की गिरफ्तारी के बारे में पश्चिमी बंगाल के गृह विभाग की कुछ कथित हिदायतों तथा इस मामले की जांच के बारे में पश्चिमी बंगाल के डी० आई० जी० द्वारा लिखे गये तथाकथित पत्र के संबंध में भी कुछ मामले उठाए हैं। मैंने अपने वक्तव्य में इन मामलों के बारे में कुछ नहीं कहा था और मेरे लिये उनके बारे में कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री दाजी (इन्दौर) : मन्त्री महोदय ने कहा है कि पश्चिमी बंगाल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने, जिसे विशेष रूप से उनको परामर्श देने के लिये भेजा गया था, उन्हें गलत सूचना दी। और इस कारण मन्त्री महोदय ने सभा को गलत सूचना दी। सभा को उस अधिकारी का नाम बताया जाना चाहिये ताकि उसके विरुद्ध विशेषाधिकार-भंग की कार्यवाही की जा सके। मन्त्री को तो इतना कह कर मुक्ति मिल गई है परन्तु वह अधिकारी गलत सूचना देने के अपने दोष से मुक्ति नहीं पा सकता। यदि इस तरह से मन्त्रियों को गलत जानकारी दी जाती रहेगी तो हमारे लिये इस सभा के कार्य को चलाना कठिन हो जायेगा।

Shri Madhu Limaye: Sir, I want a clarification. This case was transferred from the Special Branch to the Detective Department on the 4th of August and was retransferred to the Special Branch on the 1st September. During this period of 27 days how many papers have been destroyed or have disappeared? Will the Prime Minister enquire into this matter and inform the House tomorrow?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं श्री दाजी से पूर्णतया सहमत हूँ कि उस अधिकारी का नाम बताया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त मन्त्री महोदय को माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई अन्तिम बातों का भी उत्तर देना चाहिए। कुछ नए तथ्य सामने आये हैं। मन्त्री

महोदय इस कारण उनका उत्तर देने से इन्कार नहीं कर सकते कि उन्होंने अपने वक्तव्य में उनकी ओर निदेश नहीं किया था। जब उनकी अनुमति दे दी गई है तो फिर उन बातों का भी अवश्य ही उत्तर दिया जाना चाहिये।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय में सम्भरण मन्त्री (श्री हाथी): नियम 115 के अन्तर्गत मुझे मेरे द्वारा दिये गये गलत वक्तव्य के बारे में वक्तव्य देने के लिये कहा गया था। मैंने वक्तव्य दे दिया है जो मुझे दी गई सूचना के अनुसार सही था। जहां तक अन्य मामले का सम्बन्ध है, मुझे उसे ठीक करने के लिए नहीं कहा गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि उस दिन मैंने उस जानकारी के आधार पर वक्तव्य दिया जो मेरे पास थी परन्तु उन्होंने कहा है कि वह ठीक नहीं थी।

श्री स० मो० बनर्जी : यह बहुत ही गम्भीर मामला है कि पश्चिमी बंगाल सरकार के गृह सचिव ने उस डिप्टी कमिश्नर को बुलाया जिसने श्री सुनील दास को गिरफ्तार किया था और कुछ बड़े कांग्रेसी नेताओं के प्रभाव में आकर उसके विरुद्ध कार्यवाही की। हम जानना चाहते हैं कि क्या इस मामले की कोई जांच पड़ताल की गई है।

यह भी आश्चर्य की बात है कि मन्त्री महोदय ने राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर वक्तव्य दिया। उन्हें पश्चिमी बंगाल के गृह सचिव अथवा गृह मन्त्री से सूचना मांगनी चाहिये थी और उसके आधार पर वक्तव्य देना चाहिये था।

हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या यह सच है कि मोहित चौधरी ने अपने इकबाली बयान में यह कहा है कि श्री सुनील दास ने फरक्का बांधी की सारी रूपरेखा पाकिस्तानी दूतावास को भेजी थी। क्या इन सब बातों की मन्त्री महोदय द्वारा यहाँ पर उत्तर दिये जाने से पहले जाँच पड़ताल की गई थी ?

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मन्त्री महोदय के वक्तव्य के पश्चात नियम 223 के अधीन विशेषाधिकार भंग का प्रश्न उत्पन्न हो गया है। यह चीज उस पुलिस अधिकारी द्वारा मन्त्री महोदय को दी गई जानकारी से उत्पन्न हुई है। इस विशेषाधिकार भंग में उस अधिकारी का हाथ है और इसे सिद्ध करने वाला दस्तावेज मन्त्री महोदय का आज वक्तव्य है।

उस अधिकारी का नाम तथा पद हमें आज ही बताया जाना चाहिये ताकि हम कल नियम 223 के अन्तर्गत विशेषाधिकार भंग की सूचना दे सकें क्योंकि कल का दिन वर्तमान सत्र का अन्तिम दिन है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : मन्त्री महोदय ने एक पुलिस अधिकारी की गलत सूचना के आधार पर सभा के सामने गलत वक्तव्य दिया। इससे विशेषाधिकार-भंग का प्रश्न उत्पन्न हो गया है। इस मामले में विशेषाधिकार भंग की सूचना देने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि नियम 227 में इस बारे में उपबन्ध बिल्कुल स्पष्ट है। बिना सूचना के भी अध्यक्ष महोदय किसी मामले को तुरन्त विशेषाधिकार समिति को सौंप सकते हैं। वर्तमान मामले में यही कुछ किया जाना चाहिये।

श्री रंगा (चित्तूर) : इस घटना से लोगों को यह सन्देह हो गया है कि क्या इस सरकार के हाथ में देश की सुरक्षा बनी रह सकेगी। यहां पर वक्तव्य केवल एक अधिकारी द्वारा दी गई

जानकारी के आधार पर ही नहीं दिया जाना चाहिये था। ऐसी सूचना राज्य के सम्बन्धित मन्त्री अथवा मुख्य मन्त्री द्वारा दी जानी चाहिये थी।

सामान्यत: हमें विशेषाधिकार प्रस्ताव संबन्धित मन्त्री के विरुद्ध लाना चाहिये। मन्त्री महोदय को इसकी जिम्मेदारी स्वयं अपने ऊपर लेनी चाहिये। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि उन्हें किसी अधिकारी ने गुमराह किया है। यदि उन्हें गुमराह किया गया है तो वे स्वयं सभा को संबंधित अधिकारी का नाम बताएं तथा उसके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाएं। मन्त्री महोदय को कम से कम इतना तो बताना चाहिये कि सरकार को भ्रम में डालने वाले अधिकारी के विरुद्ध अमुक कार्यवाही की गई है अथवा अमुक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है।

कुछ राजनैतिक हितों के कारण इस मामले पर प्रभाव डाला जा रहा है। इस मामले में राज्य सरकार को कार्यवाही करने की अनुमति दे कर सरकार ने गलती की है। यह मामला केन्द्रीय जांच विभाग को सौंपा जाना चाहिये था। अभी भी सरकार इस मामले की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिये तैयार नहीं है। यदि सरकार अपनी प्रतिष्ठा कायम रखना चाहती है तो उसे देश की सुरक्षा से संबन्धित इस मामले में की गई इस सारी गड़बड़ी की न्यायिक जांच करानी चाहिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य): मन्त्री महोदय ने स्वीकार कर लिया है कि श्री मधु लिमये ने उस दिन जो कहा था उससे उनका इन्कार करना गलत था। परन्तु उन्होंने तर्क दिया है कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है क्योंकि उन्होंने पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर वह वक्तव्य दिया था। मेरी राय में हमारा सूचना देने वाले अधिकारी से कोई सरोकार नहीं होना चाहिये। हमारा सरोकार तो पश्चिमी बंगाल सरकार से है, चाहे वह जानकारी उसके किसी भी अधिकारी ने दी हो। पश्चिमी बंगाल सरकार ने मन्त्री महोदय को गलत परामर्श दिया और ऐसा करके मन्त्री महोदय को इस सभा को गुमराह करने के लिये उकसाया। संसद् की शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि इन्हें पश्चिमी बंगाल सरकार के विरुद्ध भी प्रयोग किया जा सकता है। हमें उस सरकार को सभा के समक्ष उपस्थित होने तथा सभा जो भी निर्णय करे उसे स्वीकार करने के लिये बाध्य करना चाहिये।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर): यह सभा केवल मन्त्री जी तथा उनके द्वारा सभा में दिये गये वक्तव्य से संबन्धित है। मन्त्री महोदय ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। इससे इस सभा को सन्तुष्ट हो जाना चाहिये कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हमारा सवन्ध अब केवल इसी बात से है कि उस अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये जिसने मन्त्री महोदय को गलत जानकारी देकर अपने कर्तव्य की घोर अवहेलना की है और उनके लिये यहां पर ऐसी विचित्र स्थिति उत्पन्न कर दी है।

श्री त्यागी (देहरादून): जासूसी के कुकृत्य को कोई भी सहन नहीं कर सकता। सरकार ने स्पष्ट-स्पष्ट उत्तर न दे कर हमारे लिये भी बड़ा विचित्र स्थिति उत्पन्न कर दी है। यह स्पष्ट है कि विशेषाधिकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि यह गलती एक अधिकारी की है। परन्तु मुझे यह आशा थी कि मन्त्री महोदय वक्तव्य देते समय यह बतायेंगे कि उस

अधिकारी के विरुद्ध अमुक कार्यवाही की गई है । यदि इस बारे में स्पष्ट स्पष्ट नहीं बताया जायेगा तो देश में यह धारणा फैल जायगी कि हम अधिकारी का वचाव कर रहे हैं और इस मामले में गड़बड़ी कर रहे हैं । सरकार को सभा को यह स्पष्ट बताना चाहिये कि वह इस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर सकती है अथवा नहीं ।

हमें यह भी बताया जाना चाहिये कि क्या इकबाली बयान में यह दिया हुआ है कि किसी एजेन्ट द्वारा फरक्का बांध की रूपरेखा की जानकारी पाकिस्तान को दी गई थी । यदि ऐसा हुआ है तो संबन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये और उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिये चाहे कितना ही बड़ा राजनीतिज्ञ उनके पीछे हो ।

श्री नन्दा : इस बारे में कोई मतभेद नहीं है कि यह भूल खेदजनक है । परन्तु यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है । हम इस मामले की और छानबीन करना चाहते हैं । और यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि शीघ्र कार्यवाही की जाये । टेलीफोन पर बातचीत न करनी पड़े, इसलिये हम चाहते हैं कि राज्य का कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ आकर स्थिति स्पष्ट करे । उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जो वक्तव्य दिया गया था वह वास्तविक तथ्यों से पूरी तरह मेल नहीं खाता ।

बाद में, अग्रेतर छानबीन करने के पश्चात् हमने गुप्तचर विभाग के एक बहुत बड़े अधिकारी को यह मामला सौंपा । वह स्वयं वहां गया और वहां पर रहा । हम यह जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ, गलती कहां हुई, क्या यह गलती यहां आए हुए उस अधिकारी के स्तर पर हुई क्योंकि उसे वह जानकारी कहीं और से प्राप्त हुई थी । इन सब बातों की जांच करने के बाद जो भी व्यक्ति दोषी पाया जायगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

यह प्रश्न भी पूछा गया है कि केन्द्रीय सरकार इसे अपने हाथ में क्यों नहीं ले रही है । हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या इस मामले को अपने हाथ में लेने में कोई कानूनी अड़चन तो नहीं है । इस अड़चन को दूर करने के बाद हम इसे अपने हाथ में ले लेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री रंगा : निष्पक्ष जांच कराने के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है ।

श्री त्यागी : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या फरक्का बांध संबन्धी कागजात का इकबाली बयान में उल्लेख है ।

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । यह बातें निदेश 115 के अन्तर्गत उठाई गईं हैं और उसमें प्रश्नों के लिये कोई उपबन्ध नहीं है । व्यवस्था का तो प्रश्न ही नहीं उठता । जहां तक श्री दाजी द्वारा उठाए गये विशेषाधिकार प्रश्न का सम्बन्ध है, यदि माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि विशेषाधिकार भंग हुआ है तो विशेषाधिकार भंग के प्रस्ताव की सूचना दे सकते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब उस अधिकारी का नाम तथा पद यहां पर बता दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सरकार को नाम बताने के लिये बाध्य नहीं कर सकता । क्या मन्त्री महोदय उसका नाम बताने के लिये तैयार हैं ?

श्री नन्दा : इस समय नहीं ! नाम बाद में बताए जा सकते हैं जब जांच......

श्री दाजी : वे उस अधिकारी का बचाव क्यों कर रहे हैं ? उन्हें उसका नाम बताना ही होगा ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ; यदि मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि उस अधिकारी के आचरण के बारे में ही नहीं अपितु उसे जानकारी देने वाले व्यक्ति के बारे में भी जांच की जायेगी, तो फिर सब कुछ सही ही किया जा रहा है ।

श्री नन्दा : यही कुछ किया जा रहा है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह उठाई गई है कि क्या फरक्का बांध की रूपरेखा की जानकारी पाकिस्तान को दी गई थी । इसका उत्तर दिया जाना चाहिये । हमारी सूचना के अनुसार यह सूचना अन्य किसी मामूली व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक कर्मचारी द्वारा पाकिस्तान को दी गई थी जो कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठकों में भाग लेता था ।

प्रधान मन्त्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : गलत जानकारी देने वाला व्यक्ति पश्चिमी बंगाल सरकार का एक अधिकारी है, जैसा कि गृह कार्य मन्त्री ने कहा है । इस मामले की पूरी जांच की जा रही है । उस अधिकारी से पूरा स्पष्टीकरण मांगा जायेगा । मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि दोषी व्यक्तियों को क्षमा नहीं किया जायेगा और उन्हें अवश्य दण्ड दिया जायेगा । मैं विरोधी दलों के माननीय सदस्यों को यह भी आश्वासन देना चाहती हूँ कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में किसी परियोजना आदि की रूप रेखा नहीं रखी जाती है ।

श्री रंगा : क्या इकबाली बयान में यह चीज थी ?

श्री नन्दा : यह मामला विचाराधीन है । जो भी कागजात मैंने देखे हैं उनसे ऐसे किसी दस्तावेज़ की जानकारी नहीं मिली है । चूंकि इसका उल्लेख किया गया है, मैं इस सारी चीज की पूरी-पूरी जांच करूंगा ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं केवल एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूँ । जिस अधिकारी ने भी वह जानकारी दी थी, उसने अवश्य ही वह पश्चिमी बंगाल सरकार की हिदायत पर दी थी । इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि यह सभा यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपने में आनाकानी क्यों कर रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय जी, मेरा आप से यह निवेदन है कि आप इस बारे में हमें साफ-साफ बता दें कि यदि हम कल विशेषाधिकार प्रस्ताव लाते हैं तो क्या आप उसकी अनुमति दे देंगे और उसे नियम विरुद्ध नहीं ठहरायेंगे ? क्योंकि आपने अभी कहा था कि सदस्य विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दे सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह का आश्वासन नहीं दे सकता । पहले प्रस्ताव की सूचना दीजिये । उस पर विचार करके निर्णय दे दिया जायेगा ।

श्री दाजी : उस अधिकारी का नाम बताया जाना चाहिये । तभी तो विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी जा सकेगी ।

श्री त्यागी : उस अधिकारी ने इस सभा का विशेषाधिकार भंग नहीं किया है । उसने

अनुशासन के विरुद्ध कार्य किया है और गृह कार्य मन्त्री को उसके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। मैं दो बातों पर आप का विनिर्णय लेना चाहता हूँ। अभी श्री दाजी ने उस अधिकारी के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग का प्रश्न उठाया था। बहुत से माननीय सदस्य उस अधिकारी का नाम जानना चाहते हैं। प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत स्थिति यह है।

मुझे यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई थी कि माननीय प्रधान मन्त्री इस मामले में हस्तक्षेप इस कारण कर रही हैं कि वह अधिकारी का नाम बतायेंगी। प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत मन्त्री जिनमें प्रधान मन्त्री भी शामिल हैं, आप से दो आधारों पर मार्गदर्शन तथा संरक्षण ले सकते हैं। क्या अधिकारी का नाम स्पष्ट करना लोक हित में नहीं है अथवा क्या वह कोई अति-गुप्त सरकारी दस्तावेज है जिसको स्पष्ट करने से देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाएगा ?

मन्त्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार उस पुलिस अधिकारी ने विशेषाधिकार को भंग किया है। विशेषाधिकार का प्रस्ताव पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री अथवा वहां भी सरकार के विरुद्ध हो सकता है या किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध हो सकता है परन्तु व्यापक प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेसी अधिकारियों ने श्री सुनील दास तथा अन्य लोगों का काफी बचाव किया है।

मैं माननीय मन्त्री तथा माननीय प्रधान मन्त्री से अनुरोध करता हूँ कि वे अधिकारी का नाम बताएँ। मेरा यह विचार है कि इसी अधिकारी ने श्री अतुल्य घोष के मार्गदर्शन से यह सब कुछ किया है। श्री अतुल्य घोष को अभी तक गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था।

मैं इस बारे में आपका निर्णय चाहता हूँ कि क्या मन्त्री महोदय को यह अधिकार है कि वह बिना वर्तमान नियमों की सहायता लिए उस अधिकारी का नाम न बताएँ।

श्री उमानाथ (पुद्दकोटै) : सरकार कुछ जांच कर रही है ताकि अनुभागीय अथवा अनुशासनीय कार्यवाही की जा सके। परन्तु सभा को यह अधिकार है कि वह अपने नियमों के अन्तर्गत किसी अधिकारी द्वारा विशेषाधिकार भंग के प्रश्न को उठा सकती है। परन्तु जब तक नाम पता न हो तो किसके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाए? प्रस्ताव में अधिकारी का नाम होना आवश्यक है। माननीय गृह-कार्य मन्त्री को उसका नाम पता है। कम से कम उसका पद ही बताया जाए। क्या सरकार द्वारा नाम तथा पद का न बताया जाना उचित है ? इस प्रकार मैं प्रस्ताव की सूचना नहीं दे पा रहा हूँ। क्या सरकार के लिये यह उचित है कि वह अधिकारी का नाम न बता कर मुझे प्रस्ताव की सूचना देने से रोके ?

श्री हेम बरूआ (गोहाटी) : श्री हाथी ने यह स्वीकार किया है कि पश्चिमी बंगाल सरकार के एक कर्मचारी ने उन्हें गुमराह किया है। प्रधान मन्त्री ने यह कहा है कि वह उस अधिकारी का नाम बताने को तैयार नहीं। परन्तु वह प्रक्रिया नियम 368 के अन्तर्गत नाम बताने के लिए इस कारण मना कर सकती हैं कि ऐसा करना लोक हित के विरुद्ध होगा। यदि उन्होंने ऐसा कहा होता तो वह बात मेरी समझ में आती। माननीय प्रधान मन्त्री केवल यह नहीं कह सकतीं कि वह नाम नहीं बता सकतीं। हां, वह यह कह सकती हैं कि नाम इस कारण नहीं बताया जा सकता कि ऐसा करना लोक-हित के विरुद्ध है या ऐसा करना किसी और कारण से ठीक नहीं है।

श्री रंगा (चित्तूर) : क्या कोई मन्त्री अथवा प्रधान मन्त्री ऐसा कह सकता है कि वह किसी विशेष अधिकारी का नाम अथवा कोई विशिष्ट जानकारी जो सभा चाहती है, केवल इस कारण को छोड़कर कि उसे बताना लोक हित में नहीं है, नहीं बतायेगा ? यदि वे कोई जानकारी नहीं देना चाहते तो इसका कारण बतायें। यदि वे 'लोक-हित' के बहाने से जानकारी नहीं देना चाहते तो इस प्रकार न केवल इस सरकार की और इस सत्तारूढ़ दल की प्रतिष्ठा को अपितु लोकतंत्रीय समाज की किसी भी सभ्य सरकार की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचेगी।

श्री नन्दा : मैं लोक हित को लेकर जानकारी नहीं रोक रहा हूँ। हम कोई पूर्व निर्णय नहीं दे सकते। जांच की जा रही है। जो भी कर्मचारी दोषी पाया जायगा उसका नाम बता दिया जाएगा। अभी से किसी का नाम लेना मामले पर पूर्व-निर्णय देना होगा। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नाम बताने के लिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकता। मामले की जांच की जा रही है।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : आपने कहा है कि आप सरकार को नाम बताने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मैं यह बल देकर कहना चाहता हूँ कि यहां आप गलती पर हैं। सरकार को बाध्य किया जा सकता, सरकार के विरुद्ध मुकदमा भी चलाया जा सकता है। (**व्यवधान**) गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि वह जांच के बाद नाम बताएंगे। हम इस बात से संतुष्ट हैं परन्तु हम यह जानना चाहते हैं कि किस तारीख तक नाम बताया जाएगा। वह नाम कब बताएंगे ?

श्री नन्दा : इसमें विलम्ब नहीं होगा।

बीज विधेयक
SEEDS BILL

प्रवर समिति में सदस्य की नियुक्ति

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि कुछ प्रकार के बीजों की बिक्री के लिए उनकी क्वालिटी के विनियमन तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति में श्री अन्ना साहब शिन्दे के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, श्री श्याम धर मिश्र को नियुक्त किया जाये।"

इस सम्बन्ध में सभा यह जानना चाहेगी कि श्री शिन्दे ने त्याग पत्र क्यों दिया तथा श्री श्याम धर मिश्र को क्यों शामिल किया गया है। इसके लिए मैं श्री शिन्दे द्वारा अध्यक्ष महोदय को भेजे गये पत्र की ओर ध्यान दिलाता हूँ जिसमें कहा गया है कि चूंकि श्री श्याम धर मिश्र, खाद्य, कृषि और सामुदायिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री हैं और बीजों से सम्बन्धित विषयों की देख-रेख करते हैं, श्री शिन्दे ने बीज विधेयक पर प्रवर समिति से त्याग-पत्र दे दिया है और यह अनुरोध किया है कि उसे स्वीकार किया जाए तथा उनके स्थान में श्री श्याम धर मिश्र की नियुक्ति के लिए सभा में एक औपचारिक प्रस्ताव रखने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ प्रकार के बीजों की बिक्री के लिए उनकी क्वालिटी के विनियमन तथा तत्संसक्त

विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति में श्री अन्ना साहब शिन्दे के स्थान पर, जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है, श्री श्याम धर मिश्र को नियुक्त किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नन्दा ।

श्री दाजी : इससे पहले कि आप अगली कार्यवाही आरम्भ करें, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार डा० लोहिया द्वारा परसों सभा-पटल पर रखे गये पत्र पर आज उत्तर देगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : बुधवार को ।

दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश (न्यायिक तथा कार्यपालिक कृत्यों का पृथक्करकण) विधेयक

DELHI AND HIMACHAL PRADESH (SEPARATION OF JUDICIAL AND EXECUTIVE FUNCTIONS) BILL

गृहकार्य मन्त्री (श्री नन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्रों में न्यायिक तथा कार्यपालिका कृत्यों के पृथक्करण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं वित्तीय ज्ञापन की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ । उसके पृष्ठ 35 पर कहा गया है कि इस निर्णय के फलस्वरूप कुछ अतिरिक्त व्यय हो सकता है । दिल्ली के लिए यह व्यय 2 लाख रुपये (अनावर्तक) तथा 12 लाख रुपये आवर्तक होगा और इसकी पूर्ति भारत की संचित निधि से होगी ।

यह विधेयक दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लिए है । विधेयक के अन्तिम भाग में केवल दिल्ली का उल्लेख है । हिमाचल प्रदेश पर होने वाले व्यय का कोई उल्लेख नहीं है । खण्ड 5 और 7 जो मोटे अक्षरों में हैं, संघ राज्यक्षेत्रों के बारे में है । नियम बिल्कुल स्पष्ट है । नियम 69 के अन्तर्गत विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन होना चाहिये । नियम 69 में दिया हुआ है कि :

> "जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खण्डों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायेगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायेगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो ।"

चूंकि यह विधेयक दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश दोनों से सम्बन्धित है, परन्तु केवल दिल्ली के व्यय का उल्लेख किया गया है, यह विधेयक नियमानुकूल नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि यह विधेयक 100 से अधिक पृष्ठों का है और शुद्धि पत्रों की सूचियाँ भी 100 से अधिक मदों की हैं । सरकार की कार्य कुशलता बराबर कम होती जा रही है । सदस्यों

के लिए यह बहुत कठिन हो जाता है कि वे विधेयक में शुद्धि पत्रों से इतनी अधिक शुद्धियां कर सकें।

अतः इस विधेयक को पेश न किया जाए। इसे वापस मन्त्रालय को भेज दिया जाए। अगले सत्र में इस विधेयक को लाया जाए। इस सत्र में तो यह पारित भी नहीं हो सकता।

श्री नन्दा : मैं ठीक-ठीक स्पष्टीकरण को पढ़ना चाहता हूँ। चूंकि संघ राज्य क्षेत्र की ओर से उपबन्ध है अतः अतिरिक्त उपबन्ध की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश पर व्यय का उल्लेख नहीं किया गया है। दिल्ली के लिए अतिरिक्त उपबन्ध किया गया है। शेष उन अनुदानों के अन्तर्गत आता है जो दी जा चुकी हैं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : माननीय मन्त्री गलत कह रहे हैं। नियमों के अन्तर्गत आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का उल्लेख होना चाहिए।

श्री नन्दा : केवल दिल्ली के लिए अतिरिक्त व्यवस्था है। जब थोड़ा सा व्यय ही अन्तर्ग्रस्त होता है तो सरकार अनुदान की राशि को न बढ़ाने का भी विचार कर सकती है। चूंकि कोई अतिरिक्त अनुदान नहीं दिया जाएगा वित्तीय ज्ञापन में हिमाचल प्रदेश की संचित राशि में से होने वाले व्यय का उल्लेख नहीं किया गया है। चूंकि अतिरिक्त व्यय नहीं हो रहा है, वित्तीय ज्ञापन में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उल्लेख वित्तीय ज्ञापन में होना चाहिए था।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ। माननीय मन्त्री ने जो कुछ कहा है उसे मैं समझ नहीं सका हूँ। मैं सरकार की यह बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हिमाचल प्रदेश के लिये कोई व्यय अन्तर्ग्रस्त नहीं है। सरकार इस मामले को टाल कर विधेयक को पेश करना चाहती है।

श्री नन्दा : मैं इस मामले की और अधिक जांच करूंगा। यदि किसी अग्रेतर जानकारी की आवश्यकता होगी तो वह दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री इस विधेयक को कल पुरस्थापित करें। कल शुद्धि किया हुआ ज्ञापन दिया जायेगा और तब ही विधेयक को पेश किया जायेगा।

रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) : विधेयक–जारी

RAILWAY PROPERTY (UNLAWFUL POSSESSION) BILL--Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिए 2 घन्टे नियत किये गये हैं परन्तु पहले ही 3 घंटे और 25 मिनट लिए जा चुके हैं। अतः माननीय सदस्य 15 मिनट से अधिक न लें।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : यह एक छोटा सा विधेयक है परन्तु चूंकि यह संविधान के अन्तर्गत सब नागरिकों को मिले मूल अधिकारों के विरुद्ध है इसलिए इसको पारित करने में इतना समय लग रहा है। विधेयक के धारा 8 के अनुसार बल के किसी अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किये गये अथवा धारा 7 के अन्तर्गत उसके पास भेजे गये किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप की जांच वह अधिकारी करेगा। मैं इसके स्थान में यह संशोधन कराना चाहता हूं कि "मामले की जांच पड़ताल के लिए उसे निकटतम के पुलिस अधिकारी के पास ले जाया जायेगा।" क्या ऐसे उपबन्ध

द्वारा एक नागरिक को, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए पकड़ा गया हो, संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा दिये गये अपना बचाव करने के मूलभूत अधिकार से वंचित किया जा सकता है ? संविधान के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के पश्चात् 24 घन्टे के अन्दर मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया जाना चाहिए। परन्तु यहां बजाय किसी पुलिस अधिकारी के सम्मुख अथवा किसी थाने में ले जाये जाने के उसे रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी के सामने पेश किया जायगा। अभियुक्त को अपना बचाव करने के लिये कोई कानूनी उपाय नहीं है। उसे संविधान के अन्तर्गत गारन्टी किये गये मूलभूत अधिकारों का भी कोई लाभ नहीं है। इन बातों का स्पष्टीकरण किया जाए।

पुलिस के क्षेत्राधिकार के स्थान में रेलवे सुरक्षा बल के अधिकार को नहीं रखा जा सकता। रेलवे सुरक्षा बल को पुलिस का प्राधिकार नहीं दिया जा सकता। अतः मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पाटिल।

श्री बड़े (खरगांव) : यहाँ ऐसा उपबन्ध है कि रेलवे सुरक्षा बल किसी व्यक्ति को पकड़ कर मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है। परन्तु खण्ड 5 के अनुसार अपराध अहस्तक्षेप्य बना दिया गया है। अतः उसे वहीं और उसी समय जमानत पर छोड़ दिया जाना चाहिए। उसे हिरासत में नहीं रखा जा सकता और मजिस्ट्रेट के पास नहीं भेजा जा सकता। माननीय मन्त्री इस कठिनाई को किस प्रकार दूर करेंगे ?

रेलवे मन्त्री (श्री स० का० पाटिल) : विधेयक में दी गई विशेष प्रक्रिया द्वारा रेलवे सुरक्षा बल को वे शक्तियां दी गई हैं। इन अपराधों को इसलिये अहस्तक्षेप्य बनाया गया है कि पुलिस बिल्कुल दखल न दे सके। रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी को कार्यवाही करनी होगी।

जहां तक मूलभूत अधिकारों, स्वतन्त्रता आदि की बात है, वे लागू रहेंगे चाहे इस संहिता के अन्तर्गत हों अथवा किसी और संहिता के। यह एक बिलकुल ही पृथक व्यवस्था है। अतः किसी पकड़े गये व्यक्ति को पुलिस के समक्ष प्रस्तत करने आदि का कोई प्रश्न नहीं है।

मैं संशोधनों का विरोध करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन 7 और 8 सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7 और 8 मतदान के लिये रखें गए तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments No. 7 and 8 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 82 **विपक्ष में :** 10

Ayes : 82; **Noes** : 10

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 9

श्री नम्बियार : मैं संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री बड़े : मैं संशोधन संख्या 10 और 11 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नम्बियार : खण्ड 9 के अन्तर्गत, बल का कोई भी अधिकारी जांच कर सकता है और किसी भी व्यक्ति को, जिसकी उपस्थिति साक्ष्य देने के लिये अथवा कोई दस्तावेज पेश करने के लिए वह आवश्यक समझता हो, तलब कर सकता है। यह उस अधिकारी को न्यायिक अधिकारी की सभी शक्तियां देने के बराबर है। क्या वह न्यायिक अदालत है? यह कैसे संभव हो सकता है?

एक पुलिस अधिकारी जांच के लिए किसी व्यक्ति को बुला सकता है परन्तु न्यायिक जांच एक मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय के समक्ष की जायगी। यह एक अजीब कानून है, विधि शास्त्र में जिसका कहीं भी उदाहरण नहीं मिल सकता है। अतः मेरा संशोधन यह है कि उप खंड (4) को निकाल दिया जाए ताकि इस अधिकारी द्वारा गवाहों तथा दस्तावेजों के तलब करने की कार्यवाही को न्यायिक कार्यवाही न समझा जाए।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : मैं इससे सहमत हूँ।

श्री नम्बियार : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि श्री अणे जैसे वरिष्ट सदस्य भी मुझसे सहमत हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाए।

श्री बड़े : मेरा संशोधन बहुत ही स्पष्ट है। यहां मैं श्री नम्बियार से सहमत नहीं हूँ। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि एक पुलिस अधिकारी, एक रेलवे अधिकारी किसी गवाह को तलब कर सकता है। परन्तु तलब करने के पश्चात् उसे शपथ दिलाकर परीक्षा न करे, अतः मैंने अपना संशोधन दिया है। यह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अधीन जांच होनी चाहिए। अतः उपखण्ड (4) को हटा दिया जाए। विधिशास्त्र के अन्तर्गत जाँचपड़ताल न्यायिक जांच नहीं हो सकती। मैं चाहता हूँ कि उप-खण्ड (4) के स्थान पर मेरा संशोधन रखा जाय कि जैसा पहले कहा गया है ऐसी जांच को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अधीन जांच माना जायगा क्योंकि ऐसे बयान जो शपथ पर लिए गए हैं तथा उन पर तलब किए गए व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं, और यदि वह एक न्यायिक जांच है, तो वे बयान अदालत में स्वीकार्य हैं। अतः मैं यह नहीं चाहता कि एक पुलिस अधिकारी अथवा वह व्यक्ति जिसे पुलिस अधिकारी की शक्तियां मिली हुई हैं जांच करते समय शपथ पर बयान भी ले। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

डा० मा० श्री० अणे : खंड 9 देश के वर्तमान दंडकानून से गम्भीर रूप से पृथक है। जब एक पुलिस अधिकारी जांच-पड़ताल करें तो उसको शपथ दिलाने का अधिकार देकर उस जाँच पड़ताल को न्यायिक जांच में बदल देना एक ऐसी अनोखी प्रक्रिया है जिसके बारे में कभी नहीं सुना गया है। अतः मैं माननीय श्री नम्बियार के कथन से सहमत हूँ।

विधि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : दण्ड प्रक्रिया संहिता के खंड 4 (एम) में "न्यायिक कार्यवाही जुडीशियल प्रोसीडिंग" वह कार्यवाही है जिसके दौरान शपथ पर साक्ष्य लिया जाता है अथवा लिया जा सकता है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के अर्थ में "न्यायिक कार्यवाही" किसी न्यायालय के सामने कार्यवाही के प्रारम्भ में विधि द्वारा निर्देशित एक जांच-पड़ताल है। वह न्यायिक कार्यवाही का एक अंग है चाहे वह जांच-पड़ताल न्यायालय के सामने न हुई हो। यह उपबन्ध केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम 1964 की धारा 14 (3) में दिये गए उपबन्धों पर आधारित है।

यह 1944 का अधिनियम है। तुलना के लिए मैं विधेयक के उपबन्ध को तथा माननीय सदस्य के संशोधन को पढ़ देता हूँ।

विधेयक में यह उपबन्ध है कि "प्रत्येक ऐसी जांच को जिसका पहले उल्लेख किया गया है, भारतीय दन्ड संहिता की धारा 193 तथा धारा 228 के अर्थ में "न्यायिक कार्यवाही" माना जायगा।"

माननीय सदस्य का संशोधन यह है कि "प्रत्येक ऐसी जांच को जिसका पहले उल्लेख किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 162 के अधीन जांच माना जायगा।"

जैसा कि मैंने पहले कहा है यह उपबन्ध कोई नया उपबन्ध नहीं है क्योंकि यह उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 की धारा 14 (3) पर आधारित है और जैसा कि आपको पता है न्यायिक जांच की परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसमें यह सभी स्थितियां आ जाती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 9 मतदान के लिए रखा गया

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 17 विपक्ष में 82

Ayes 17 Noes 82

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 10 और 11 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments Nos. 10 and 11 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 9 was added to the Bill.

खंड 10 से 16, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 10 to 16, clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

रेलवे मन्त्री (श्री स० का० पाटिल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : रेलवे मन्त्री को यह विधेयक वापिस ले लेना चाहिए । मैंने अपने मूल भाषण में इसके कारण बताये थे । इस विधेयक से रेलवे में चोरी को रोकने में सहायता नहीं मिलेगी बल्कि इससे रेलवे सुरक्षा दल के लिये कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी और वे दूसरों के लिये कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे जिनके प्रति उनके कुछ व्यक्तिगत भेदभाव हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : जब यह विधेयक पास होकर अधिनियम बन जाये तो मन्त्री महोदय को देखना चाहिये कि रेलवे सुरक्षा दल जिसका काम रेलवे सम्पत्ति की रक्षा करना है स्वयं अपनी रक्षा कर सके क्योंकि इनमें दमन के कारण बहुत असन्तोष है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

पंजाब पुनर्गठन विधेयक

PUNJAB RE-ORGANISATION BILL.

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पंजाब राज्य के पुनर्गठन तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले तथा इससे सम्बन्धित विधेयक पर विचार करेगी । कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

सभा के नेता (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मेरे विचार में इस विधेयक के लिये चार घण्टे का समय पर्याप्त होगा । हम आज इस विधेयक पर चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे चाहे हमें इसके लिये अर्द्ध-रात्रि तक ही क्यों न बैठना पड़े । रात के भोजन की भी यहीं पर व्यवस्था है ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : मेरा प्रस्ताव है कि इस विधेयक पर चर्चा के लिये 15 घण्टे का समय रखा जाये क्योंकि इस विधेयक पर बहुत से खण्ड तथा 10 अनुसूचियाँ हैं । इस विधेयक पर चर्चा को चार घण्टे में समाप्त नहीं किया जा सकता ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : दूसरे भी कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिन पर चर्चा की जानी है इसलिये इस विधेयक पर कल भी चर्चा नहीं की जा सकती ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सिद्धान्ती जी के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाना है ।

श्री सत्य नारायन सिन्हा : आज इस विधेयक पर चर्चा समाप्त करने के पश्चात् कल उसको लिया जा सकता है ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है । इसको पास करने में जल्दी से कार्य नहीं लिया जाना चाहिये । इस विधेयक पर चर्चा चार घण्टे में समाप्त नहीं की जा सकती ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यदि देर से बैठना पड़े तो हम उसके लिये भी तैयार हैं । मेरा निवेदन यह है कि आज तीन मदों को कल पर स्थगित कर दिया जाये और आज इस

विधेयक पर 7 अथवा 7.30 बजे तक चर्चा की जाये और यदि आवश्यकता हो तो कल सारी रात सभा बैठ सकती है।

श्री हरी विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा निवेदन है इस विधेयक को पास करने में जल्दी नहीं करनी चाहिये और यदि आवश्यकता हो तो सभा के सत्र को शुक्रवार तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। राज्य सभा भी शुक्रवार तक बैठ रही है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है इस लिये इस पर बड़ी सावधानी से विचार किया जाना चाहिये। मैं अपने माननीय मित्र से सहमत हूँ कि इस विधेयक के लिये 15 घण्टे का समय नियत किया जाना चाहिए।

श्री दे० द० पुरी (कैथल) : मैं सभा के नेता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ तथा मेरा सुझाव है कि इस विधेयक के लिये 8 घण्टे का समय नियत किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में सभी इस बात पर सहमत हैं कि जब तक सम्भव हो आज इस पर चर्चा की जाये और यदि आज समाप्त न हो तो इस विधेयक को कल भी लिया जाये। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने मुझे लिखा है कि वह एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

Shri Parkash Vir Shastri (Bijnor) : Discussion on this Bill cannot be taken up because it is contrary to the provisions of the Constitution and it is also against the rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

First of all I would like to say that case regarding Kharar Tahsil is under sub-judice. According to rule 59 of the Rules of Procedure and conduct of Business in Lok Sabha a matter which is under **sub-judice** cannot be taken by any Member in Lok Sabha. Thus this matter cannot be taken up in this House.

No announcement has so far been made in this House to the effect whether President has given his assent to Constitution (Amendment) Bill in regard to the Union Territory of Himachal Pradesh. Untill and unless announcement to that effect is made no Bill, contingent to that Bill can be brought up for consideration of the House.

According to Article 170 of the Constitution, the Legislative Assembly of a State shall consist of not less than sixty members directly elected by the people and from the Constituencies of that State. In the proposed State of Hariana, the number of directly elected members would only be 54. Thus the Legislative Assembly could not be formed according to the provisions of the Constitution. It has now been said in this Bill that eight members of the Legislative Council will also be included and thus the total number will come to sixty two. But in this connection I would like to say that this cannot be done unless Article 170 of the Constitution is amended. I would therefore, request that this Bill may not be considered any further.

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : 3 सितम्बर, 1966 के 'ट्रीब्यून' में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि खरड़ तहसील के कुछ भाग को पंजाबी सूबे में सम्मिलित करने तथा चण्डीगढ़ को संघीय क्षेत्र बनाने के विरुद्ध उच्चत्तम न्यायालय में एक मामला विचाराधीन है। नियम 352 के अनुसार यदि कोई न्यायालय के विचाराधीन हो तो किसी भी सदस्य द्वारा उस मामले को इस सभा में नहीं उठाया जा सकता।

उच्चत्तम न्यायालय के नियमों के अनुसार भी यदि किसी मामले के बारे में याचिका दी गई हो अथवा उससे सम्बन्धित दस्तावेज दिये गये हों तो उस मामले को न्यायालय के विचाराधीन

मामला ही समझना चाहिए। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब तक इस मामले पर निर्णय नहीं हो जाता, इस विधेयक पर इस सभा में चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरी इस विधेयक को पारित करने के मामले में विलम्ब डालने की कोई इच्छा नहीं है परन्तु मुझे विश्वास है कि सभा काफी सतर्क रहेगी कि इस विधेयक को पारित करने में संविधान तथा प्रक्रिया नियमों की उपेक्षा न हो।

न केवल संविधान के अनुच्छेद 110 और 117 बल्कि अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत भी राष्ट्रपति की सिफारिशों का दिया जाना आवश्यक है। मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 3 की ओर दिलाना चाहता हूँ। इसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को विधान मण्डल को भेजा जाना चाहिए था क्योंकि पंजाब विधान मण्डल अभी बना हुआ है और कि उसको भंग नहीं किया गया है। कम से कम हिमाचल प्रदेश विधान-मण्डल तो विद्यमान है और संवैधानिक ढंग से कार्य भी कर रहा है। परन्तु इस विधेयक को न तो पंजाब विधान-मण्डल और न ही हिमाचल प्रदेश विधान-मण्डल में भेजा गया है।

इन विधान मण्डलों को इस उक्त अनुच्छेद के अन्तर्गत विचार तथा निर्णय लेने के लिये समय दिया जाना भी आवश्यक है। इस समय की समाप्ति पर ही इस विधेयक को पुनः इस सभा में पेश किया जा सकता है।

इस मामले में अनुच्छेद 4 का उल्लेख भी किया जा सकता है यह विधेयक तब तक अवैध है जब तक सीधे चुनाव के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी इस अनुच्छेद में संशोधन नहीं किया जाता।

चौथी अनुसूची में केवल राज्य सभा के सदस्यों का उल्लेख किया गया है जिनकी सदस्यता 1968, 70 और 72 में समाप्त होने वाली है। क्या ऐसा करना उचित है।

इस विधेयक में इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया है कि लोक सभा के कौन-कौन से सदस्य, हरियाना, पंजाबी सूबे तथा हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह विधेयक अनुच्छेद 3 तथा 4 के बिल्कुल विरुद्ध है।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : तीन कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है।

जहाँ तक न्यायिक निर्णय के लिये निलम्बित मामले का सम्बन्ध है मेरी जानकारी यह है कि उच्चतम न्यायालय के पास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध एक अभ्यावेदन दिया गया है। इसलिये कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है जिसके लिये नियम 352 के अन्तर्गत रोक लगाई गई हो।

मैं अनुच्छेद 170 के बारे में श्री प्रकाशवीर से सहमत हूँ जिसमें कहा गया है कि विधान सभा के सदस्य 60 से कम नहीं होने चाहिए और उसी राज्य के चुनाव क्षेत्रों से चुने गये होने चाहिए।

60 सदस्यों की इस संख्या को पूरा करने के लिए हम प्रस्तुत विधेयक के खण्ड 16 के अन्तर्गत वर्तमान राज्य विधान-परिषद् के 8 सदस्यों को इनमें मिला रहे हैं। इस उपबन्ध द्वारा हम इन सदस्यों को राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गये सदस्यों की प्रतिष्ठा दे रहे हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। किन्तु अनुच्छेद 170 में इस प्रकार की

कोई बात नहीं है। किसी विधि द्वारा हम किसी सदस्य को एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से चुने गये सदस्य की प्रतिष्ठा नहीं दे सकते।

प्रस्तावित हरियाना राज्य में केवल 54 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसलिए हम प्रस्तुत विधान के द्वारा उनकी संख्या 54 से बढ़ाकर 62 कर रहे हैं, परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करता है, बिना कोई परिसीमन किये और बिना किसी निर्वाचन क्षेत्र के 8 सदस्यों को इन निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचित मान लिया जा रहा है जिसका अर्थ यह होगा कि यदि कोई व्यक्ति इसके विरुद्ध न्यायालय में जाये, तो उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा विधेयक के खण्ड 16 को शक्ति-वाह्य घोषित किया जायेगा। अतः ऐसे कानून को जिसे किसी भी नागरिक द्वारा कल को चुनौती दी जा सकती है, पारित करने का क्या लाभ है ? विधेयक में ऐसा उपबन्ध बनाने के बजाये संविधान में सीधे तौर पर संशोधन करना बेहतर रहेगा।

प्रस्तुत विधेयक संविधान संशोधन विधेयक पर, जिसे हमने हाल में पारित किया है, निर्भर करता है। अतः इस विधेयक को संविधान में संशोधन किये बिना न तो लाया जा सकता था और न ही उस पर इस सभा में चर्चा की जा सकती है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : जहां तक राष्ट्रपति की स्वीकृति के सम्बन्ध में उठाई गई आपत्ति का सम्बन्ध है, 27 अगस्त को राष्ट्रपति ने राज्य क्षेत्र के हस्तान्तरण का उपबन्ध करने वाले संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति दे दी है, दूसरी बात यह कि राष्ट्रपति ने राज्य सभा द्वारा पारित एक विधेयक पर भी, जो किसी अन्य विधेयक पर निर्भर था, स्वीकृति दे दी है। अतः इन दो आपत्तियों का तो निराकरण हो गया है।

ऐसा कहा गया है कि मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी दिन किसी प्रकार का एक लेख (रिट) प्रस्तुत किये जाने के कारण संसद की कार्यवाही बन्द हो जाती है, तो फिर सभा में तो कोई कार्य ही नहीं हो सकता। यदि कोई लेख-याचिका दायर की गई है तो वह प्रस्तुत विधेयक पर विचार करने के मामले में रुकावट नहीं बन सकती।

पंजाब विधान मण्डल को जीवित रखने के बारे में भी प्रश्न उठाया गया है। अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने पंजाब विधान मंडल का सारा कार्य अपने हाथ में ले लिया है। सच तो यह है कि जब तक प्रस्तुत विधेयक पारित नहीं हो जाता, तब तक विधान सभा वर्तमान परिस्थितियों में अब कार्य नहीं कर सकती। इस विधेयक को पारित करके वहां पूर्व-स्थिति कायम की जा सकती है अर्थात इन कार्यों का प्रत्यर्पण किया जा सकता है। जहां तक हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश एक राज्य न होकर एक संघ राज्य क्षेत्र है। कुछ क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को हस्तान्तरित किया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिए हमें संविधान में पहले ही संशोधन करना पड़ा है।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने उठाया है, यह है कि हरियाना के लिए विधान सभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम होगी, जो एक समस्या है। इस समस्या को हल करने के दो उपाय हैं। एक यह कि राज्य विधान सभा का गठन 54 सदस्यों से ही किया जाए, दूसरा यह है कि परिषद् के कुछ ऐसे सदस्यों को मिलाकर इस संख्या को बढ़ाया जाये- जो विधान-सभा के सदस्यों द्वारा चुने तो न गये हों किन्तु जो प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से आये हुए हैं और उन्हें निर्वाचित समझा जाये। इस प्रश्न का मुख्य सम्बन्ध अनुच्छेद 4 से है। जब

पुनर्गठन किया जायेगा तो सभी उपबन्धों के अनुसार हर प्रकार की स्थिति में कार्य करना संभव नहीं हो सकेगा। ऐसी स्थिति में हम कुछ उपबन्धों का अनुसरण नहीं कर सकेंगे—और इस प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 4 में उपबन्ध किया गया है कि "पूर्वोक्त प्रकार ऐसी किसी विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जायेगा।" इसका अर्थ यह हुआ कि प्रतिनिधित्व आदि से सम्बन्धित इन समनुवर्ती परिवर्तनों के लिए कुछ ऐसी बातें की जा सकती हैं जिनका संविधान के किसी अनुच्छेद से विरोध हो सकता है, दूसरी बात यह है कि पुनर्गठन के पहले मामलों में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी और इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। अतः यह प्रक्रिया पहले सफल सिद्ध हो चुकी है।

इस समस्या को हल करने के दो मार्ग थे, हमने इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया और सोचा कि संभवतः अधिक उपयुक्त रास्ता यह होगा कि परिषद् के सदस्यों को शामिल न किया जाये। यद्यपि हमें सलाह दी गई थी कि ऐसा हो सकता है तथापि हमने परिवर्तन करने की बात सोची जिससे हम 54 की संख्या रखकर इस सन्देह को मिटा सकें और इस उपबन्ध विशेष को मान्यता देने के हेतु अनुच्छेद 4 (एक) को फिर से लागू करना पड़ेगा। यह सच है कि इस सम्बन्ध में जो प्रश्न उठाये गये हैं संवैधानिक दृष्टि से उनमें काफी बल है। हम इस बारे में कुछ कर रहे हैं और एक संशोधन भी ला रहे हैं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : अनुच्छेद 333 के अन्तर्गत केवल आंग्ल-भारतीय मनोनीत किये जा सकते हैं। चुनावों के बारे में शक्ति का सम्बन्ध अनुच्छेद 170 से है जिसके अन्तर्गत कम से कम 60 सदस्य होने जरूरी हैं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : "राज्य" शब्द के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल करने के लिए अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया है। यह कानून हमने हाल ही में पारित किया है जिसका आशय यह है कि "राज्य" शब्द में संघ राज्यक्षेत्र शामिल है। अतः इस विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा हिमाचल प्रदेश को भी भेजा जाना चाहिए था। संविधान (संशोधन) विधेयक हमने केवल पिछले सप्ताह में ही पारित किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : गृह-कार्य मन्त्री ने पहले ही बता दिया है कि सदस्यों द्वारा उल्लिखित विधेयक के लिए राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई है।

जहां तक श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा उठाये गये नियम 352 का सम्बन्ध है, उसमें यह कहा गया है कि कोई सदस्य अपने भाषण में किसी ऐसे मामले का उल्लेख नहीं करेगा जो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हो। सभा को पहले ही सूचना दी जा चुकी है यह कोई मामला न होकर केवल एक याचिका है। अतः यह नियम भी लागू नहीं होता। एक बात यह कही गई है कि विधेयक पंजाब विधान सभा को नहीं भेजा गया है। गृह-कार्य मन्त्री ने पहले ही यह उत्तर दे दिया है कि पंजाब विधान-सभा अब अस्तित्व में नही है तथा राष्ट्रपति ने विधान-मंडल की सभी शक्तियां अपने हाथ में ले ली हैं, अतः व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। जहां तक संविधान के अनुच्छेद 170 का सम्बन्ध है, सरकार ने इस सम्बन्ध में पहले ही संशोधन प्रस्तुत कर दिया है।

Shri Prakash Vir Shastri: Sir, it is very unfortunate that we are going to pass this Bill in a haste. It will be a blot on the dignity of Parliament if it is challenged tomorrow by any citizen in a law court and got it declared null and void.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य की बातें पहले ही सुन चुका हूँ और मैंने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुये अपना विनिर्णय दे दिया है।

अब श्री नन्दा

श्री नन्दा : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वर्तमान पंजाब राज्य के पुनर्गठन तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri Prakash Vir Shastri: Sir, you have given a wrong ruling. As a protest of this ruling I leave the House.

(इसके पश्चात् श्री प्रकाशवीर शास्त्री सभा-भवन से बाहर चले गये)

SHRI PRAKASH VIR SHASTRI LEFT THE HOUSE

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं।**
SHRIMATI RENU CHAKRAVARTI *in the Chair.*]

श्री नन्दा : इस विधेयक के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण बात जो रही है वह नये राज्यों अर्थात् हरियाना और पंजाब का निर्माण तथा वर्तमान पंजाब राज्य के कुछ क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के वर्तमान संघ राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरित करके उसका विस्तार करना है, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण भी इसमें शामिल है। इन नये राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का निर्माण 1 नवम्बर, 1966 से होगा।

पंजाब सीमा आयोग की उन सभी सिफारिशों को, जो सर्व सम्मति से दी गई हैं, हमने स्वीकार करने का निश्चय किया है और उन्हें विधेयक में भी जोड़ दिया गया है। जहाँ तक खरड़ तहसील का प्रश्न है, इस बारे में उक्त आयोग भी सर्वसम्मत निर्णय पर नहीं पहुँच सका। इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक हो गया है कि हम इस ओर ध्यान दें तथा इस समस्या पर नये सिरे से सोचें और ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचें जो सब के हित में हो। हमने निर्णय किया कि चंडीगढ़ को, जो कि इस समय वर्तमान पंजाब राज्य की राजधानी है और जिसे इस समय न तो पंजाबी क्षेत्र में शामिल किया गया है और न ही हिन्दी क्षेत्र में, एक अलग इकाई के रूप में रखा जाये और शेष खरड़ तहसील को पंजाब तथा हरियाना राज्यों के बीच वर्तमान क्षेत्रीय सीमाओं के साथ-साथ विभक्त किया जाये।

जहां तक चंडीगढ़ का सम्बन्ध है, इसकी कल्पना, योजना तथा डिजाइन सारे क्षेत्र अर्थात् हिन्दी तथा पंजाबी क्षेत्र की सेवा करने के लिए की गई थी, इसकी स्थिति ऐसी है कि आवश्यकता पड़ने पर यह हरियाना तथा पंजाब दोनों की ही राजधानी के रूप में कार्य कर सकता है। चंडीगढ़ के भावी विकास के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है, इसमें 44 वर्गमील का क्षेत्र होगा जिसमें 1 लाख 20 हजार की जनसंख्या होगी।

ऊना तहसील के सम्बन्ध में विवेचन करते हुए, आयोग ने विकास खंडों के आधार पर निर्णय दिया है, उसका परिणाम यह निकला कि नया नंगल अधिसूचित क्षेत्र, जो ऊना और आनन्दपुर साहब खंड के बीच स्थित है के सम्बन्ध में विशेष रूप से कोई भी सिफारिश नहीं की है, आयोग ने निःसन्देह यह कहा है कि इस क्षेत्र का उद्योग समूह पंजाब में रहना चाहिये।

जिसका अर्थ यह है कि नया नंगल अधिसूचित क्षेत्र पंजाब में मिलना चाहिये, फिर भी इस बारे में हमने आयोग से स्पष्टीकरण मांगा और उसने इस धारणा की पुष्टि की कि नया नंगल अधिसूचित क्षेत्र पंजाब में रहना चाहिये। इसी आधार पर ऐसा किया गया है।

मोटे तौर पर पंजाब तथा हरियाना के नये राज्यों की सीमाओं से वर्तमान क्षेत्रीय सीमा में कोई परिवर्तन नहीं होगा और हिमाचल प्रदेश को हस्तान्तरित किये जाने वाले क्षेत्र अधिकतर हिन्दी भाषी क्षेत्र के पर्वतीय इलाकों से होंगे।

खण्ड 12 के अनुसार इस क्षेत्र से लोक-सभा के सदस्यों के बारे में जो उपबन्ध और व्यवस्था है, वह उसी प्रकार रहेगी। खंड 23 से इस क्षेत्र से लोक सभा में भावी प्रतिनिधियों का विषय निर्धारित हो जाता है।

अगले निर्वाचन में लोक-सभा में हरियाना के लिए 9 स्थान, पंजाब राज्य के लिए 13 स्थान, हिमाचल प्रदेश के लिए 6 स्थान और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के लिए 1 स्थान होगा। खंड 9 से 11 में जो व्यवस्था है उसमें राज्य-सभा के सम्बन्ध में भी व्यवस्था शामिल है। राज्य सभा में हरियाना से 5 स्थानों की, पंजाव से 7 स्थानों को व्यवस्था की गई है और हिमाचल प्रदेश से 1 स्थान बढ़ाया जायगा। जैसा कि चतुर्थ अनुसूची में दिया हुआ है, वर्तमान पंजाब राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्तमान 11 सदस्य इन स्थानों की पूर्ति करेंगे। यह भी व्यवस्था की गई है कि उन दो रिक्त स्थानों को भी भरा जाये जो नियत दिन से उत्पन्न होंगे।

जहां तक विधान-सभाओं का सम्बन्ध है, राज्य विधान सभा के वर्तमान 154 सदस्यों में से 54 सदस्य हरियाना विधान सभा के हो जायेंगे और 13 सदस्य हिमाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य हो जायेंगे। शेष 87 सदस्य नये पंजाब राज्य विधान-सभा के सदस्य बनेंगे। अनुच्छेद 170 के उपबन्धों को देखते हुए विधान सभा में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने हुए 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। विधेयकों के उपबन्धों में यह व्यवस्था है कि विधान परिषद के वे 8 सदस्य जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं, विधान परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे और हरियाना विधान सभा के सदस्य हो जायेंगे, बेहतर रास्ता यह होगा कि इस उपाय का आश्रय न लिया जाये बल्कि विधान मण्डल में प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक किसी आनुसंगिक व्यवस्था के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 4 से जो सहायता हमें मिलती है, केवल उसी पर निर्भर रहते।

पुनर्गठित पंजाब राज्य के लिए प्रस्तावित विधान परिषद में 40 सदस्य होंगे।

इस विधेयक में पंजाब और हरियाना और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था है जिसका स्थान चंडीगढ़ में होगा।

भाग 5 व्यय के लिए प्राधिकार तथा राजस्व वितरण के बारे में है। भाग 6 बहुत महत्व पूर्ण है। वह आस्तियों तथा देनदारियों के विभाजन के बारे में है।

खंड 67 में वर्तमान राज्य विद्युत तथा राज्य भाण्डागार निगम के बारे में व्यवस्था है। उन्हें अन्तर्राज्यीय निकायों के रूप में जारी रखा जा रहा है। इस खंड में तथा अन्य खंडों में विघटन सम्बन्धी यह आवश्यक उपबन्ध है कि पुनर्गठन के एक वर्ष के भीतर इन निकायों का विघटन हो जायेगा। अभिप्राय यह है कि उस अवधि के भीतर नये राज्य अपने-अपने विद्युत बोर्ड और भाण्डागार निगम स्थापित करेंगे।

इस समय राज्य का वित्तीय आयोग न केवल वर्तमान पंजाब राज्य की अपितु हिमाचल प्रदेश और दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों की भी सेवा कर रहा है। अतः हमने यह निश्चय किया है कि वह इन क्षेत्रों की सेवा करता रहे परन्तु यदि किसी समय इस निकाय को पुनर्गठित करने अथवा विघटित करने की आवश्यकता पड़े, तो उसके लिए आवश्यक उपबन्ध हैं।

भाग 8 भाखड़ा-नांगल और व्यास परियोजनाओं के सम्बन्ध में है। इस बात से सभी सहमत हैं कि इन परियोजनाओं को समान्वित ढंग से चलाना सबके हित में है, अतः सभी इससे सहमत हैं कि भाग 8 में जो व्यवस्था की गई है, वह सबके लिए बहुत कल्याणकारी होगी। पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप पंजाब और हरियाना दोनों ही भाखड़ा नांगल परियोजना में काफी रुचि रखेंगे। परन्तु उसके मुख्य अंग या तो हिमाचल प्रदेश में रहेंगे या पंजाब में, अतः यह उपबन्ध किया गया है कि इस परियोजना में वर्तमान पंजाब राज्य के अधिकारों तथा दायित्वों को नये राज्यों में इस प्रकार बांटा जायेगा जैसा कि उनके बीच तय हो किन्तु यदि दो वर्षों में कोई समझौता नहीं हो पाता, तो उस स्थिति में केन्द्रीय सरकार उनके अधिकारों तथा दायित्वों को आदेश द्वारा निश्चित करेगी। इन परियोजनाओं के मुख्य अंगों के प्रशासन और देखभाल तथा उनको और कुछ अन्य सम्बन्धित सिंचाई योजनाओं को चलाने के लिए खंड 79 में प्रबन्ध बोर्ड के लिए उपबन्ध किया गया है।

भाखड़ा परियोजना की तरह व्यास परियोजना भी पंजाब और राजस्थान सरकार का एक संयुक्त उद्यम है और पुनर्गठन के पश्चात् हरियाना और हिमाचल प्रदेश का भी इस परियोजना में हित है। अतः यह व्यवस्था की गई है कि इस परियोजना के बारे में अधिकार तथा दायित्व नये राज्यों द्वारा परस्पर सहमति से आपस में बाँटे जायें और ऐसा न होने पर केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में अपना आदेश देगी। परियोजना के निर्माण के लिए भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड जैसा एक बोर्ड बनाने का विचार है। नये राज्यों तथा राजस्थान राज्य की ओर से निर्माण कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा और जब इस परियोजना के मुख्य अंग पूरे हो जायेंगे तब यह विचार है कि उनका प्रशासन, देखभाल तथा उन्हें चलाने का काम भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड को सौंप दिया जाये।

मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाखड़ा-नंगल तथा ब्यास परियोजना का प्रशासन इस प्रकार चलाया जायेगा जो कि इन राज्यों तथा राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।

अन्त में मैं एक अपील करना चाहता हूँ। एक तो यह कि हम इस विधेयक को जल्दी से जल्दी पास करना चाहते हैं। दूसरे यह कि चर्चा के दौरान में यह प्रयत्न हो कि यह मामला सद्भावना से तय हो जाये और ऐसी कोई बात न कहें जिससे आपस में द्वेष फैले।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"वर्तमान पंजाब राज्य के पुनर्गठन तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री कपूरसिंह (लुधियाना) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। मैं इसका विरोध अपने पुराने दल की ओर अर्थात् श्रोमनी अकाली दल तथा अपने चुनाव हलके की ओर से करता हूँ। इससे राष्ट्रीय एकता में कमी होगी।

इस विधेयक द्वारा जो बहुसंख्य समाज तथा कांग्रेस ने सिखों को जो वचन दिया था उससे वे पीछे हटे हैं।

1929 में अखिल भारतीय काँग्रेस समिति का लाहौर में जलसा हुआ था। उस अवसर पर महात्मा गांधी, पं० मोती लाल नेहरू तथा पं० जवाहर लाल नेहरू सिखों के नेता बाबा खड़क से मिले और उन्हें आश्वासन दिया कि स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत का कोई ऐसा संविधान नहीं बनाया जायगा जो सिखों को मन्जूर नहीं होगा। इसके बारे में एक संकल्प हुआ।

उसके पश्चात् अगस्त 1930 में वह आश्वासन फिर बार-बार दोहराया गया। इसी आश्वासन के कारण सिखों ने अंग्रेजों तथा मुस्लिम लीग के सारे प्रस्ताव ठुकराये जिनमें कहा गया था कि सिखों को घाघरा तथा चनाब नदियों के बीच का क्षेत्र एक स्वतन्त्र अथवा स्वायत शासी राज्य के रूप में दिया जायेगा।

उसके पश्चात् 1932 में दूसरे गोल मेज सम्मेलन में अंग्रेज सरकार ने सरदार बहादुर शिवदेवसिंह से कहा था कि यदि वह कांग्रेस दल से अलग हो जावें तो उन्हें राजनीति में काफी महत्व दिया जायेगा। मेरी सूचना के अनुसार मास्टर तारा सिंह ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

इसकी तीसरी कड़ी जो तोड़ी गई है वह जुलाई 1946 का अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य-कारिणी समिति का कलकत्ता का सिखों को दिया गया आश्वासन है। उस समय भी सिखों को स्वायतशासी राज्य देने का वचन दिया था।

चौथी बार 1946 में जब दिल्ली में कैबिनेट मिशन आया तो उन्होंने स्वर्गीय सरदार बलदेव सिंह के द्वारा सिखों से कहा था कि यदि वे हिन्दू भारत से अलग होने को तैयार हैं तो ब्रिटिश संसद भारत स्वतन्त्रता अधिनियम को इस प्रकार बनायेगी ताकि वहां कोई भी संविधान तब तक नहीं बनाया जा सके जब तक सिखों की सहमति न हो। परन्तु सरदार बलदेव सिंह ने काँग्रेस नेताओं के कहने पर वह प्रस्ताव ठुकरा दिया।

पांचवे 1947 के अप्रैल में श्री मुहम्मद अली जिन्ना ने पहले मास्टर तारा सिंह और फिर महाराजा पटियाला से प्रस्ताव किया था कि पानीपत के पश्चिम से लेकर तथा रावी नदी के पूर्व तक एक स्वतन्त्र सिख राज्य बनाया जाये। परन्तु मा० तारा सिंह और महाराजा पटियाला ने इसे मानने से इन्कार कर दिया।

छटे, 9 दिसम्बर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो पं० जवाहरलाल नेहरू ने अल्पसंख्यकों के लिये एक प्रस्ताव पेश किया था परन्तु बाद में इस पर कार्य नहीं किया गया।

सातवें, जब मई 1947 में लार्ड माउन्ट बेटन, पं० जवाहर लाल नेहरू, नवाब लियाकत अली खां तथा सरदार बलदेव सिंह लन्दन गये तो ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के नेताओं ने सरदार बलदेवसिंह से कहा था कि वह थोड़े दिन और ठहर जाये तो ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि सिख अपना राजनीतिक अस्तित्व कायम रख सकें। परन्तु सरदार बलदेवसिंह ने श्री नेहरू से कहने के अनुसार वहां ठहरने से इन्कार कर दिया।

आठवें तथा अन्तिम मामला जुलाई 1947 में पंजाब विधान सभा के हिन्दू तथा सिख सदस्य दिल्ली मे एकत्रित हुए और उन्होंने सर्वसम्मति से एक संकल्प पास किया जिनमें भारत के विभाजन को माना गया तथा सिखों के न्याय संगत अधिकारों को मानने के बारे में कहा गया

था। परन्तु हिन्दुओं ने सिखों को राजनीतिक रूप से अपने नीचे रखने के प्रत्येक कार्य किये। उन्हें पंजाबी भाषी राज्य नहीं बनाने दिया तथा पंजाबी को अपनी मातृ भाषा नहीं माना।

सिखों के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में ही साफ कह दिया था कि वह इस संविधान को मानने को तैयार नहीं हैं।

इस विधेयक के बारे में मुझे कहना है कि पंजाब राज्य को अब एक बड़ा-सा जिला परिषद ही समझो। इसके लिए सरकार ने न्यायपालिका का प्रयोग किया है।

इसी सदन में सिखों के प्रतिनिधि को स्वतन्त्रता से नहीं सुना है तथा उन्हें पूरी तरह सुने बिना दंड दिया है।

श्रोमणी अकाली दल ने 20 जुलाई, 1966 को एक संकल्प पास किया है तथा इस विधेयक का विरोध किया है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वह ऐसा कानून बनाये जिससे पंजाब की समस्या का हल निकल आये।

श्री दे० द० पुरी (कैथल) : हम में से जो पंजाब में रहते हैं उन्हें तारासिंह की राजनीति का पता है। वह इस समय तो नहीं परन्तु बाद में भारत से अलग होने की है।

वह पंजाबी सूबा नहीं अपितु सिख राज्य चाहते हैं।

इस विधेयक में अब कटा हुआ हरियाना मिला है जिसका सिर कटा हुआ है। और यह कार्य सीमा आयोग ने नहीं अपितु भारत सरकार ने किया है।

आयोग ने मान लिया है कि फाजिल्का तहसील की जनसंख्या 60 प्रतिशत हिन्दी बोलने वालों की है। वहां की हायर सेकेन्डरी परीक्षा में 76.3 प्रतिशत ने हिन्दी को अपनी भाषा चुना था। वहां के राजस्व अभिलेख हिन्दी में बनाये जाते थे। इस सब से यह सिद्ध होता है कि वह हरियाने में होना चाहिये परन्तु उसे पंजाबी सूबे में दे दिया है।

ऐसे ही ढ़ाबवाली भी हिन्दी भाषी क्षेत्र हैं। ऐसा आयोग की रिपोर्ट में भी माना गया है। परन्तु उसमें से कल्याणवाली को अलग करके पंजाबी सूबे में मिला दिया है।

आनन्दपुर साहब को पंजाबी सूबे में सिख तीर्थ होने के कारण मिला दिया है। परन्तु सिख राज्य अथवा हिन्दू राज्य बनाने का आदेश आयोग को नहीं दिया था।

चन्डीगढ़ के बारे में तो बहुत ही बेदर्दी से काम लिया है। यह सिद्ध हो चुका है कि खरड़ तहसील की जनसंख्या में से 73.3 प्रतिशत हिन्दी-भाषी लोगों की है। विचारार्थ विषयों के अनुसार उन्हें कहा गया था कि तहसील को न तोड़ा जाये। उसे एक इकाई के रूप में रखा जाये। वहाँ विद्यार्थियों में से 72.5 प्रतिशत ने गत 5 वर्षों से अपनी परीक्षाओं के लिए हिन्दी को चुना था। प्रशासन के मामले में भी पंजाबी सूबे के पास पटियाला है जहाँ विधान सभा भवन तथा प्रशासन भवन हैं। सरकारी छापेखानों में से भी एक चन्डीगढ़ और दूसरा पटियाले में है। सरकारी छापेखाने के बिना सरकार नहीं चल सकती। इसलिये उस हिसाब से भी चन्डीगढ़ को हरियाणे को दे देना चाहिये था। विश्वविद्यालयों के मामले में भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सबसे छोटा विश्वविद्यालय है। एक विश्वविद्यालय पटियाला तथा दूसरा लुधियाने में है। तीन प्रशिक्षण कालेज भी जालन्धर में हैं जो कि पंजाबी सूबा में है। इंजिनियरिंग कालेज भी एक लुधियाना तथा पटियाले में है। इसलिये हर हिसाब से चन्डीगढ़ हरियाणे को जाना चाहिये था। भाषा की एकता के दृष्टिकोण से भी सारी खरड़ तहसील हरियाणे में मिलनी चाहिये।

अल्पसंख्यक प्रतिवेदन के बारे में यह बात है कि हम जब भी किसी संसदीय समिति तथा असंसदीय समिति के बारे में बात करते हैं तो हम विमति टिप्पण के बारे में कभी बात नहीं करते। हम केवल यह कहते हैं कि अमुक समिति ने अमुक सिफारिश की है। आयोग की रिपोर्ट वह मानी जाती है जो बहुसंख्यक की सिफारिश है। इसलिये हरियाने पर भारत सरकार ने गहरी चोट लगाई है।

विधेयक की सामान्य योजना के अनुसार पंजाब राज्य के उत्तरदायी दोनों हरियाना तथा पंजाबी सूबा होने चाहिये परन्तु वास्तव में पंजाबी सूबे को अवशिष्ट राज्य बना दिया है। मुझे इस पर कड़ी आपत्ति है। पंजाबी सूबे के लोग पुराने पंजाब राज्य से अलग होना चाहते थे तथा अलग राज्य प्राप्त करना चाहते थे। इसलिये अवशिष्ट राज्य हरियाणा होना चाहिये।

ऐसी ही गड़बड़ वर्तमान विधान सभा के सदस्यों के बारे में की गई है। वहाँ भी कहा गया है कि अमुक संख्या में विधान सभा के सदस्य, हरियाने में रहेंगे तथा अमुक संख्या में हिमाचल प्रदेश में और जो बाकी रहेंगे वे पंजाब विधान सभा के सदस्य रहेंगे।। मुझे इस बात से आपत्ति है कि चन्डीगढ़ का सदस्य पंजाबी सूबे की विधान सभा में बैठे।

गृह कार्य मंत्री यह कहते रहे कि चंडीगढ़ केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र है परन्तु यदि चंडीगढ़ का प्रतिनिधि पंजाबी सूबे के विधान मंडल में बैठेगा तो इसका हमारे दावे पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। चंडीगढ़ के सारे लाभ पंजाबी सूबे को मिल जायेंगे। इससे हरियाणा को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और यह हानि उसे उस स्थिति में होगी जबकि आयोग के बहुम ने इसे हरियाने में शामिल करना मान लिया गया था। आम तौर पर बहुमत का निर्णय स्वीकार कर लिया जाता है परन्तु इस दिशा में अपवाद किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वैसे भी प्रत्येक दृष्टिकोण से अर्थात् भाषा की एकता की दृष्टि से, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से और विश्वविद्यालयों की स्थिति को देखते हुए चंडीगढ़ हरियाने का ही है, परन्तु खेद की बात यह है कि उसे हरियाने में शामिल नहीं किया गया। यह हरियाना के लोगों के साथ बहुत भारी अन्याय है।

यह जो विधेयक हमारे सामने लाया गया है, लगता यह है कि इसका निर्माण ही इस प्रकार किया गया है कि मुख्य रूप से पंजाबी सूबे को लाभ हो। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि पंजाबी सूबे के लिये दूसरे सदन की व्यवस्था भी उचित नहीं कही जा सकती। मेरा इस बारे में अनुरोध है कि इस बारे में पुन: विचार करना चाहिये। यह संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। 1920 सदस्यों की संख्या विधान मंडल में कम हो तो इन धमकियों का मुकाबला करता रहा है। परन्तु अब उन आदमियों के हाथ में सत्ता थी जिनमें कोई दम-खम नहीं है। और उसके कारण हमारी यह स्थिति हो गई है।

श्री दाजी (इंदौर) : मैं निष्पक्ष भाव से इस समस्या पर विचार करूंगा। दोनों परस्पर विरोधी पक्ष मैंने सुने हैं मैं उस दल की ओर से बोल रहा हूँ जो कि निरन्तर पंजाबी सूबे का समर्थक रहा है। इसके लिए उसे कई बार गलत भी समझा गया है। मैं अपने दल की ओर से पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए बधाई देता हुआ पंजाबी सूबा और हरियाना राज्य को अन्य भारतीय राज्यों के परिवारों में उनका स्वागत करता हूँ। ऐसा करते हुए भी मैं यह महसूस करता हूँ कि इस विधेयक का निर्माण हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं हुआ है। मेरा विचार

यह है कि विधेयक का मुख्य ध्येय यह होना चाहिए था कि साम्प्रदायिक झगड़ों को सदा के लिए समाप्त कर दिया जाता। पर लगता यही है कि इस दिशा में कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। भविष्य में झगड़े की जड़ बनी रहेगी।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुई
SHRIMATI RENUKA RAY *in the Chair*]

अब देखना यह है कि इन झगड़ों का हम कहां तक रोक सकते हैं। आयोग बनाया गया। उसे काफी भारी निर्देश पद दिये गये। इसका विरोध भी हुआ परन्तु सरकार पर उसका कोई प्रभाव न हुआ। अब चंडीगढ़ के बारे में जो आयोग का निर्णय है और उस पर सरकार की जो कार्यवाही है, उसे लेकर झगड़ा खड़ा हो रहा है। उसे संघ राज्य का क्षेत्र बनाया जा रहा है। यह इस समस्या का एक अवसर वादी हल है। सरकार को इस दिशा में बड़ा स्पष्ट हल निकाला जाना चाहिए। राज्य पुनर्गठन के सिद्धान्त को सरकार द्वारा समरूप ढंग से लागू किया जाना चाहिए। एक क्षेत्र में कुछ और दूसरे में कुछ यह नीति नहीं होनी चाहिए। इससे असंतोष में वृद्धि होती है। परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। सरकार ऐसा करने में असफल रही है। दूसरा सदन नहीं होना चाहिए।

इसी तरह प्रश्न आस्तियों और देनदारियों का है। मेरा कहना है कि इसे जन संख्या के आधार पर तर्क संगत से बांटा जाना चाहिए इसी तरह का मामला उच्च न्यायालय का है। कहा गया है कि उच्च न्यायालय सामान्य होगा, परन्तु अनुच्छेद 214 में व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा। मेरा यह स्पष्ट मत है कि चंडीगढ़ तो धमकियों से भयभीत होकर ही सरकार ने हरियाना से छीन लिया है। पर हमने धमकियों का खूब मुकाबला किया है। सन्त और मास्टर हमें धमकियां देते रहे हैं, पर अब वे पुरानी हो गयी हैं। 1964 तक एक मजबूत व्यक्ति यह सामान्य कड़ियों वाली बात भी मुझे पसंद नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं कि दोनों राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय और एक ही विश्वविद्यालय हो। यह बात भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण करने के सिद्धान्त से मेल नहीं खाती। इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य के लोगों को पूर्ण प्रशासनिक एकक प्रदान किया जाना चाहिए। यह एकक ऐसा होना चाहिए कि लोग अपनी भाषा में काम कर सकें। मेरा कहना यह है कि दोनों राज्यों में अलग-अलग उच्च न्यायालय तथा विश्व विद्यालय रहने चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि दोनों राज्यों को संसद और विधान सभा में जो स्थान दिये गये हैं वे जन संख्या के अनुपात से ठीक नहीं है। इन स्थानों का अनुपात एक जैसा होना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश के बारे में भी सरकार की नीति काफी कमजोर है। वहां लोगों को लोकतंत्रीय अधिकार देने के बारे में संकोच क्यों किया जा रहा है। मेरा मत है कि हिमाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य होना चाहिये और उस पर रोकें नहीं लगनी चाहिये। इसी तरह मैं इस बात के भी विरुद्ध हूँ कि पंजाबी सूबे में परिषद् कायम की जाय। देश के सभी विरोधी दल इस दो सदनों वाली पद्धति के विरोधी हैं। हमारा विचार तो यह है कि इस पद्धति का कहीं भी होना निरर्थक है और पंजाब में तो विधान मंडल के सदस्यों की संख्या ही 104 है। पंजाब में तो यह होना ही नहीं चाहिये। यह पद्धति बहुत पुरानी हो चुकी है। पंजाबी सूबे जैसे छोटे राज्य में इसे लादा जाना वैसे भी ठीक नहीं। यह तो नये राज्य पर वित्तीय बोझ डालने

वाली बात है । मेरा कहने का यह मतलब नहीं कि हरियाना को भी दूसरा सदन दिया जाय, मैं तो इस बात के सिद्धांत रूप से ही विरुद्ध हूँ ।

सारा विधेयक बड़े गलत ढङ्ग से प्रारूपित किया गया है संविधान के अनुच्छेद 170 के अन्तर्गत यह स्पष्ट है कि विधान सभा एक निर्वाचित निकाय होगी, परन्तु विधेयक में यह उपबन्धित किया गया है कि वर्त्तमान पंजाब परिषद् के 6 सदस्य हरियाना विधान सभा के सदस्य बनेंगे मेरे विचार में यह उपबन्ध इस विधेयक को ही ले डूबेगा । श्री नन्दा कहते हैं कि उनका मंत्रालय इसका संशोधन कर रहा है, परन्तु वास्तविकता यह है ऐसा किया नहीं जा सकता । सम्भव है कि वह ऐसा कर ले । पर संशोधन करने की कुछ प्रक्रिया है । इन बातों के देखते हुये कहा जा सकता है कि शायद हरियाणा बिना विधान सभा के ही रह जाय । मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । हमने जिस शान से पंजाबी सूबे का सिद्धांत स्वीकार किया है, उसी शान से इसे आगे ले जाना चाहिये । पंजाबी भाषा को सब पंजाबियों की भाषा के रूप में मान्यता मिलनी चाहिये और पंजाब को भारत के व्यापक मानचित्र में गौरवपूर्ण स्थान उपलब्ध होना चाहिये ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैंने तीन दुर्भाग्यपूर्ण भाषणों को सुना है । आज बड़ा शुभ दिन है कि नये पंजाब का जन्म हो रहा है और नया हरियाना अस्तित्व में आ रहा है । बड़े आशावाद से इन तीनों राज्यों के निर्माण का स्वागत किया जाना चाहिए । यह विधेयक स्वागत योग्य है क्योंकि इसके द्वारा पंजाब के पुनर्गठन का बहुत ही सुन्दर हल तलाश किया गया है । आज इन तीनों राज्यों के जन्म दिन पर हमें उन्हें बधाई देनी चाहिए कि वे भारतीय गणराज्य के मजबूत सदस्य के रूप में आगे बढ़े । भारत सरकार ने परस्पर विरोधी पक्षों का इस ढङ्ग से समन्वय किया है और सभी को सन्तुष्ट करने का प्रयास किया गया है । यह कोई डर-भय का परिणाम नहीं अपितु राजनीतिक सूझ-बूझ का परिणाम है । इस विधेयक का जो आज हमारे सामने है एक ऐतिहासिक महत्व है ।

इस संदर्भ में मेरा यह भी निवेदन है कि पंजाबी भाषा के सम्बन्ध में हमारे बीच कोई मतभेद नहीं होना चाहिए । हमारी यह विकट अभिलाषा है कि पंजाबी भाषा भी अन्य विकसित भाषाओं के साथ-साथ पग मिलाकर चले । यदि पंजाबी सूबा एक समुदाय का हो जायेगा तो आज तक सरकार ने इस दिशा में जो महान कार्य किया है वह सब बेसूद हो जायेगा । मैं यह कह सकता हूँ कि हजारों हिन्दू ऐसे हैं जो कि पंजाबी को अपनी मातृभाषा मानते हैं और उन्होंने पंजाबी भाषा और साहित्य की सेवा की है । पंजाबी भाषा के बारे में कोई दो राय नहीं है । मेरा निवेदन यह है कि क्षेत्रीय निष्ठाओं पर जोर देने से कोई लाभ नहीं होगा । विधेयक में जो कुछ भी अच्छा है उसे हमें पूरी निष्ठा और सद्‌भावना से स्वीकार कर लेना चाहिए । इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पंजाबी सूबा और हरियाना में किसी प्रकार का खिचाव और कटुता न हो । पंजाब में यदि दूसरा सदन बनाया गया है तो हरियाना में भी होना चाहिए ।

परिसीमन का कार्य काफी जागरूकता से करने की आवश्यकता है । इस दिशा में बड़ी सावधानी से जाँच की जानी चाहिए । हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आस्तियों और दायित्वों का विभाजन बराबर हो । अच्छा हो यदि इस कार्य के लिए कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाय । अभी हाल कुछ सामान्य कड़ियाँ भी रहें तो अच्छा ही है । यह

भी अच्छी बात है कि पंजाब विश्वविद्यालय इसी रूप में रहेगा। कर्मचारियों का विभाजन भी किसी न्यायाधीश को ही सौंपा जाना चाहिए।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : पंजाबी सूबा बनाने के सुझावों का मैं समर्थन करता हूँ जिसके बनाने में पहले ही काफी देर हो गई है। जब भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किया गया था, पंजाबी सूबा भी उसी समय बना दिया जाना चाहिए था। यदि पंजाबी सूबे की मांग पहले ही स्वीकार कर ली गई होती तो जो तनाव अब पैदा हुआ है, उससे बचा जा सकता था।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

विधेयक के सम्बन्ध में पहली आपत्ति चंडीगढ़ को संघ राज्य-क्षेत्र के रूप में रखना है। यह स्पष्ट रूप से हरियाना की सीमा में है और इसे उसी राज्य के साथ मिला देना चाहिए। पंजाब के लोगों को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। पंजाब के लोग परिश्रमी हैं और उनका रहन सहन का स्तर बहुत ऊँचा है। मेरे विचार से पंजाब अपनी आर्थिक समृद्धि की सहायता से एक और राजधानी बना सकता है।

यह अनुचित होगा कि चंडीगढ़ के लोगों की राय न ली जाये कि वह किस राज्य के साथ मिलना चाहते हैं। भाषायी पुनर्गठन की योजना में पतास्कर सूत्र को लागू किया जाना चाहिए। चंडीगढ़ के सम्बन्ध में भी इसी सूत्र का प्रयोग किया जाए। आन्ध्र और मैसूर में सीमा विवाद पर यही सूत्र लागू किया गया था।

भाखड़ा और व्यास परियोजना के लिए एक केन्द्रीय प्राधिकरण रखने का निर्णय बहुत अच्छा है। मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की सभी परियोजनाओं के सम्बन्ध में जो कई राज्यों से संबंधित हैं, सरकार केन्द्र द्वारा प्रशासन का सिद्धान्त अपनाए ताकि कोई तनाव न रहे तथा केन्द्र पानी, बिजली सिंचाई आदि के लिए राष्ट्रीय हितों के आधार पर और न कि अलग राज्यों के हितों के आधार पर नियतन कर सके।

जहां तक ऊपरी सदन के प्रश्न का सम्बन्ध है, इससे कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। परन्तु यदि कोई परिषद् स्थापित की गई, तो यह किसी अनुपात के आधार पर स्थापित की जानी चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि पंजाब में परिषद् के लिए व्यवस्था क्यों की गई है जबकि पंजाब में इतनी छोटी विधान सभा है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि बड़े-बड़े राज्यों में परिषद् नहीं है फिर भी वे बड़ी कुशलता से कार्य कर रहे हैं। किन्तु सरकार पंजाबी सूबा में विधायनी परिषद् रखना चाहती है और हरियाना में नहीं रखना चाहती। यदि ऐसा किया जाता है तो दोनों राज्यों के साथ न्याय की भावना से किया जाए। पंजाब की परिषद में हरियाना के सदस्यों को हरियाना विधान मंडल का सदस्य बनाया जा रहा है। यह असंवैधानिक हैं क्योंकि अनुच्छेद 170 के अनुसार विधान मंडल का प्रत्येक सदस्य चुना जाना चाहिए, जो भी हो, यह उचित समय है कि राज्यों में ऊपरी सदन को खत्म कर दिया जाए और मौके से लाभ उठा कर पंजाबी सूबे में ऊपरी सदन खत्म कर दिया जाए।

विधेयक का खंड 26 संविधान के विरुद्ध है क्योंकि इसमें अनुच्छेद 371 (1) के संशोधन

का सुझाव दिया गया है । संविधान का कोई अनुच्छेद तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि इस प्रयोजन के लिए अलग विधेयक न लाया जाए । इसलिए इस खंड से निश्चय ही संविधान का संशोधन नहीं हो सकता ।

यह उचित होता यदि सरकार अधिक विस्तृत विधान लाती जिससे जहां कहीं भी अन्तर-राज्यीय सीमा विवाद होते, इसके द्वारा तय किये जा सकते । मैसूर और महाराष्ट्र के बीच काफी समय से सीमा विवाद है । मेरा सुझाव है कि गृह-कार्य मन्त्री कल एक उचित संशोधन पेश करें जिससे महाराष्ट्र और मैसूर के बीच विवाद को एक स्थापित प्रक्रिया द्वारा निपटाया जा सके और मामला हमेशा के लिए तय हो जाये और उस क्षेत्र में तनाव को अन्तिम रूप से खत्म किया जा सके ।

श्री वीर भद्र सिंह (महासू): इस विधेयक से हिमाचल प्रदेश के लोगों को निराशा हुई है । ऐसा मालूम होता है कि इस क्षेत्र के लोगों को इस लिए दण्ड दिया जा रहा है कि उन्होंने पहले अपनी पृथक इकाई बनाये रखने के लिए प्रयास किये थे तथा पंजाब के साथ मिलने से इन्कार कर दिया था ।

इस विधेयक पर मुझे विशेष तौर पर तीन आपत्तियां है । एक तो यह है कि इस विधेयक से हिमाचल प्रदेश की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और वह अभी भी केन्द्र प्रशासित क्षेत्र ही है । वहां के लोगों को इस प्रकार की व्यवस्था से असंतोष है और इससे उस क्षेत्र के विकास में बाधा पड़ती है । हिमाचल प्रदेश के लोग अपने क्षेत्र के लिए राज्य पद प्राप्त करने के लिए काफी समय से सांवैधानिक प्रयत्न कर रहे हैं । समय-समय पर क्षेत्र, आबादी तथा वित्तीय साधन आदि की दलीलें दी जाती हैं ।

जहां तक क्षेत्र का सम्बन्ध है, हिमाचल प्रदेश पंजाब और हरियाना से बड़ा है । नागालैंड राज्य से तो हर बात में बड़ा है । नागालैंड में ऐसी कौन सी विशेष बात है कि उसे राज्यपद दे दिया गया है । जहां तक वित्तीय संसाधनों का सम्बन्ध है हिमाचल प्रदेश के पास काफी प्राकृतिक संसाधन है और यदि उनका ठीक प्रकार से विकास किया जाए तो थोड़े समय में ही वह केन्द्रीय कोष में काफी अशं दान देने के योग्य हो जायेगा । इसलिए इसका कोई कारण नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को राज्य का दर्जा न दिया जाये । सरदार पटेल ने 1948 में ही यह आश्वासन दिया था कि जब इस क्षेत्र का इसके संसाधन तथा प्रशासन की दृष्टि से पर्याप्त विकास हो जायेगा, इसे दूसरे राज्यों की तरह ही संगठित किया जायेगा । परन्तु वह आश्वासन पूरा नहीं किया गया है । यह काफी विस्फोटक प्रश्न है और आशा है केन्द्रीय सरकार इसके साथ हल्का व्यवहार नहीं करेगी । गृह-कार्य मंत्री को यह अवसर यों ही नहीं खोना चाहिए और हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देने के लिए आवश्यक संशोधन लाने चाहिए ।

इस विधेयक में हिमाचल प्रदेश के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है । इस विधेयक के द्वारा हिमाचल प्रदेश में स्थानीय विधान मंडल में 54 स्थान, लोक सभा में 6 स्थान तथा राज्य सभा में 3 स्थानों की व्यवस्था की गई है । इस समय हिमाचल प्रदेश के विधान मंडल में 40 स्थान हैं, लोकसभा में 4 तथा राज्य सभा में 2 स्थान हैं । पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को साथ मिलाने पर हिमाचल प्रदेश क्षेत्रफल एवं जन संख्या के मामले में दुगुना हो जायगा । इसलिए यह उचित ही है कि इन निकायों में हिमाचल प्रदेश के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाये और प्रतिनिधित्व को उसी अनुपात से बढ़ाया जाये ।

संघीय क्षेत्र के रूप में हिमाचल प्रदेश की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए मौजूदा प्रतिनिधित्व के ढंग में भी कोई परिवर्तन न किया जाए। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें बड़े-बड़े भूप्रदेश हैं, आबादी दूर-दूर तक बिखरी हुई है और संचार के साधन बहुत कम हैं। इस लिए हिमाचल प्रदेश के लिए वही कसौटी न रखी जाये जो अन्य राज्यों के मामलों में रखी जाती है। मुझे आशा है कि हिमाचल प्रदेश से विधान-सभा में और संसद में प्रतिनिधियों की संख्या में काफी वृद्धि कर दी जायेगी। जब तक हिमाचल प्रदेश की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे वह सभी लाभ उठाने का मौका दिया जाए तो अन्य राज्य संघ क्षेत्र ले रहे हैं।

मैं महसूस करता हूं कि कुछ क्षेत्रों को, जिन्हें हिमाचल प्रदेश में शामिल किया जाना चाहिए था, उसमें शामिल न करके उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। मैं आग्रह करता हूं कि धर-कलां बलाक, मोरही पहाड़ियां कालका तथा ऊना तहसील के शेष भाग को जो सीमा आयोग के अनुसार सांस्कृतिक तथा भाषा की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का एक अंग है, उसमें शामिल किया जाना चाहिए। विधेयक से पता चलता है कि नया नांगल अधिसूचित क्षेत्र तथा कलसेरा गांव भी पंजाब को दिये जायेंगे। यह बिल्कुल नयी स्थिति हैं। आयोग ने कहीं भी यह नहीं कहा कि यह क्षेत्र पंजाब को दिया जाये। ऐसा परिवर्तन क्यों किया गया है। जहां तक कालका का सम्बन्ध है, यह हिमाचल प्रदेश का मुख्य दरवाज़ा है और केवल यही रेलवे स्टेशन है जहां से हिमाचल प्रदेश के सेब तथा आलू बाहर भेजे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता की आर्थिक समृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि कालका भी उसी का एक अंग बनाया जाए।

Shri Yudhvir Singh (Mahendragarh): Some members of the Congress Party and Jan Sangh did not oppose the division of Panjab simply that they are against any community and language but they opposed it on the plea that the formation of smaller states was not desirable in the interest of the country.

Jan Sangh had started an agitation against the division of Panjab and it is well known that we opposed this division and the people of Punjab supported us. The agitation was withdrawn not on account of weakness in the party but it was withdrawn in the interests of the country. We did not want that this question takes a Communal shape and Country had to suffer on that account. Taking this into consideration we had withdrawn the agitation and decided to accept the recommendations of the Commission in toto.

Injustice has been done to the State of Haryana in regard to Chandigarh. Government does not want to displease the people of Punjabi Suba by giving Chandigarh to the State of Haryana. They have deceived Haryana by declaring it a centrally administered area. The present decision in regard to Chandigarh has been taken by the Congress Party in their own interest keeping in view the forthcoming elections. Government should divorse their weak and selfish policy and take a definite decision in regard to Chandigarh.

The people of Haryana have been suppressed during the last 50-60 years and put to hardships. They cannot tolerate injustice any more and will fight for their legitimate rights.

In services the people of Haryana have been badly neglected. They are only 3% in the services. They have a genuine grievence but they are not complaining and those who have not genuine complaint are complaining. I want an assurance that atleast 50% in the services should be for Haryana.

There is an agricultural University which was established 8 years back. It's half

campus is at Hissar and the other half is at Ludhiana. On the staff and the management of the University, you will find that most of them are from Punjab and very little from Haryana.

Shri D. D. Puri referred to the fact that it was due to the passing away of a strong man that the Punjabi Suba has been formed. I think he was referring to Sardar Pratap Singh Kairon. But I may inform him that he was forming Punjabi Suba in his own way by not appointing people of Haryana.

About Electricity Board it has been suggested that Punjab and Haryana should each pay half of the expenditure. It you look at the provision of electricity during the last 17 to 18 years, you will find that most of it was provided in the parts which are now in the proposed Punjab. So till such time as Haryana comes to the stage of Punjab in income, Haryana should not be made to pay anything for that.

In the matter of taxes also, Punjab pay 45% taxes whereas we pay 55% taxes.

So far as the exploitation of Haryana is concerned we found no difference between Sardar Pratap Singh Kairon and Sri D. C. Sharma. For that they were all equal. Now due to this formation of new state, there is a change in their approach.

The recommendations of Boundary Commission should be accepted in full otherwise it will have bad repercussions. None was loser except Haryana. Until that loss is made up the Government will not be considered to have discharged its obligations. It will be considered to be communal minded.

Shri Gajraj Singh Rao (Gurgaon): From the tone of speeches by members it appears as if India is being divided into different countries. Is it the way in which Nationalists should discuss?

I am of the view that India should be divided into five parts.

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए।
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

Reference from history has been made. If you look at the history of 1857 you will find that Haryana was joined to Punjab by way of punishment by the Britishers. But we love the Punjabis. Since Punjabis are our elder brothers they should show some broad mindedness towards the people of Haryana.

We should look at this problem from the point of view of our hostile neighbours and the effect which it will have on our armed forces. In our neighbouring countries the armed forces have waged rebellions but this has not been the case with our army. China might think of invading India if we go on behaving in this way internally.

Clause 16 is illegal and should be omitted.

We should all proceed in a spirit of co-operation and should implement what this august house has already accepted.

The High Court of Haryana should be joined with Delhi. Other institutions like the Bhakra Dam, I may state that it was meant for Haryana area because there were no means of irrigation of this area. The Commission's report regarding Chandigarh should be accepted.

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि बहुत वर्षों के संघर्ष के पश्चात हरयाणा तथा पंजाब के दो राज्यों का निर्माण हो रहा है। गृह मन्त्री ने कहा कि कोई सदस्य ऐसी बात न कहे जिससे दोनों क्षेत्र के लोगों में तनाव फैले। मैं उनकी अपील से सहमत हूँ परन्तु

मेरा कहना यह है कि इसे फैलाने के उपबन्ध विधेयक में स्वयं विद्यमान हैं। यदि उन बातों को विधेयक से हटा दिया जाये तो दोनों राज्यों में मित्रता के भाव उत्पन्न होंगे।

हमारी सरकार अंग्रेजों की चाल पर चल रही है। जैसे भारत छोड़ते हुए वे भारत तथा पाकिस्तान बना गये ताकि यह आपस में लड़ते रहें; वैसे ही सरकार ने इन दोनों राज्यों के गठन को स्वीकार करते हुए कुछ ऐसी बात की हैं जिससे दोनों क्षेत्रों में आपस में झगड़ा रहे। सरकार ने इसे कुछ हिन्दू साम्प्रदायिकों को रियायत देने के लिये किया है।

भाषा के आधार को मानने का सब से पहला आघात तो उस समय लगा जब 1961 की जनगणना को आधार माना गया है। लाला जगत नारायण ने जो कि संसद सदस्य हैं, अपने समाचारपत्र, हिन्द समाचार में 12-10-65 को कहा है कि उनकी मातृभाषा पंजाबी है परन्तु पंजाबी सूबा न बन जाये इस लिए उन्होंने उसे हिन्दी लिखा है। इससे अधिक और क्या स्वीकृति चाहिये। वैसे तो सरकार तथा कांग्रेस दल धर्म निर्पेक्षता की नीति पर चलने का प्रचार करते हैं परन्तु वास्तव में वे उस पर किस प्रकार चल रहे हैं उसका मैंने जिक्र किया है।

चंडीगढ़ के बारे में भी सरकार का निर्णय गलत है। वह संघराज्य क्षेत्र बनाया गया है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिये कि वहां कोई प्रदर्शन होता है। पंजाब की सरकार कहती है कि वह प्रदर्शन ठीक है परन्तु केन्द्रीय सरकार उसे गलत समझती है और चाहती है कि वहां लाठी चलाई जाये। इस केन्द्र के निर्णय से हरियाणे की सरकार भी सहमत है तो फिर एक पेचीदा समस्या उत्पन्न हो जायेगी। इस लिये उसे एक ही राज्य को दिया जाये। वैसे भौगोलिक दृष्टि से भी चंडीगढ़ तीन ओर से पंजाबी सूबे से घिरा हुआ है। इस लिये उसे पंजाबी सूबे में शामिल होना चाहिये। केवल एक ही तर्क उसके विरुद्ध दिया गया है कि वहां के अधिक लोग हिन्दी भाषी हैं। परन्तु बम्बई के मामले में वहां के अधिकतर लोग मराठी नहीं बोलते थे परन्तु उसे महाराष्ट्र में मिला दिया। ऐसे ही चंडीगढ़ को पंजाबी सूबे में मिलना चाहिये क्योंकि चंडीगढ़ के तीन ओर पंजाबी सूबा होगा।

वास्तव में बात यह है कि हरयाणे को एक बड़ा राज्य होना चाहिये जिसमें दिल्ली को भी शामिल कर देना चाहिये। परन्तु सरकार ने चंडीगढ़ की समस्या खड़ी कर दी है ताकि उन्हें उस समस्या से ही छुटकारा न मिल सके तथा वह दिल्ली की मांग न कर सकें।

राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिये वह चीजें हटा देनी चाहिये जो झगड़े की जड़ हैं।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (होशियारपुर) : सभापति महोदय, इस समस्या पर सब ने अपने-अपने दृष्टिकोण से प्रकाश डाला है। परन्तु सरकार को तो समस्या को एक व्यापक रूप से देखना है और उसका हल निकालना है। उसे केवल तर्क के आधार पर ही नहीं बल्कि प्रशासनिक रूप से भी देखना है। लोकतन्त्र में किसी भी समस्या को बहुत पहलुओं से देखना होता है। सरकार को यह समस्या महा निर्वाचन से पहले ही निबटानी है। इस लिये सरकार के लिए सब से ठीक काम यही था कि एक सीमा आयोग नियुक्त करती और वही उसने किया। चंडीगढ़ आदि के बारे में कुछ झगड़े हैं। इस लिये सरकार ने उसे संघराज्य क्षेत्र बना दिया है।

श्री कपूर सिंह ने बहुत सी बातें कही हैं जिनका सम्बन्ध विधेयक से नहीं है। मैं यह मानता हूँ कि स्वतन्त्रता से पहले मास्टर तारासिंह का मत एक राष्ट्र भक्त का था। उन्होंने

जिन्नाह के विरुद्ध जो कदम उठाया वह एक राष्ट्रभक्त का था। परन्तु अब जबकि वह सिख राज्य मांग रहे हैं यह देशभक्ति के विरुद्ध तथा संविधान के भी विरुद्ध है।

श्री उमानाथ ने कुछ और तर्क दिये हैं। साम्यवादी दल चाहे वह वाम पंथी हो अथवा दक्षिण पंथी, कहने को तो अपने आपको धर्मनिर्पेक्ष कहते हैं परन्तु जब कोई साम्प्रदायिक मांग होती है तो यह दल उसका समर्थन करता है।

श्री दाजी ने कहा है कि चंडीगढ़ हरयाणे में मिलना चाहिये परन्तु उमानाथ कहते हैं कि वह पंजाबी सूबे में मिलना चाहिये। इससे उनकी मांगों के झगड़े का पता चलता है।

दूसरे सदन के निर्माण के बारे में मेरा कहना यह है कि उसका निर्माण होना ही चाहिये चाहे बाद में उसे समाप्त कर दिया जाये।

जहां तक यह सुझाव है कि परिषद् के कुछ सदस्यों को विधान सभा का निर्वाचित सदस्य समझा जाये, मेरा कहना यह है कि ऐसा करना संविधान के विरुद्ध है। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस स्थिति को ठीक करने के बारे में एक संशोधन प्रस्तुत करेगी।

कुछ सांझी कड़ियों के बारे में, मैं आशा करता हूँ कि उन्हें कायम रखा जायेगा।

मेरा विचार है कि कुछ समय में चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, पंजाब और हरियाना के लिये केन्द्रीय स्थान बन जाएगा। यह सभा गतिविधियों का, विशेष रूप से शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों का, एक बड़ा केन्द्र बन जाना चाहिए और इन क्षेत्रों के सभी लोगों को इससे लाभ हो। ऐसा तब ही संभव है जब कि चंडीगढ़ का विकास सब के सहयोग से हो।

बिजली के बारे में मैंने एक संशोधन रखा है और मैं इसके बारे में अपने विचार उस समय रखूंगा जबकि संगत खण्ड पर चर्चा होगी।

मैं समझता हूँ कि पंजाब विश्वविद्यालय सभा विश्वविद्यालय हो परन्तु पंजाबी विश्वविद्यालय को केन्द्र द्वारा कुछ और धन मिलना चाहिए ताकि उसका ठीक से विकास हो सके। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र विश्व-विद्यालय का भी विकास होना चाहिए।

मेरा विचार है कि भाखड़ा बिजली परियोजना तथा नहरों आदि की आस्तियों तथा देनदारियों की जिम्मेदारी केन्द्र को लेनी चाहिए। यह अनुचित होगा यदि कुल विकास कर तथा कुल पूंजीगत व्यय दोनों राज्यों को ही वहन करना पड़ेगा। इस बारे में विचार किया जाए ताकि नये राज्यों पर कुल खर्च तथा ब्याज और अन्य व्यय का भार न पड़े।

Shri A. S. Saigal (Janjgir) : I welcome the Punjab Reorganisation Bill.

First, provision is being made for a Second Chamber but representatives of the people of the Union Territory cannot be included in it. Therefore, I think the decision regarding the Second Chamber should be left to the people. If they want they can have a Second Chamber, otherwise not. Opportunity should be given to the people for this purpose after the General Elections.

After reorganisation 111.36 lakh people will come to this side. The number of members will be 104. The number of members for the Lok Sabha will be 13. I think provision will have to be made for more members for the Legislative Assembly in Punjab. Similarly, Himachal Pradesh and Haryana will have more members according to the population.

Since States are being made on the basis of language, each of the unmerged parts having different languages should be merged with such State where similar language is spoken. Such a re-adjustment is very necessary.

Provision has been made for a common High Court, a common Bhakra Nangal project, a common electricity project and common Canals but these things cannot be kept common for good. In the long run, separate provisions will have to be made for Punjab and for Haryana. Haryana gets only one University. This will effect the progress of that state.

We should consider the matter carefully so that the people of Haryana may have no complaints afterwards.

Facility for the study of any one of the fourteen languages should be available in High Schools and Higher Secondary Schools in every state. In my state, Madhya Pradesh, any one of the fourteen languages can be offered by a student. Similar facility should be provided in all States.

The sphere of the Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee has not been extended to Haryana. No provision has been made in this Bill for Gurudwaras in Himachal Pradesh. I have repeatedly requested the Government to take up the All India Sikh Gurudwaras Bill but nothing has been done. This matter should be examined by Government.

I do not say that Government should accept my bill but I only want that it should be examined and after necessary changes a bill may be brought forward.

The partition of the assets and liabilities should be made in a brotherly spirit. None should ever think that the interest of any one of the three States, namely, Haryana, Punjab and Himachal Pradesh have been neglected so that the fraternal feelings may not die out.

I support the bill.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : लोक सभा के इतिहास में आज उसकी दूसरी बार रात्रि की बैठक हो रही है। प्रथम बार जून 1951 में हुई थी जब श्री राजगोपालाचारी ने समाचार पत्र (प्रैस) (आपत्तिजनक सामाग्री) विधेयक पास कराया था। हमने पहले ही यह निश्चय किया है कि हमारा आज रात का भोजन यहां पर ही होगा।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री नन्दा) : 9 बजे खाना होगा और 10 बजे हम पुन: कार्य आरम्भ कर देंगे।

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : The bill before us is a communal bill, not because it relates to the Sikh Community or the Hindu Community, but because its origin was in a communal mind. This bill is backed by no policy or ideal. If it was based on some policy or ideal then this should have been done 10 years back when it was accepted that this is a bi-lingual State. If this bill was brought forward ten years back, we would have said that it was based on some policy or ideal.

In the Report submitted by the Parliamentary Committee, mention has been made of the Nehru Committee's Resolution in the All-parties' Conference of 1928 : I would read a few lines from that resolution :

> "If a province has to educate itself and do its daily work through the medium of its own language, it must necessarily be a linguistic State. If it happens to be a polyglot area, difficulties will continually arise, and the media of instruction and work will be two or even more languages. Hence it becomes most desirable for provinces to be reorganised on a linguistic basis."

But nobody, either on behalf of the Punjabi Suba or on behalf of Haryana, has so far emphasised that the Punjabi Suba and Haryana States are being created actually with this ideal in view. Nobody has claimed that as soon as these two States come into being, only the respective language will be spoken in each State and English will not be accorded that status which it enjoys today. Neither Shri Kapur Singh nor does Shri Yudhvir Singh has declared

that after the creation of the two States, the language to be used in administration, education and in Universities will be Punjabi in Punjabi Suba and Hindi in Haryana.

I appeal to the supporters of the Punjabi Suba and of Haryana that they should ensure that from the day these two States come into being, Punjabi will predominate in Punjabi Suba and Hindi will predominate in Haryana.

The Nanda government has made the country so weak during the last nineteen years. The country has now been divided into three parts. Why is decision regarding Chandigarh not being taken now ? Will Chandigarh be made the cause of election dispute in 1971 ?

I praise Shri Umanath in this behalf. He appears to be a better patriot than Shri Nanda, so far as unity of the country is concerned. Why is Government not coming to a criterion or policy in regard to Chandigarh ? I would appeal Shri Nanda to take decision about Chandigarh now. He should consult all parties, all opinions and decide the matter. If no firm policy is adopted now, fresh demands for country's further partition might come up in a few years. Hence the rudiments of such future demands should be crushed now. After all there should be an end somewhere to the country's partition. How long will we continue to divide the country like this ? If disputes of this sort come up again and again, no attention can be paid to the real problems of the people.

In time, I would appeal Shri Nanda to call an all-party conference and consider all such demands for partition. The genuine ones may be accepted while the bogus ones may be put an end to for good.

Shri Hem Raj (Kangra): The opposition Group should thank Government for solving the problem of Punjabi Suba and Haryana. It is no use opening up the old history. It is very much needed today that an atmosphere of brotherly feeling is created in the country so that people may come close to each other. The Home Minister, Shri Nanda, has created an healthy atmosphere by accepting proposal for reorganisation of Punjab.

The Boundary Commission was asked to merge those hilly areas in Himachal Pradesh which had linguistic and cultural connections with that state and Tehsil was to be regarded a unit and was not to be divided. But even villages have been divided. For example, in schedule 3 of the Bill, the population of the villages comes within Himachal Pradesh and the land comes within Punjabi region. Hence the commission has gone beyond what it was ordered to do.

Similarly, Kalka area has linguistic affinity with Himachal Pradesh but it has been given over to Haryana.

I think, Government yields to those who agitate and oppose. The hilly people have never agitated. Hence their regions are not being given to them.

Similarly, the present number of Lok Sabha seats is 4 but instead of making it 8, only 6 seats in all are being allotted to this area although the population has increased from 13 lakhs to 15 lakhs. Hence by giving only 2 seats to this areas, justice is not being done to it.

After making Delhi a Union Territory, the seats were increased from 4 to 7 but the number of seats for Himachal Pradesh has been reduced instead of increasing it. This is a great injustice and must be remedied.

The number of seats in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha should be 64 instead of 54. It is only then that adequate representation could be given to the people.

The Beas Control Board is being made in Himachal Pradesh but its agreement has been made in Punjab and Notification has also been issued from there. It means that people of

Himachal Pradesh will have no say in the matter. Hence, all the rights of the agreement reached between Punjab and Rajasthan should be available to Himachal Pradesh.

If Government wants to keep clause 16 intact, it should formulate certain principles. 8 member out of 16 have been given representation in the Haryana Assembly but for the one member from the hills, that principle has been overlooked. This one member could be included in the Punjab Assembly but Government has not done so.

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehgarh): Never before has a bill been introduced which contained so many constitutional irregularities as have been pointed out in the present bill. In view of the constitutional irregularities in this bill the reply of the Home Minister has not been satisfactory. I fail to understand why this bill which is against provisions of the constitution is not being shelved. I wonder how word 'Punjab' can be removed without amending Article 7. I, therefore, repeat that unless 60 members are elected, Punjab Assembly cannot be formed constitutionally. But the Home Minister has not given a satisfactory reply regarding this matter. I doubt if such a bill which is full of constitutional errors, can stay for some time after being passed in this manner.

At the time of the formation of the States Re-organisation Commission, it was agreed to that the states would be reorganised on linguistic basis. But the ruling party did not agree to it. The result was that there was a lot of violence and blood-shed in the country and Maharashtra, Gujarat and Andhra Pradesh are living evidence of this. Similarly, when division on linguistic basis was agreed to ten years back, why has the reorganisation been done now after such a long time. This has been done at a time when the country is facing danger of foreign attack. Punjab is a home of brave martial races. It will be a great misfortune for us if our jawans get infected by the communal feelings which are behind the bill. Hence, if Punjab was divided on linguistic basis at a suitable time, the ill-feelings evident to-day would not have been present at all.

I am opposed to the provision for making an Upper House or the Council in the new Punjab. Generally Upper Houses are made in order to give jobs to defeated Minister or old members of the ruling party. The Upper House is not needed at all. I would have been happy if the Upper House was not provided at all.

I would request Government to take final decision regarding agitation in different parts of the country on grounds of language so that this evil may not increase and violence and blood-shed may not be repeated.

सभापति महोदय : श्री जयपाल सिंह ।

श्री हरि विष्णु कामत : सभी वर्गों की यह राय प्रतीत होती है तथा मैंने संसद-कार्य मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री से बात भी कर ली है कि भोजन के लिए सभा 8 बजे स्थगित हो और 9 बजे पुनः कार्य आरम्भ करे। यदि इससे सहमति हो तो सभा 8 बजे स्थगित हो जाए और 9 बजे पुनः चर्चा आरम्भ हो। मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूँ कि जो कर्मचारी तथा समाचार-पत्रों के संवाद-दाता ड्यूटी पर हैं उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा जैसा कि पिछली वार किया गया था।

श्री जयपाल सिंह : (रांची-पश्चिम) : जैसा कि आपको पता है कि मैं झारखंडी हूँ और झारखंडी भाषावाद नहीं जानता। मैं हमेशा से ही भाषायी आधार पर राज्यों का गठन करने के बिल्कुल विरुद्ध हूँ। यदि कोई बात ऐसी है जो देश को तबाह कर सकती है तो वह भाषायी विचारधारा है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या देश में एक भी ऐसा राज्य है 'जहाँ एक ही

भाषा बोली जाती हो। हमारा देश एक बहुभाषीय देश है। मैं एक आदिवासी हूँ। लोग कहते हैं कि अनुसूची में 14 भाषायें हैं परन्तु सबसे पुरानी भाषा उसमें नहीं है।

भाषायी आधार कहीं भी नहीं है : मैं ऐसे राज्य चाहता हूँ जो प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक हों। विभाजन से मेरा मतलब यही है कि ऐसे राज्य बनाये जाएँ जो प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक हों न कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे विशाल राज्य हों। मैं न पंजाब के विरुद्ध हूँ और न हरियाना के। परन्तु बात यह है कि न पंजाबी सूबा एक भाषीय है और न हरियाना एक भाषीय है। देश में हम संघीय प्रशासन के लिए वचन-बद्ध हैं।

मैं इस विधेयक का इसलिए स्वागत नहीं करता कि दो राज्य बनेंगे बल्कि यदि लोग चाहते हैं तो भाषा के आधार पर ही तीन राज्य भी बन सकते हैं। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ तथा इसका समर्थन करता हूँ क्योंकि यदि सरकार पंजाबी सूबा बनाएगी तो झारखंड भी अवश्य बनाएगी।

Shri Pratap Singh (Sirmur); On 22nd December, 1953, the late Shri Jawaharlal Nehru had said that a commission would be appointed to examine objectively and dispassionately the question of reorganisation of the states of the Indian Union "so that the welfare of the people of each constituent unit as well as the nation as a whole, is promoted."

Following this, an independent States Reorganisation Commission was appointed but Himachal Pradesh was overlooked that time also. No consideration was shown to the boundaries, or customs, or culture, or sentiments of the people or the administrative units. That is why the question of re-organisation now presents itself in varying forms, such as, the question of Punjabi Suba or of Haryana or of Vishal Himachal or of Gujarat. After seeing the report, the late Shri Nehru was of the opinion "that he was astonished at the recommendation." We expected that the errors committed at the time of the states Reorganisation Commission would not be repeated while considering over the reorganisation of Punjab but on seeing the bill one concludes that the matter of Vishal Himachal Pradesh has not been given full consideration and the draft has been prepared in a hurry.

Punjabi Suba and Haryana are being made separate states although their area is far less than that of Himachal Pradesh. Why is Himachal Pradesh being kept as a Union territory ? Government should, instead of amending the Act again and again, give to Himachal Pradesh, the status of a full-fledged state through this very Bill. So far as expenditure is concerned, we are not going to demand anything extra. We can carry on the grant-in-aid that we are receiving. Himachal Pradesh is in every way different from other Union Territories. In view of our demand, Himachal Pradesh should be given a full-fledged Assembly. Perhaps Government is not heeding to our demand for a full-fledged state because we are not willing to merge with Punjab. I am sorry to say that Government does not care for the people of Himachal Pradesh who do not resort to threats, **hartals**, hunger strikes, processions and demonstrations, and subversive activities for acceptance of their genuine demand. This Government shows no consideration for those people who behave gently and who press their demands in a peaceful manner.

On 6th December, 1965, while giving a statement regarding division of Punjab Shri Nanda had said "the whole question can be examined with an open mind." Now, while demarcating the boundaries, Government has overlooked all considerations like that of the administrative units or tehsil level or the basis of language. Punjab is being benefited in all respects. Even villages have been divided and good areas of Himachal Pradesh have been given over to Punjab. This is gross injustice. The commission has accepted that the areas of Una tehsil, Kalka, Morni and Kandi are Hindi speaking areas of Hoshiarpur and

are hilly areas. Their language, culture, customs and festivals are one and they must go to Himachal. Yet New Nangal Fertiliser factory, Surajpur Cement Factory, Kalka railway station, Hindustan Machine Tools Factory and all the hilly area of Morni which is a Hindi-speaking area, have been given over to Punjab. New Nangal Fertiliser Factory alone gives an annual income of rupees fifty lakhs. This factory should have heen given to Himachal Pradesh but instead Government has given only undeveloped tracks to Himachal Pradesh. Himachal Pradesh has been deprived of the income from Bhakra though its safety and the work relating to soil conservation of catchment areas is the responsibility of Himachal Pradesh.

Since Himachal Pradesh is a hilly area, the number of seats for Lok Sabha and Rajya Sabha should be allotted on the basis of its area and not its population. Government has given a Council and an Assembly to Punjabi Suba. Haryana gets 81 seats instead of 54 seats and the number of seats for Lok Sabha and Rajya Sabha has also been increased. But, under the Union Territories Act, Himachal Pradesh gets 40 seats plus 3 nominated seats in the Assembly and 4 seats in Lok Sabha and 2 seats in Rajya Sabha.

I fail to understand how 54 seats have been allotted to Himachal Pradesh. The population of Delhi is 25 lakhs and its area is about 50 square miles but it gets 7 seats in the Lok Sabha and 42 seats in the Metropoliton Council whereas the area of Himachal Pradesh is 22,000 square miles and its population is 28 lakhs, but the number of seats allotted is only 54. Himachal Pradesh should get more seats.

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar): I agree with Shri Dev Dutt Puri, Shri Gajraj Singh Rao and Shri Yudhvir Singh.

From the strategic point of view as also on the linguistic basis, Fazilka should go to Haryana and Pathankot should go to Himachal Pradesh.

Punjabi Suba will still be a bilingual state whereas Haryana always has been a unilingual state. But each state will welcome the other's residents though they may speak different languages.

The distribution of waters and electric power should be made in such a way that all the four States, Punjabi Suba, Rajasthan, Haryana and Delhi may benefit from it. The Board should have representatives of all these States.

Out of 3,000 employees of the Punjab University, only 150 persons belong to Haryana. The Senate of the Punjab University comprises 92 persons out of which only 9 persons belong to Haryana. Similarly, in the Kurukshetra University, there are 15 Punjabis and 2 persons from Haryana.

Had Punjabi not been forced on Haryana where Punjabi is not spoken at all, demand for a separate state would not have been put forward. Our children were being forced to learn Punjabi. Hence this demand was made. Let Punjabis augment their Punjabi language. We will promote Hindi.

Shri Sheo Narain (Bansi) : The people of our country are quarrelling over small demands. They don't have any love for Indianism. Some quarrel for a separare University while others put forth different demands. But the Bill to reorganise Punjab had been brought forward after the Congress Working Committee had fully discussed the matter and agreed to the formation of the Punjabi Suba.

Though the States have been reconstituted on a linguistic basis, we should see that the unity and solidarity of the country is maintained and strengthened at all costs. We should see that further territorial division of the country stops.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : Government has agreed to form Punjabi

Suba and Hariyana because they feared that hunger strike and such like things will take place otherwise. But it was, however, not understood why the status of a full-fledged State was not being given to Himachal Pradesh. The people of Himachal Pradesh have been putting forth this demand for a very long time. The Government is not accepting their demand because they have made this demand without agitation and demonstrations and Government will yield to their demand when agitation will take place.

It has become difficult to maintain unity and solidarity of the country because many States have been formed on the linguistic basis. The common people do not like the formation of small and separate States. Those persons who want to come in power they make such a demand.

गृह कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : सबसे पहले मैं माननीय सदस्य सरदार कपूर सिंह के भाषण को लूंगा। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि वह संविधान का बिल्कुल उल्लंघन नहीं करते हैं यह बहुत अच्छी बात है। इस देश का कोई भी व्यक्ति संविधान के क्षेत्र के बाहर जाने की बात नहीं सोच सकता।

अब मैं जम्मू और काश्मीर राज्य के दर्जे के बारे में कुछ कहूँगा। प्रस्तावित पंजाबी सूबे को काश्मीर जैसा दर्जा देने के बारे में कहा गया है। उस राज्य को ऐसा दर्जा देना संभव नहीं है। काश्मीर को भी भारत के और निकट लाने के लिये कार्यवाही की जा रही है। भारत के किसी भी राज्य को कोई विशेष दर्जा देने का प्रश्न नहीं उठता।

माननीय सदस्य ने एक बात कही थी जो गत महीनों में संसद द्वारा की जा रही कार्यवाही के विरुद्ध है। उन्होंने कहा था कि "इस विधेयक को स्वीकार न करो।" परन्तु किस आधार पर। यह विधेयक साम्प्रदायिक आधार पर नहीं बनाया गया है। यह विधेयक भाषा के आधार पर बनाया गया है। संसदीय समिति के प्रतिवेदन में यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्तमान पंजाब राज्य का पुनर्गठन भाषायी आधार पर किया जाना चाहिये। उसके बाद जब सीमा आयोग की नियुक्ति की गई, तो भी उसके निर्देश पद में यह बात स्पष्ट कर दी गई थी। अत: भाषायी आधार को पहले देखा गया तथा सांस्कृतिक और भाषायी सम्बन्धों को बाद में देखा गया। इस पुनर्गठन का यही मूल आधार है। अत: मुझे आशा है कि सभा इस विधेयक को स्वीकार करेगी।

इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है कि हमारी न्यायपालिका बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। इस आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के सम्पूर्ण चरित्र को देखने से न्यायपालिका के सम्बन्ध में हमारी निष्ठा और बढ़ती है। इस आयोग के सदस्यों पर आरोप लगाने का कोई आधार नहीं है।

सीमा आयोग ने कुछ क्षेत्रों के बारे में विरोधात्मक दावा करने वाले दोनों पक्षों में एक सराहनीय ढंग से समझौता कराने का प्रयत्न किया था। इन मामलों में सभी लोगों को सन्तुष्ट करना तो सम्भव नहीं है। अत: हमें इस अवस्था में एक गांव अथवा तहसील को राज्य में मिलाने की बात नहीं करनी चाहिये।

हम गुण-दोषों पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ऐसा करने से बहुत से प्रश्न उठ खड़े होंगे। इससे कोई लाभ भी नहीं होगा। हमने सीमा आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया हुआ है।

केवल चंडीगढ़ का प्रश्न शेष रह जाता है। उसके बारे में अब और तर्क नहीं किया जाना चाहिये। मामला सुलझाया जा चुका है। इसे अब नहीं उठाया जा सकता। इससे बहुत देरी हो जायेगी। इससे पंजाब और हरियाणा दोनों का काम चल सकता है। यह लाभप्रद भी रहेगा।

एक प्रश्न साझे सम्पर्कों के बारे में उठाया गया था। एक बार साझे सम्पर्कों के बारे में बहुत तीव्र भावनायें व्यक्त की गई थीं परन्तु जब सदस्यों ने विधेयक को पढ़ा और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि जिस तरह से साझे सम्पर्कों की व्यवस्था की गई है उससे अच्छा काम चल सकेगा तो इसके लिये अब बहुत सहानुभूति पाई जाती है। उस व्यवस्था को अब स्वीकार कर लिया गया है।

एक प्रश्न यह भी उठाया गया था कि चंडीगढ़ में एक उच्च न्यायालय होगा अथवा दो। उन्होंने यह पूछा कि दो उच्च न्यायालय स्थापित क्यों नहीं किये जाते हैं। यदि उनकी यह बात मान ली जाय तो इसका अर्थ यह होगा कि एक ही राजधानी अर्थात् चंडीगढ़ में एक उच्च न्यायालय सड़क की इस ओर और दूसरा सड़क की दूसरी ओर होगा। दूसरे जब हम इस खर्च के बगैर गुजारा कर सकते हैं तो हमें फिजूल खर्च नहीं करना चाहिये। जब उन्हें विधान सभा मिल गया है तो मानों उन्हें सब कुछ मिल गया है जो वे चाहते थे। जब एक ही उच्च न्यायालय से काम चल सकता है, जैसा कि अब तक चलता आ रहा है, तो फिर दो की क्या आवश्यकता है।

इसके अलावा जब भी राज्य चाहें अलग-अलग उच्च न्यायालय बना सकते हैं। परन्तु ऐसे सम्पर्क रखने से अच्छे पड़ौसी, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध आदि की आवश्यकता पूरी होती है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे सम्बन्ध केवल इन दो राज्यों में ही नहीं है। ज़ोनल परिषद् का काम अधिकाधिक सम्बंध जोड़ना है।

आयोग ने न केवल 1961 की जनगणना को ही ध्यान में रखा अपितु उन्होंने प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक समृद्धि, भौगोलिक निकटता तथा संचार की सुविधा को भी ध्यान में रखा।

विधेयक के विभिन्न खण्डों में कुछ कमियों का भी उल्लेख किया गया था। मैं यह महसूस करता हूँ कि इसमें कुछ संशोधन किये जाने चाहिये। इसके लिये सरकार की ओर से संशोधन परिचालित कर दिये गये हैं। खण्डों पर विचार करते समय हम उनको लेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वर्तमान पंजाब राज्य के पुनर्गठन तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

खंड 2 (परिभाषायें)

श्री बूटा सिंह (लुधियाना) : मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ।

Most of the Members have expressed their feelings about Chandigarh. I am of the view that when we consider the question of Chandigarh, we should take into consideration the history of that city. We must consider what was the language, culture etc. of the people of those villages who were uprooted from the lands on which Chandigarh was built. There is no doubt that it was the Punjabi language and culture. If it is so then Chandigarh must go to the Punjabi Suba and this clause should be amended accordingly. Chandigarh is the life of Punjabi Suba and should therefore form part of it.

श्री नन्दा : यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 1 सभा के मतदान के लिये रखता हूँ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No 1 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खंड ३ (हरियाणा राज्य बनाना)

श्री बूटा सिंह : मैं संशोधन संख्या 2, 3, 4, 5, 6 और 7 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री हेम राज (काँगड़ा) : मैं संशोधन संख्या 47 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री गजराज सिंह राव (गुड़गांव) : मैं संशोधन संख्या 105 प्रस्तुत करता हूँ।

Shri Buta Singh : The areas of Sirsa tehsil, Tohna sub-tehsil and Ratia block are Punjabi-speaking and should, therefore, be excluded from Hissar and transferred to Punjabi Suba. Similarly Shahbad and Gubla sub-tehsil of Karnal should also go to Punjabi suba.

श्री हेम राज : मैं केवल सीमा आयोग के प्रतिवेदन का उल्लेख करूँगा। सीमा आयोग की अल्प संख्यक रिपोर्ट के अनुसार कालका पुलिस स्टेशन शिमला जिला के साथ लगा हुआ है। कालका हिमाचल का द्वार है। इसकी आर्थिक व्यवस्था का भी हिमाचल से निकटतम सम्बन्ध है। इन बातों के अलावा वहां के 73 प्रतिशत लोगों की भाषा हिन्दी है अतः मेरी यह प्रार्थना है कि इन इलाकों को हिमाचल में जोड़ा जाना चाहिये।

श्री गजराज सिंह राव : मैं यह कहना चाहता हूँ कि सीमा आयोग की आपत्तियों से मेरे संशोधन का समर्थन होता है। परन्तु यदि यह सम्भव नहीं है तो मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री नन्दा : इस विधेयक के उपबन्धों को देखते हुए मैं ये संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : अब मैं श्री बूटा सिंह के संशोधन संख्या 2, 3, 4, 5, 6, और 7 सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 से 7 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

Amendments Nos. 2 to 7 were put and negatived.

सभापति महोदय : अब मैं श्री हेम राज का संशोधन संख्या 47 सभा के मतदान के लिये रखता हूँ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 47 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 47 was put and negatived.

सभापति महोदय : अब मैं श्री गजराज सिंह राव का संशोधन संख्या 105 लेता हूं।

श्री गजराज सिंह राव : मैंने सभा की जानकारी के लिए ही इसे प्रस्तुत किया था मैं इसे वापिस लेना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : क्या वह अपना संशोधन वापिस ले सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : जी हाँ।

संशोधन संख्या 105 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

Amendment No. 105 was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

खन्ड 4

सभापति महोदय : अब खण्ड 4 सभा के सामने है।

श्री बूटा सिंह : मैं संशोधन संख्या 89 प्रस्तुत करता हूँ।

Sir, Clause 4 is also in regard to Chandigarh. We never had never hoped that Chandigarh will be given to us. But now when we have got it, it should never be snatched from us.

I make this appeal that Chandigarh city which is a natural part of Punjabi Suba should not be bifurcated from it. Chandigarh should remain within Punjabi Suba.

श्री नन्दा : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूँ।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 89 को सभा में मतदान के लिये रखता हूँ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 89 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 89 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4 was added to the Bill.

खंड 5 (पंजाब से हिमाचल प्रदेश को राज्य-क्षेत्र का हस्तांतरण)

श्री बूटा सिंह (मोगा) : मै संशोधन संख्या 8, 9 और 10 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री हेम राज (कांगड़ा) : मैं संशोधन संख्या 64, 65, 66 और 84 प्रस्तुत करता हूँ ।

सभापति महोदय : अब संशोधन संख्या 8, 9, 10, 64, 65, 66 और 84 सभा के समक्ष हैं ।

Shri Buta Singh : I make an appeal to Hon. Minister of Home Affairs that the districts of Ambala and Hoshiarpur should not be bifurcated because they are Punjabi speaking areas. These areas in full should be retained in Punjabi Suba.

श्री हेम राज : सीमा आयोग के प्रतिवेदन के पैरा 77 में जो उल्लेख किया गया है, उसके विपरीत मेरा यह निवेदन है कि पूरी ऊना तहसील हिन्दी भाषी क्षेत्र है और उसे पूरी को हिमाचल प्रदेश के साथ मिलाया जाय ।

श्री नन्दा : इस सम्बन्ध में हमने सीमा आयोग की सिफारिशों का पूर्णतः अनुसरण किया है और हम उनके विपरीत कोई कार्य नहीं करना चाहते ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 8, 9, 10, 64,65, 66 और 84 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 8, 9, 10, 64, 65, 66, and 84 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5 was added to the Bill.

खंड 6 (पंजाब राज्य और उसका प्रादेशिक विभाजन)

श्री बूटा सिंह : मैं संशोधन संख्या 11 को प्रस्तुत करता हूँ । मेरा यह निवेदन है कि पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाबी सूबे में ही रखा जाय ।

श्री हेम राज : मैं संशोधन संख्या 48 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नन्दा : मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि आयोग की सिफारिशों से जरा भी हट कर काम किया जाय।

श्री बूटा सिंह : मैं संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूँ। मैं इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5, पंक्ति 15 में "Nangal', [नंगल] के स्थान पर "Anandpur Sahib" [आनन्दपुर साहब] शब्द रखे जायें। (12)

I would like to request the Minister of Home Affairs that a newly organised tahsil, which comprises of the part of Una tahsil of Hoshiarpur district, should be given the name of Anandpur Sahib in place of Nangal. This place has some historical importance. Guru Teg Bahadur got this place inhabitated. So this new tahsil should be named after him as Anandpur Sahib.

श्री नन्दा : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, मैं उसे उचित समझता हूँ, किन्तु नाम में परिवर्तन करना राज्य का विषय है और जो उस राज्य द्वारा बाद में किया जा सकता है। वैसे मुझे इसके यहां किये जाने पर भी कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 11 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 5 पंक्ति 15 में "Nangel" [नंगल] के स्थान पर "Anandpur Sahib" [आनन्दपुर साहब] रखे जायें। (12)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 48 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 48 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6, as amended was added to the Bill.

इसके पश्चात् लोक सभा 21.30 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till 21-30 hours of the clock.

लोक सभा रात्रि के 9.30 बजे पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled at thirty minutes past nine hours in the night.

[**श्री पं० वेंकटासुब्बया पीठासीन हुए**
SHRI P. VENKATASUBBAIAH *in the Chair*]

सभापति महोदय : अब हम खंड 7 को लेंगे । इसके लिये संशोधन संख्या 13 है ।

Shri Gulshan (Bhatinda): I move my amendment No. 13. The matter has already been discussed in detail. I would like to say that Chandigarh is the head of Punjab. I, therefore, submit that it should not be taken away from Punjabi Suba.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 13 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No 13 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7 was added to the Bill.

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 8 was added to the Bill.

खंड 9—(संविधान की चतुर्थ अनुसूची में संशोधन)

सभापति महोदय : अब संशोधन संख्या 33, 49 और 50 लिये जायेंगे ।

श्री हेम राज : मैं संशोधन संख्या 49 और 50 को प्रस्तुत करना नहीं चाहता ।

श्री वीर भद्र सिंह (महासू) : मैं संशोधन संख्या 33 प्रस्तुत करता हूँ । राज्य सभा में हिमाचल प्रदेश को अब दो स्थान प्राप्त हैं । प्रस्तुत विधेयक द्वारा यह संख्या तीन की गई है । मैं इस संशोधन द्वारा यह चाहता हूँ कि यह संख्या तीन के बजाय चार हो । चूँकि पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के मिलने से हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या दुगनी हो जायेगी । अतः हिमाचल प्रदेश का राज्य सभा में प्रतिनिधित्व उसी के अनुसार बढ़ जाना चाहिये ।

श्री नन्दा : मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता ।

सभापति द्वारा संशोधन संख्या 33 मतदान के लिये रखा गया ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 19; विपक्ष में 124 ।

Ayes 19, Noes 124.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अङ्ग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 9 was added to the Bill

खण्ड 10 (वर्तमान सदस्यों का बंटवारा)

श्री त्यागी : मुझे इस खंड पर आपत्ति है । इसके द्वारा राज्य सभा के स्थानों को तीनों नये राज्यों में बांटा गया है । यह उपबन्ध किया गया है कि राज्य सभा के वर्तमान चार सदस्य सर्वश्री अनूप सिंह, जगत नारायण, उत्तम सिंह दुग्गल और श्रीमती मोहिन्द्र कौर में से एक को लाटरी डाल कर चुना जायेगा और इस प्रकार से चुना गया सदस्य राज्य सभा में हरियाना राज्य का प्रतिनिधि होगा । यह भी कहा गया है कि सर्वश्री अब्दुल गनी और चमन लाल को हरियाना राज्य से राज्य सभा के लिये निर्वाचित समझा जायेगा । यह सब हास्यास्पद है; किसी व्यक्ति को कानून बनाकर किसी क्षेत्र से निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता । मान लो ऐसा व्यक्ति उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने से इन्कार करदे तो क्या स्थिति होगी । उपरोक्त चारों व्यक्ति पंजाब राज्य के निवासी हैं । उनमें से कोई भी हरियाने का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता क्योंकि वे हरियाना निवासी नहीं हैं ! हरियाने का प्रतिनिधित्व तो हरियाने के निवासी को ही करना चाहिए । अच्छा तो यह होता कि इन सभी सदस्यों की पदावधि एक निश्चित तारीख को एक कानून बना कर समाप्त कर दी जाती और नये राज्यों के बन जाने के बाद वे राज्य सभा के लिये अपने प्रतिनिधि फिर से चुनते ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदास पुर) : वर्तमान सदस्यों की सदस्यता भंग नहीं की जानी चाहिए । पंजाब के पुनर्गठन के कारण उन व्यक्तियों को विशेषाधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए जो कुछ समय से उनका उपभोग कर रहे हैं । उन्हें अपने पूरे कार्यकाल तक सदस्य बनाये रखा जाये । यह उपबन्ध न्यायोचित है ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : ऐसा कोई उपबन्ध पास नहीं किया जा सकता जो संविधान की भावना के प्रतिकूल हो ।

श्री त्यागी : क्या गृह-कार्य मन्त्री ने नियमित रूप से निर्वाचित सदस्यों की इस बात के लिये सम्मति ले ली है कि वे पूर्व-निर्धारित किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिये राजी हैं ?

श्री नन्दा : ऐसा किसी राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर नहीं किया जा रहा है । यहाँ पर केवल इस बात पर ध्यान दिया गया है कि उनकी सदस्यता बनी रहे । कुछ मामलों में संविधान से हटकर काम करना पड़ता है । स्वयं संविधान में ऐसा उपबन्ध है कि आवश्यकतानुसार उसके उपबन्धों को कुछ हेर-फेर के साथ लागू माना जा सकता है । संविधान के अनुच्छेद 4 में यह उपबन्ध है । उसके अनुसार पुनर्गठन की आवश्यकता-पूर्ति के लिये संविधान से कुछ हटा जा सकता है अर्थात उसके उपबन्धों को कुछ परिवर्तन के साथ लागू माना जा सकता है, किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि संविधान ही संशोधित समझा जाय । अतः पुनर्गठन के सम्बन्ध में जो कुछ किया जा रहा है वह सब संविधान के अनुरूप है ।

श्री त्यागी : क्या उन सदस्यों को पुनः निर्वाचित नहीं किया जा सकता ?

श्री स० का० पाटिल (रेलवे मन्त्री) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी गृह-कार्य मंत्री ने कहा कि कुछ विशेष परिस्थितियों में संविधान के कुछ विशेष अनुच्छेदों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है ताकि कोई आवश्यक नया विधान बनाया जा सके। इस सम्बन्ध में मैं एक और आधारभूत बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वह यह है कि लोक सभा का सदस्य भारत के किसी भी भाग से मतदाता हो सकता है, किन्तु राज्य सभा के सदस्य के सम्बन्ध में ऐसा नहीं है, वह तो किसी एक विशेष राज्य से ही मतदाता हो सकता है। इसी आधार पर अनेक निर्वाचनों को रद्द किया जा चुका है। मुझे आशा है कि इस ओर भी यथोचित ध्यान दिया गया होगा।

श्री नन्दा : इन सब प्रश्नों पर विधि मंत्रालय ने पूर्णतः विचार किया है और प्रस्तुत विधेयक के उपबन्धों को पूर्णतया संविधान के अनुरूप ठहराया है।

श्री हिम्मत सिंहका (गोड्डा) : वह जो आपत्ति उठायी गयी है उसमें कोई सार नहीं है। राज्य के विभाजन के कारण ही विधेयक के प्रस्तुत खंड में "चुने हुए समझे जायेंगे" शब्द जोड़े गये हैं। भविष्य में वे नये राज्यों के निर्वाचित सदस्य समझे जायेंगे, जो अब पूर्ण पंजाब राज्य के सदस्य हैं। अतः यह कोई आपत्तिजनक बात नहीं है।

श्री श० ना० चतुर्वेदी (फिरोजाबाद) : संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि यदि राज्य सभा कोई सदस्य किसी कारण से उस राज्य का मतदाता न रहे, जिस राज्य से वह राज्य सभा के लिये चुना गया था, तो ऐसा होने पर राज्य सभा से उसकी सदस्यता स्वयं ही समाप्त हो जायेगी। अतः उन सदस्यों के बाद में मतदाता न रहने पर भी उनकी राज्य सभा की सदस्यता विध्यानुकूल बनी रहती है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि निर्वाचनों को केवल निर्वाचन-न्यायाधिकरण द्वारा ही रद्द किया जा सकता है और निर्वाचन-न्यायाधिकरण तभी अस्तित्व में आ सकता है जबकि कोई निर्वाचन याचिका हो। दूसरी बात यह है कि यदि इन दो सदस्यों को नये सिरे से चुना गया तो उनकी पदावधि उस समय तक समाप्त नहीं होगी जबकि वह राज्य सभा के चुनाव की तिथि के अनुसार सामान्यतः समाप्त हो जानी चाहिए।

श्री सत्य नारायण सिंह (संसद कार्य तथा संचार मंत्री) : इसके ऊपर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। अब इसे मतदान के लिए रखा जा सकता है।

सभापति महोदय : मैं इस खंड को मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 10 was added to the Bill.

खंड 11

सभापति महोदय : अब खंड 11 सभा के समक्ष है।

श्री नन्दा : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 7,

(1) पंक्ति 11 तथा 12 में "State of Haryana and Punjab" [हरियाणा और पंजाब राज्यों] के स्थान पर "State of Haryana" [हरियाणा राज्य] शब्द रखे जाये।

(2) पंक्ति 13 से 16 तक

(2) "The term of office of such one of the two members so elected, as the chairman of the Council of States may determine by drawing lot, shall expire on the 2nd day of April, 1968, and the term of office of the other member shall expire on the 2nd day of April, 1972."

के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय।

(2) ["इस प्रकार से चुने हुए दो सदस्यों में से किसी एक की पदावधि, जिसे राज्य सभा का सभापति लाटरी डालकर निश्चित करे, 2 अप्रैल 1968 को समाप्त होगी और दूसरे सदस्य की पदावधि 2 अप्रैल 1972 को समाप्त होगी"।] (117)

श्री जगदेव सिद्धान्ती (झज्जर) : मैं संशोधन संख्या 34 और 35 प्रस्तुत करता हूँ।

Now I would like to explain my second amendment. At present there are three seats in Rajya Sabha for Haryana State. I submit that two new members which are to be made should be made from Hariyana State. Seats in Rajya Sabha for both the states should be made equal.

Shri Nanda : Ultimately Hariyana will have two seats. The difference lies only in way of distribution.

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 34 और 35 को मतदान के लिये रखता हूँ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 34 और 35 मतदान के लिये रखे गये।

लोक सभा में मतदान हुआ—

The Lok Sabha divided

पक्ष में 5; **विपक्ष में** 130

Ayes 5, **Noes** 130

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 7,

(1) पंक्ति 11 तथा 12 में "States of Haryana and Punjab" "हरियाणा और पंजाब राज्यो" के स्थान पर, "State of Haryana" "(हरियाणा राज्य)" रखे जायें।

(2) पंक्ति 13 से 16 तक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये।

(2) The term of office of such one of the two members so eleted, as the chairman of the Council of states may determine by drawing lot, shall expire on the 2nd day of April, 1968, and the term of office of the other member shall expire on the 2nd day of April 1972.

["(2) इस प्रकार से चुने हुये दो सदस्यों में से किसी एक की पदावधि, जिसे राज्य

सभा का सभापति लाटरी डाल कर निश्चित करे, 2 अप्रैल 1968 को समाप्त होगी और दूसरे सदस्य की पदावधि 2 अप्रैल 1972 को समाप्त होगी।"] (117)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अङ्ग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 11 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 11, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 12 was added to the Bill.

खण्ड 13 (विधान सभाओं के सम्बन्ध में उपबन्ध)

सभापति महोदय : कुछ संशोधन प्रस्तुत किये जाने हैं। क्या कोई सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहता है ?

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : मैं संशोधन संख्या 71 प्रस्तुत करता हूँ।

I would like to suggest that instead of 8 members all the 12 Members should be taken.

श्री गजराज सिंह राव (गुड़गांव) : मैं संशोधन संख्या 106 प्रस्तुत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इस संशोधन को सरकार स्वीकार कर लेगी।

श्री नन्दा : मैं प्रस्ताव करता हूँ।

पृष्ठ 7—

(1) पंक्ति 25 में "Sixty two" ["बासठ"] के स्थान पर "Fifty four" ["चौवन"] रखा जाय।

(2) पंक्ति 31 में "62" के स्थान पर "54" रख दिया जाय। (118)

मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि श्री सिद्धान्ती द्वारा सुझाये गये परिवर्तन को स्वीकार करना सम्भव नहीं है। यदि हम 62 रखेंगे तो राज्य सभा में कुछ ऐसे सदस्य भी आ जायेंगे जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए न होंगे।

इसलिए प्रतिनिधित्व के आधार में परिवर्तन की बजाय उनकी संख्या में परिवर्तन करना अच्छा होगा।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

संशोधन संख्या 71, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया।

Amendment No. 71 was, by leave, withdrawn.

श्री गजराज सिंह राव : संशोधन संख्या 106 आवश्यक है। 62 के लिए 54 को प्रतिस्थापित करना है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 106 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 106 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 7—

(1) पंक्ति 25 में—"Sixty-two" (बासठ) शब्द के स्थान पर "Fifty-four" (चौवन) शब्द रखे जायें।

(2) पंक्ति 31 में—"62" के स्थान पर "54" रख दिया जाये। (118)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 13, as amended, was added to the Bill.

खंड 14 और 15 विधेयक में जोड़े गये।

Clauses 14 and 15 were added to the Bill.

खण्ड 16

संशोधन किया गया।

Amendment made

पृष्ठ 8 और 9

पंक्ति 29 से 39 तथा पंक्ति 1 से 5 के स्थान पर क्रमशः निम्न रखा जाये :

Duration of Legislative Assembly of Haryana:

"16. The period of five years referred to in clause (1) of the article 172 shall, in the case of the Legislative Assembly of Haryana, be deemed to have commenced on the date on which it actually commenced in the case of the Legislative Assembly of Punjab."

Duration of Legislative Assemblies of Punjab and Himachal Pradesh.

"17. The changes in the composition of the Legislative Assemblies of Punjab and Himachal Pradesh shall not affect the duration of either of those Assemblies."

हरियाना की विधान सभा की कार्यविधि

"16. अनुच्छेद 172 के खंड (1) में पांच वर्ष की अवधि, हरियाना की विधान सभा के मामले में, उस तारीख को प्रारम्भ समझी जायेगी जिस दिन पंजाब की विधान सभा की कार्यविधि वास्तव में आरम्भ होती है।"

पंजाब और हिमाचल प्रदेश की विधानसभाओं की कार्यविधि

"17. पंजाब और हिमाचल प्रदेश की विधान सभाओं की बनावट में परिवर्तनों से उन सभाओं की कार्यविधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।" (119)

(श्री नंदा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 16, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 16, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 16, as amended, was added to the Bill.

श्री हेमराज : (कांगड़ा) : खंड 16 विधेयक में मौजूद है अथवा नहीं, इसका स्पष्टीकरण दिया जाये।

श्री नंदा : हमने इस खण्ड के दो भाग बना दिये हैं।

नये खण्ड 16-क और 16-ख

संशोधन किया गया।

Amendment made.

पृष्ठ 8–

पंक्ति 36 **के बाद** निम्नलिखित रखा जाय :

"Transitional provisions with respect to certain members of Legislative Assembly of Himachal Pradesh.

16A. The person specified in line 11 of part B of the Seventh Schedule who is a member of Legislative Council, chosen by the Local Authorities' constituencies of the existing State of the Punjab shall, on and from the appointed day, became member of the Legislative Assembly of the Union Territory of Himachal Pradesh, as if he was a member chosen by direct election to that Assembly from the territorial constituency within that Union territory.

16B. The person specified in line 10 of Part B of the Seventh Schedule who is a member of the Legislative Council chosen by the members of the Legislative Assembly of the existing State of Punjab shall on and from the appointed day, become member of the Legislative Assembly of the Union territory of Himachal Pradesh, as if she was a member chosen by direct election to that Assembly from the territorial constituency within that Union territory.'"

"हिमाचल प्रदेश की विधान सभा के कुछ सदस्यों के सम्बन्ध में संक्रमणकालीन व्यवस्था

16 (क) सातवीं अनुसूची के भाग ख की 11 पंक्ति में उल्लिखित व्यक्ति जो कि वर्तमान पंजाब राज्य के स्थानीय अधिकारियों के निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुनी गई विधान परिषद का सदस्य है, नियुक्त के दिन तथा उस दिन से हिमाचल प्रदेश संघ क्षेत्र की विधान सभा का सदस्य बन जायेगा जैसे कि वह उस संघ क्षेत्र में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से उस सभा के लिए प्रत्यक्ष चुनावों द्वारा चुना गया सदस्य हो।

16 (ख) सातवीं अनुसूची के भाग ख की पंक्ति 10 में उल्लिखित व्यक्ति जो कि वर्तमान पंजाब राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा चुनी गई विधान परिषद का सदस्य है, नियुक्ति के दिन तथा उस दिन से हिमाचल प्रदेश संघ क्षेत्र की विधान सभा का सदस्य बन जायेगा जैसे कि वह उस संघ क्षेत्र में क्षेत्रीय निर्वाचन से उस सभा के लिए प्रत्यक्ष चुनावों द्वारा चुना गया सदस्य हो। (53)

[**श्री हेम राज**]

सभापति महोदय : मैं खण्ड 16 (क) और 16 (ख) को सभा में मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि नये खण्ड 16 (क) और 16 (ख) विधेयक के अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

नये खण्ड 16-क-और 16-ख-विधेयक में जोड़ दिये गये।

New Clauses I6A and 16 B were added to the Bill.

श्री पू० शे० नास्कर (मथुरापुर) : खण्ड 16 और 17 का सरकारी संशोधन संख्या 119 रखा गया है।

श्री भागवत झा आजाद : खण्ड 16 सभा द्वारा पहले ही पारित हो चुका है।

सभापति महोदय : खण्ड 16-क और 16-ख सभा द्वारा स्वीकार कर लिये गये हैं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 17, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 17, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 18

सभापति महोदय : खण्ड 18 का सरकारी संशोधन संख्या 85 रहता है। क्या उसे प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री नन्दा : नहीं, श्रीमन !

श्री बूटासिंह : अच्छा होता यदि संशोधन को प्रस्तुत किया जाता। यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय के निर्वाचन के बारे में है।

सभा में अविश्वास क्यों होता है। गृह-कार्य मन्त्री यह कैसे अनुभव करते हैं कि वही व्यक्ति नहीं रहेगा।

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 85 को प्रस्तुत नहीं किया जाता। संशोधन संख्या

96,97, 98 तथा 99 रहते हैं। इन्हें प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। इसलिए अब मैं खण्ड 18 सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 18 was added to the Bill.

खण्ड 19 से 21 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 19 to 21 were added to the Bill.

खण्ड 22 — (कुछ वर्तमान सदस्यों के सम्बन्ध में व्यवस्था)

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती (झज्जर) : मैं संशोधन संख्या 74 तथा 75 प्रस्तुत करता हूँ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 74 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 74 was put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 75 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 75 was put and negatived.

सभापति महोदय : सरकारी संशोधन संख्या 86, 120, 121 तथा 122 की क्या स्थिति है।

श्री नन्दा : मैं उन्हें प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।

श्री कपूर सिंह : यह लोक हित तथा विधेयक के हित में भी है कि अब सभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 22 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 22 was added to the Bill.

खण्ड 23

सभापति महोदय : खण्ड 23 के कुछ संशोधन रहते हैं।

श्री वीरभद्र सिंह (महासू) : मैं संशोधन संख्या 37 प्रस्तुत करता हूँ। विधेयक के इस

खण्ड में हिमाचल प्रदेश के लिए लोक-सभा में 6 स्थानों की व्यवस्था की गई है। यह संख्या बढ़ा कर 8 कर देनी चाहिए। इस समय हिमाचल प्रदेश के लिए लोक-सभा में 4 स्थान हैं। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में विलय के पश्चात्, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या दुगनी से भी अधिक हो जायेगी। इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोक-सभा में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी उसी अनुपात में बढ़ा देना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश एक संघ क्षेत्र है और हर संघ क्षेत्र की तरह सभा और संसद में प्रतिनिधित्व के मामले में अधिकार है। दिल्ली की जनसंख्या 30 लाख है और इसके संसद में 7 स्थान हैं। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 28 लाख है। इसके संसद में 28 स्थान होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है। इसकी आबादी दूर दूर तक बिखरी हुई है और आवागमन के साधन बड़े कठिन है, इसलिए इस क्षेत्र के लिए वही कसौटी नहीं रखी जा सकती जो मैदानी क्षेत्रों के लिए रखी जाती है।

श्री हेमराज (कांगड़ा) : मैं संशोधन संख्या 54 प्रस्तुत करता हूँ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 37 मतदान के लिए रखा गया।

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 28, : **विपक्ष में** 93

Ayes 28, : **Noes** 93.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 54 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 54 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 23 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 23 was added to the Bill.

खण्ड 24-विधान सभा में स्थानों का बंटवारा।

श्री वीरभद्र सिंह : मैं संशोधन संख्या 38 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री हेमराज : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 12, पंक्तियां 2 से 5 में :

"Shall be fifty-four of which twelve seats shall be reserved for the Scheduled Castes and two seats shall be reserved for the Scheduled Tribes."

("चौवन होंगे जिनमें से अनुसूचित जातियों के लिए 12 स्थान सुरक्षित रखे जायें तथा दो स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे")

के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे गये।

"Shall be sixty-four of which thirteen seats shall be reserved for the Scheduled Castes and two seats shall be reserved for the Scheduled Tribes.",

["चौसठ होंगे जिनमें से तेरह स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रखे जायेंगें तथा दो स्थान अनुसूचित जन जातियों के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे "] (55)

श्री वीरभद्र सिंह : इस विधेयक में व्यवस्था है कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र बढ़ जाने के पश्चात् वहां की विधान सभा में 54 स्थान होंगे जिनमें से अनुसूचित जातियों के लिए 12 स्थान सुरक्षित होंगे। मेरा सुझाव यह है कि इन स्थानों की संख्या 54 से बढ़ा कर 72 कर दी जाये तथा अनुसूचित जातियों के लिए 12 स्थानों से बढ़ा कर 16 स्थान कर दिये जायें।

इसका एक कारण तो यह है कि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र और जन संख्या में वृद्धि की जा रही है। दूसरी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश अब भी संघ क्षेत्र है इसलिए प्रतिनिधित्व में अब भी वही अधिप्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है और वहां की कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण हिमाचल प्रदेश का अधिप्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिये। इस समय विधान सभा के एक स्थान के लिए 32,000 जन संख्या है। विधेयक में 54 स्थानों की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार विधान सभा के एक स्थान के लिए 52,000 जनसंख्या रहेगी। इसके विरुद्ध जम्मू तथा काश्मीर की विधान सभा के एक स्थान के लिए केवल 47,000 जन संख्या निश्चित है। यह उचित नहीं है। हिमाचल प्रदेश को अधिप्रति-नधित्व का अधिकार मिलना चाहिये।

श्री हेमराज : मेरे संशोधन संख्या 55 में "चौसठ" के स्थान पर "साठ" शब्द रखा जाये और "तेरह स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे और दो स्थान अनुसूचित जन-जातियों के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे" के स्थान पर "चौदह स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे और तीन स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिये सुरक्षित रखे जायेंगे" शब्द रखे जायें।

श्री नन्दा : मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूँ।

श्री वीरभद्र सिंह : मैं अपना संशोधन संख्या 38 वापस लेता हूँ।

संशोधन संख्या 38 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

Amendment No. 38 was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'पृष्ठ 12, पंक्तियां 2 से 5

"shall be fifty-four of which twelve seats shall be reserved for the Scheduled Castes and two seats shall be reserved for the Scheduled Tribes.",

"चौवन होंगे जिनमें से बारह स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे तथा दो स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित रखे जायेगें"

के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये।

"shall be sixty of which fourteen seats shall be reserved for the Scheduled Castes and three seats shall be resrved for the Scheduled Tribes."

["साठ होंगे जिनमें से चौदह स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रखें जायेंगे तथा तीन स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिये सुरक्षित रखें जायेंगे"] (55)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 24, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 24, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 25 से 28 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 25 to 28 were added to the Bill.

खण्ड 29

पंजाब, हरियाणा तथा चन्डीगढ़ के लिए साझा उच्च न्यायालय

श्री बूटा सिंह : मैं संशोधन संख्या 115 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री भागवत झा आजाद : अब सभा समाप्त करनी चाहिए ।

सभापति महोदय : खण्ड 29 पर .इसकी समाप्ति के बाद सभा स्थगित होनी चाहिए ।

श्री भागवत झा आजाद : इस पर कल भी चर्चा हो सकती है ।

सभापति महोदय : सदन नेता क्या चाहते हैं ।

श्री सत्य नारायण सिंह : सभा की जैसी सम्मति हो ।

इसके पश्चात् लोक सभा बुद्धवार 7 **सितम्बर,** 1966/16 भाद्र 1888 **(शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।**

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 7th September 1966/**Bhadra** 16, 1888 (**Saka**).

Tirthraj Press, Allahabad.